CITU

13 वां अखिल भारतीय सम्मेलन

दस्तावेज

सीआइटीयू प्रकाशन

सी आई टी यू
13वाँ अखिल भारतीय सम्मेलन

17-21 मार्च, 2010
चंडीगढ़

दस्तावेज

विषयसूची

विषय	पृष्ठ
1. सीआइटीयू का 13वां महाधिवेशन – संक्षिप्त रिपोर्ट	7
2. अध्यक्षीय भाषण	11
3. महासचिव की रिपोर्ट	33
4. कामगार महिलाओं के बीच सीटू के कार्यों का घोषणा पत्र	105
5. अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की 9वीं कन्वेंशन की रिपोर्ट	109
6. सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव	145
7. अन्तर्राष्टीय प्रतिनिधिमंडल	159
8 . कमेटी की रिपोर्ट	163
9. सम्मेलन से चुने गए पदाधिकारी, जनरल काउंसिल तथा कार्यसमिति सदस्यों	167

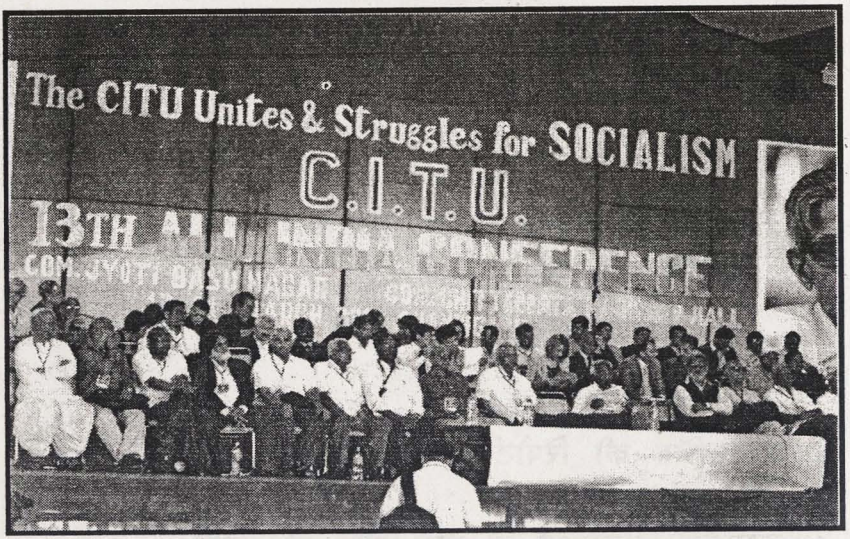
The CITU Unites & Struggles for SOCIALISM
C.I.T.U.

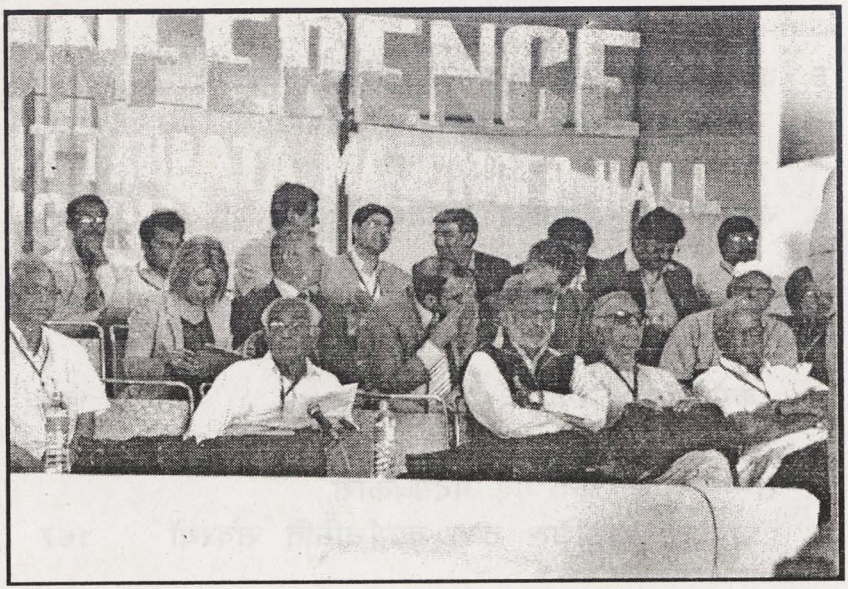

प्राक्कथन

पिछले अनेक अखिल भारतीय महाधिवेशनों की भांति इस बार भी सीआइटीयू की ओर से इस पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह उन दस्तावेजों का सम्पादित रूप है जिन्हें 17–21 मार्च, 2010 को चण्डीगढ़ में सम्पन्न तेरहवें महाधिवेशन में पारित किया गया था। इसमें कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के 8–9 जनवरी, 2010 को तिरुवनंथपुरम में सम्पन्न नौंवे अखिल भारतीय सम्मेलन की रिपोर्ट भी शामिल की गई है जिसकी पुष्टि सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन में की गई थी। छः ह कमिशनों में जिन दस्तावेजों पर विचार किया गया था और जिन्हें महाधिवेशन की ओर से पारित कर दिया गया था, उनका प्रकाशन अलग से किया जा रहा है।

इन सभी दस्तावेजों में समकालीन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, भारत के श्रमिक वर्ग और सामान्य तौर पर जनता की समस्याओं पर सीआइटीयू के दृष्टिकोण एवं रुख का समावेश किया गया है और इसके साथ ही श्रमिक वर्ग को संगठित करने की अपनी कोशिशों के अन्तर्गत सीआइटीयू द्वारा अपने लिए कार्यों की जानकारी भी दी गई है। हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रकाशन से सीआइटीयू के सभी कार्यकर्ताओं तथा सक्रिय सदस्यों के लिए संघर्ष की उनकी कार्रवाईयों में मार्ग दर्शक का काम करेगा। हमें यह विश्वास भी है कि श्रमिक वर्ग के सभी मुद्दों पर काम करने वाले दूसरे लोगों के लिए भी यह दस्तावेज रुचिकर होगा।

आने वाला समय चुनौतियों से भरा हुआ है, सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन ने इसका संकेत किया था। यूपीए–II सरकार नव–उदारवादी सुधारों के अपने अधूरे एजेंडे को कार्यरूप देने की जल्दी है, वह हड़बड़ी में है इसी लिए उसने संसद में वाम पक्षी दलों की ओर से उठाई जाने वाली आवाजों को अनसुना कर दिया है। इस चक्कर में वह जन साधारण पर असहनीय बोझ लाद रही है और श्रमिक वर्ग पर अपने हमलों में तेजी ला रही है। उसके हमले दिन

प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। महाधिवेशन में बताया गया था कि आने वाले समय अवसरों का समय भी होगा। पूंजीवादी व्यवस्था की विफलता ने विश्व भर में उसकी पोल खोल कर रख दी है और पूरे विश्व में इस व्यवस्था का विरोध एवं प्रतिरोध बढ़ता चला जा रहा है। श्रमिकों तथा श्रमजीवी जनता की अधिक से अधिक श्रेणियों का सरकार से मोह भंग हो रहा है और वे उसकी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में कूद रही हैं। तश्णमूल स्तर पर श्रमिक वर्ग की मजबूत एकता का निर्माण करने के लिए इन अवसरों का लाभ उठाना होगा और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्षों को तेज करना होगा।

हमारा विश्वास है कि सीआइटीयू की सभी राज्य समितियां, उससे सम्बद्ध यूनियनें तथा औद्योगिक महासंघ (फैडरेशन) संगठन के कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए इस प्रकाशन का उपयोग करेंगे और इससे उन्हें सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन द्वारा निध ार्रित कार्यों को पूरा करने तथा एक मजबूत सीआइटीयू का निर्माण करने में सहायता मिलेगी।

आईए, हम सब मिल कर सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन को श्रमिक आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर बना दें।

ए के पद्मनाभन
अध्यक्ष

6 जुलाई, 2010

सीआइटीयू का तेरहवां महाधिवेशन
संक्षिप्त रिपोर्ट

चण्डीगढ़ में 17–21 मार्च, 2010 में सम्पन्न सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन में 24 राज्यों से 2410 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें 357 महिलाएं थीं। इन प्रतिनिधियों ने महाधिवेशन में 50,50,942 सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अतिरिक्त भ्रातश संगठनों के 12 प्रतिनिधियों, 13 पर्यवेक्षकों तथा 16 देशों से आए 32 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। विदेशी प्रतिनिधियों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 2 प्रतिनिधि भी शामिल थे।

महाधिवेशन स्थल का नामकरण देश में जनवादी आंदोलन तथा श्रमिक आंदोलन के प्रमुख एवं गणमान्य नेता और सीआइटीयू के उपाध्यक्ष रहे कामरेड ज्योति बसु के नाम पर "ज्योति बसु नगर" किया गया था। जिस सभागार में प्रतिनिधि सत्र सम्पन्न हुआ उसका नामकरण सीआइटीयू के पूर्व अध्यक्ष कामरेड ई बालानंदन के नाम पर किया गया था।

सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे की ओर से 17 मार्च की सुबह 10–00 बजे झण्डा लहराए जाने और प्रतिनिधियों द्वारा शहीद बेदी पर पुष्पांजलि अर्पित किए जाने के बाद महाधिवेशन का समारम्भ हुआ।

स्वागत समिति के अध्यक्ष डाक्टर जोगेन्द्र सिंह पुआर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उसके बाद कामरेड एम के पन्धे ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। उद्घाटन सत्र में भाग लेने वाले सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों के नेताओं, श्रमिक संघों के विश्व महासंघ (डब्ल्यूएफटीयू) के महासचिव जार्ज मावरिकोस और आइएलओ के आंद्रे बोगुई ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया।

सीआइटीयू के महासचिव कामरेड मोहम्मद अमीन ने पिछले महाधिवेशन के बाद की अवधि में सीआइटीयू की गतिविधियों और

संघर्ष की कार्रवाईयों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष कामरेड कनाई बनर्जी ने लेखा वक्तव्य दिया। दस महिलाओं सहित 59 प्रतिनिधियों ने महासचिव की रिपोर्ट तथा लेखा वक्तव्य पर बहस में भाग लिया। उन्होंने महासचिव रिपोर्ट की स्थापनाओं (formulations) और व्यक्त किए गए विचारों का अनुमोदन किया। समग्र रूप में बहस का स्तर यह दर्शा रहा था कि प्रतिनिधियों में जागरूकता बढ़ी है। राजनीतिक एवं सांगठनिक मुद्दे, विचारी गई चुनौतियां और प्रतिनिधियों की आलोचनात्मक टिप्पणियां बहस के प्रमुख विषय थे जिससे पूरे महाधिवेशन की गम्भीरता प्रतिबिम्बित होती थी।

महाधिवेशन में छः ह महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया गया। ये विषय थे – "मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा – नव–उदारवादी हमले और ट्रेड यूनियनें," "मजदूर वर्ग की एकता और हमारा दृष्टिकोण," "सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण," "कामकाजी महिलाओं को संगठित करना – हमारा लक्ष्य एवं चुनौतियां," "असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को संगठित करने की चुनौतियां" और "न्यूज मीडिया तथा मजदूर वर्ग।" कमिशनों में बहस जीवंत रही और प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ इनमें भाग लिया तथा अपनी दिलचस्पी दिखाई। 255 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। अनेक प्रतिनिध्यिों ने अपने विचार/सुझाव लिखित में दिए। कमिशनों की बहस तथा उसके साथ–साथ लिखित में प्राप्त सुझावों में व्यापक तौर पर कमिशन के दस्तावेजों में की गई स्थापनाओं तथा विश्लेषणों का अनुमोदन किया गया था।

"कामकाजी महिलाओं में सीआइटीयू के कार्यों सम्बन्धी घोषणा पत्र पर विचार करने के लिए अलग से एक सत्र का आयोजन किया गया। यह घोषणा पत्र कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) के 8–9 जनवरी 2010 को तिरुवनंथपुरम में आयोजित नौवें सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था। इस बहस में 27 साथियों ने भाग लिया और यह घोषणा पत्र सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। कामरेड कनाई बनर्जी ने क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट पेश की। महाधिवेशन में उल्लेख किया गया कि संगठन में वास्तविक मजदूरों का अनुपात बढ़ाने की जरूरत

है और इसके साथ ही प्रतिनिधियों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। कामरेड मोहम्मद अमीन द्वारा बहस का समापन किए जाने के बाद महासचिव की रिपोर्ट तथा लेखा वक्तव्य सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। महाधिवेशन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए जिनमें "ट्रेड यूनियन एकता," "पश्चिम बंगाल में माओवादियों तथा तश्णमूल हमलों के खिलाफ," "मूल्य वश्द्धि पर," "कृषि क्षेत्र का संकट और मजदूर किसान गठबंधन," "बेरोजगारी पर," "अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस शताब्दी पर," "क्यूबाई क्रांति की पचासवीं वर्षगांठ पर, और "फलस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता" पर इत्यादि प्रस्ताव भी शामिल थे।

35 पदाधिकारियों की एक नयी टीम का चुनाव किया गया। कामरेड ए के पद्मनाभन अध्यक्ष, कामरेड तपन सेन महासचिव तथा कामरेड रंजना निरूला कोषाध्यक्ष चुनी गईं। 16 उपाध्यक्षों तथा 16 सचिवों का चुनाव भी सर्वसम्मति से किया गया। 20 प्रतिशत पदाधिकारी तथा कोषाध्यक्ष महिला हैं। एम के पन्धे तथा मोहम्मद अमीन उपाध्यक्षों के रूप में सीआइटीयू का मार्ग दर्शन करते रहेंगे।

एम के पन्धे द्वारा महाधिवेशन में मोहम्मद अमीन की हिन्दी में प्रकाशित आत्म कथा "जीवन की धूप छांव" का लोकार्पण किया गया। उनकी आत्म कथा श्रमिक आंदोलन के एक भाग के रूप में उनके जीवन की उत्साहवर्धक कथा है। एम के पन्धे ने अपने उत्साहवर्धक भाषण के साथ महाधिवेशन का समापन किया। उनके भाषण में संगठन को मजबूत बनाने और देश में श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भावी कार्यों की रूप रेखा तय की गई थी।

सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति ने महाधिवेशन के आयोजन, प्रतिनिधियों के रहने तथा खाने इत्यादि की व्यवस्था दूसरे जन संगठनों के साथ मिल कर की थी और प्रतिनिधियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने व ले जाने के लिए बहुत अच्छे प्रबंध किए थे। महाधिवेशन को सफल बनाने के लिए वलंटियर साथियों की बड़ी संख्या विशेष तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अथक परिश्रम किया था।

अध्यक्षीय भाषण

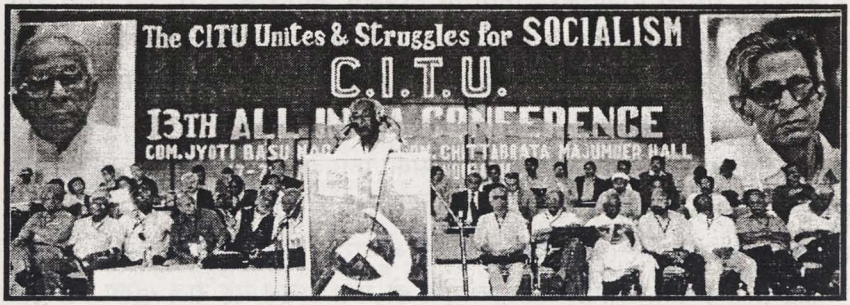

प्रिय साथियो

बेंगलूर में संपन्न 12वें सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। हमें इनका गहराई से विश्लेषण करते हुए भविष्य का रास्ता तय करना होगा। आज जब हम मिल रहे हैं तब दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। दुनिया की नियति के निर्धारण में मजदूर वर्ग को सकारात्मक सहयोग देना होगा।

पिछले सम्मेलन के बाद से प्रकृति सीटू पर बहुत निर्दयी बनी रही है। तब से अब तक सीटू के पांच शीर्ष नेतृत्वकारी साथी हमसे जुदा हो गए हैं। सीटू की स्थापना से ही हमारे सम्मानित उपाध्यक्ष रहे का. ज्योति बसु इसी जनवरी माह में 95 वर्ष की आयु में हमें छोड़ गए। हमारे पूर्व महासचिव का. चित्तब्रत मजूमदार पिछले सम्मेलन के कुछ ही दिन बाद गुजर गए। हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष एवं देश के एक प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता का. ई. बालानंदन ने जनवरी 2009 में अपनी अंतिम सांस ली। हमारे कोषाध्यक्ष का. रंजीत बसु लंबी बीमारी के बाद सितंबर 2008 में गुजर गए। एक दशक से हमारे सचिव रहे का. डब्लू आर वरदराजन आत्महत्या के कारण अब नहीं रहे। उनकी आत्महत्या ने हमें अत्यंत दुखी व उदास कर दिया है।

वैश्विक आर्थिक संकट

हाल के वैश्विक आर्थिक संकट ने पूंजीवादी व्यवस्था में निरंतर आने वाले चक्रीय संकट की अनिवार्यता को सामने ला दिया है। यह संकट किसी एक देश तक

सीमित नहीं रहा बल्कि सभी पूंजीवादी देशों में फैल गया। इससे यह पूंजीवाद का आम संकट बन गया। इस संकट की जडें साफतौर पर पूंजीवाद के संचालित होने के तौर तरीकों में ही देखी जा सकती है। नई तकनीकों व यंत्रों के विकास के बावजूद समूची पूंजीवादी दुनियां के उत्पादन की दर में 2 से 3 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है। यह पूंजीवादी व्यवस्था की उत्पादक शक्तियों को मजबूत करने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने में अक्षमता को ही दिखाता है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप उस सट्टेबाजाराना व्यापार को जबर्दस्त बढ़ावा मिला है, जिसका फायदा उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हुआ है जो विश्वव्यापी वित्तीय संस्थानों के जरिए अपना काम करती हैं। उदाहरणस्वरूप वर्ष 2007 में जिन्सों के बाजार में सट्टेबाजाराना व्यापार स्टाक मार्केट में हुये कुल व्यापार का पांच गुना हो गया । जब यह राज खुला कि ऐसा व्यापार कुल विश्व जीडीपी का दस गुना हो गया है, तब पता लगा कि यह किस कलंकीय स्तर तक पहुंच गया है।

अधिक मुनाफे की हवस में वित्तीय पूंजी ने विश्व स्तर पर बनावटी अर्थव्यवस्था के निर्माण का रास्ता अपनाया। इसके लिए उसने उन रेहन आधारित प्रतिभूतियों का उपयोग किया जिसका वास्तविक मूल्य उसके घोषित मूल्य से कहीं कम है। इनमें से कई प्रतिभूतियां असुरक्षित हो गईं जिनको सब प्राईम रेहन का नाम दिया गया। (यह सब प्राईम रेहन या ऋण का अर्थ है वह ऋण जिसे देते में बैंक देनदार की ऋण वापसी क्षमता की जांच नहीं करता। ऐसे सब प्राईम ऋणों की राशि 47 लाख करोड़ रूपये के विराट स्तर तक पहुंच गयी है। इस घटना विकास को कुछ अमरीकी अर्थशास्त्रियों ने सही ही कैसिनो (जुआघर)अर्थव्यवस्था या बुलबुला अर्थव्यवस्था का नाम दिया है। चूंकि यह 4794 लाख करोड़ रूपयों के अमरीकी ऋण बाजार का एक बड़ा हिस्सा या इसलिए वित्तीय बाजार के शहंशाहों ने यह तक नहीं देखा कि ऋण लेने वाले के पास पैसा लौटाने की क्षमता भी है कि नहीं। इसके चलते पैसा अटक गया व बैंक के खजाने खाली हो गए और अंततः बजार डूब गया व कंपनियां वास्तव में दिवालिया हो गयीं।)

वैज्ञानिक, इंजीनियर, व टेक्नालाजिस्ट के फोरम द्वारा कोलकाता से प्रकाशित थाट पत्रिका ने अमरीका के सब प्राईम ऋणों की वृद्धि पर इंगित करते हुए कहा कि वर्ष 2001 में कुल ऋणों में से सब प्राईम ऋण का हिस्सा 7 प्रतिशत था, 2004 में यह बढ़कर 11 प्रतिशत एवं 2006 में 20 प्रतिशत हो गया। पर इसी दौरान न चुकाये गये सब प्राईम ऋण (अर्थात जिनकी किश्त जमा न हो रही हो) की राशि वर्ष 2000 में 140 विलियन डालर से बढ़कर 350-400 बीलियन डालर हो

गयी। वर्ष 2000 में सब प्राईम ऋण प्रकरणों में से केवल 15 प्रतिशत ऐसे थे जिनके कोई दस्तावेजी प्रमाण जैसे ऋण लेने वाले के आय, कार्यस्थल आदि की जानकारी नहीं थी। 2006 तक ऐसे दस्तावेजी प्रमाण रहित प्रकरणों की संख्या 45 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

अमरीकी रईसी एक हद तक चौतरफा फैली सट्टेबाजी से पैदा अवास्तविक अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। अनेकों अमरीकी नागरिक उधार लेकर जिंदगी जी रहे थे। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार उधारी पर आधारित अमरीकी नागरिकों के खर्चे उनकी आय से 60 प्रतिशत तक अधिक है। अमरीका का सार्वजनिक कर्ज दुनिया भर में सर्वाधक 10.3 ट्रिलियन डालर पर पहुंच गया। यह गौरतलब है कि राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में ही यह दोगुना बढ़ा। ईराक पर साम्राज्यवादी युद्ध के चलते अमरीकी सरकार के खजाने से लगभग 3 ट्रिलियन डालर खर्च हुए। वर्ष 2008 में अमरीका का बजट घाटा बढ़कर 1 ट्रिलियन डालर हो गया जो अमरीकी इतिहास का सर्वाधिक घाटा है।

अमरीका के वित्तीय शहंशाहों द्वारा की गई विनासकारी और धोखाधड़ी नंगे रूप में तब खुलकर दिखी जब अमरीकी शेयर बाजार के सूचकांक को तय करने वाली एक एजेन्सी नेस्डेक (NASDAC) के पूर्व अध्यक्ष बर्नाड एल मैडॉफ को सरकारी एजेन्सियों ने पान्जी स्कीम चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस स्कीम का खुलासा एक ऐसी योजना के रूप में हुआ है जिसमें निवेषक को भारी भरकम राशि की वापसी के आश्वासन के आधार पर आकर्षित किया जाता और धोखाधड़ी करते हुए पूर्व के निवेशकों को बाद के निवेशको के पैसे से भुगतान कर दिया जाता था। इस धोखाधड़ी की अनुमानित रकम 50 विलियन डालर थी तथा इसमें सभी निवेशकों का पैसा डूब गया। यह सज्जन एक हेज फण्ड रैकेट चलाने में शामिल पाए गए जिसके जरिये उन्होंने अनेकों निवेशकों को धोखा दिया। अगर कानूनी रूप से आरोप सिद्ध हो गये तो इन्हें जबर्दस्त जुर्माने के साथ 20 वर्ष की जेल की भी सजा हुई होगी।

आज यह प्रयास हो रहा है कि अमरीकी आर्थिक संकट को कुछ वित्तीय कंपनियों के कुछ मुख्य कार्यपालिकों के तीव्र लालच के परिणाम के रूप में पेश किया जाये। वे जानबूझकर इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि यह तो व्यवस्था का संकट है जो तब तक बार बार पैदा होगा जब तक पूंजीवादी व्यवस्था विद्यमान है। निजीकरण व बाजार अर्थव्यवस्था की ओर दौड़ का परिणाम हमेशा सट्टेबाजाराना प्रवृत्ति पैदा करने की ओर होता है, तथा पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के चलते ऐसे संकट पैदा होना तय है। 1999 में अमरीकी सरकार ने एक वित्तीय सेवा

आधुनिकीकरण अधिनियम पारित किया जिसके चलते वित्तीय संस्थानों को बाजार अर्थव्यवस्था के तौर तरीके से चलने की पूरी आजादी मिल गई।

इस अनियंत्रित बाज़ार अर्थतंत्र में वित्तीय पूंजी ने वास्तविक व अवास्तविक दोनों प्रकार का बेतहासा पैसा डालकर अर्थव्यवस्था में कृत्रिम उछाल पैदा कर दिया। इसके लिए उसने अप्रमाणित व अनियंत्रित गृह ऋणों की बोछार कर दी। शुरूआती अवस्था में ही मकानों की कीमतों में 80 प्रतिशत का उछाल आ गया जिसके चलते ऋण देने में और ज्यादा उदार होने की वित्तीय संस्थानों में होड़ लग गई। उदाहरणार्थ 1982 में मकान खरीदने वाले को बैंक की शर्त के अनुसार ऋण लेने के लिए मकान की कीमत का 20 प्रतिशत स्वयं को जमा करना होता था जिसे घटाकर पहले 15 प्रतिशत फिर 10 प्रतिशत और अंतत: मकान की कीमत के 5 प्रतिशत तक ले आया गया। इसके चलते जनता में एक छोटी सी राशि जमा कर मकान खरीदने की सनक जैसी सवार हो गयी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अंतत: वे इस ऋण को कैसे लौटायेंगे। यही वह कृत्रिम उछाल था जिसके चलते एक बुलबुला पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद फूट गया।

बड़ी तादाद में बंधक रखे गए बैंक प्रतिभूतियों को वित्तीय संस्थानों ने खरीद कर उनका शेयर बाजार में व्यापार करना शुरू कर दिया। हालांकि इन प्रतिभूतियों का घोषित मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक था। लेकिन कुछ समय के लिए तो कृत्रिम रूप से शेयर बाजार में इससे उछाल पैदा कर दिया गया। परंतु जब ऋण लेने वाले लोग उसकी वापसी नहीं कर पाये और उन्होंने ऋण वापसी के बजाय मकानों की ही वापसी बैंको को करने लगे तो पूरे अमरीका में मकानों की कीमतों में भारी गिरावट आ गयी। कई मामलों में तो मकान की कीमत उस पर लिये गए ऋण की रकम से भी कम हो गयी। एसे में लोगों ने ऋण वापस करने की जगह मकान को ही वापस करना बेहतर समझा। इससे पूरे अमरीका में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुयी जिसे सब प्राईम ऋण संकट कहा गया। बैंका के पास जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने के लिए रकम नहीं बची। इन सबके चलते अमरीका के वित्तीय बैंकों में एक और संकट शुरू हो गया जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी कि बैंकों को स्वयं के दिवालिया होने की घोषणा करनी पड़ी।

अमरीकी आर्थिक बुलबुला तब फूटा जब सबसे बड़ी निवेश बैंक का मालिक, लेहमेन ब्रदर्स दिवालिया हो गया। एक और भीमकाय अमरीकी निवेश बैंक मैरिल लिंच भी दिवालिया होने की कगार पर आ गयी जिसे बैंक ऑफ अमरीका द्वारा अधिग्रहण से ही बचाया जा सका। मार्गन स्टेनली व गोल्डमैन सेस पर भी संकट का भारी प्रभाव पड़ा और अमरीका की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एआयजी

भी भुगतान संकट में फंस गयी, जिसे अमरीकी सरकार के खजाने से 85 बिलियन डालर की सौगात देकर ही बचाया जा सका। इनमें से कुछ भीमकाय वित्तीय कंपनियों का टर्नओवर तो कई विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद से भी ज्यादा था। ऐसे लोग जो वित्तीय मामलों में सरकार के हस्तक्षेप के खिलाफ चीखते रहते थे वे ही अब इन दीवालिया कंपनियों की जहरीली परिसंपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग कर रहे थे। और अमरीकी सरकार ने करदाताओं के धन में से इन कंपनियों को 700 विलियन डालर इन कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए बड़ी उदारता से दे दिये।

वैश्वीकरण के इस दौर में तो जहां कई विदेशी कंपनियों ने अमरीका में निवेश किया वहीं कई अमेरिकी कंपनियों ने दूसरे देशों में निवेश किया हुआ था। यही वह वजह थी जिसके चलते अमरीका का संकट दूसरे देशों में भी फैल गया तथा शीघ्र ही उसने वैश्विक संकट का रूप ले लिया। ब्रिटिश सरकार को अपनी बैंकों को धराशाही होने से बचाने के लिए करदाताओं की गाड़ी कमाई में से 400 बिलियन पाउंड देना पड़ा। यूरोपीय संघ के सभी देशों को अपनी बैंकिग व्यवस्था बचाने के लिए 1.8 ट्रिलियन यूरो का बचाव पैकेज लाना पड़ा। आईसलेंड नामक देश को तो अपनी सभी बैंकों को घोर दिवालिया होने से बचाने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण ही करना पड़ा।

यह संकट 1930 के विश्व पूंजीवादी संकट से भी कहीं बड़ा था। अधिकांश पूंजीवादी देशों का सकल घरेलू उत्पाद इस संकट के चलते नीचे गिर गया। बाजार के संकुचन के चलते कई औद्योगिक इकाइयों को बंद करना पड़ा। ओबामा को उन नियोक्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की धमकी देनी पड़ी जो चीन व भारत जैसे विकासशील देशों को काम की आउटसोर्सिंग करते हैं। पूंजीवादी सरकारों ने बैंकिग कारोवार को नियंत्रित करने के कुछ नियम घोषित किये परंतु वैश्विक आर्थिक संकट के कारण हुए घाटों की भरपायी नहीं हो सकी।

पूंजीवाद ने इस संकट का भार मेहनतकश वर्ग व गरीब लोगों के कंधो पर ठेलने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के एक अनुमान के अनुसार वैश्विक संकट के चलते दुनिया में बेरोजगारों की संख्या में 20 करोड़ तक पहुंचेगी। बहुराष्ट्रीय निगमों व वित्तीय शहंशाहों को तो बचाव (बेल आउट) पैकेज दिये गये परंतु अर्थव्यवस्था पर आयी भारी मंदी के कारण नौकरी खोने वाले श्रमिकों को कोई भी राहत नहीं दी गयी।

इन बचाव पैकेजों के चलते करों का भार अंतत: मेहनतकश वर्ग व साधारण जनता पर ही पड़ा। अग्रणी पूंजीवादी देशों के शेयर बाजारों के पतन के चलते श्रमिकों

के पेंशन फण्डो के वे अरबो-खरबों डूब गये जो पेंशन अधिकारियों ने सट्टेबाजाराना गतिविधियों में लगा रखे थे। कई देशों में श्रमिकों पर वेतन कटौतियां थौपी गयी, जिसके चलते उनके जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उपभोक्ता जो आम जनता का बड़ा हिस्सा है को बाजार अर्थव्यवस्था के नियमों के तहत, अपने उत्पादों क़ो ज्यादा दाम वसूल कर पूंजीपतियों ने लूटा जिससे जनता के जीवन स्तर पर और विपरीत असर पड़ा। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार विगत पांच वर्षों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खर्च कमकरने के नाम पर श्रमशक्ति में कटौती व श्रमिकों पर काम बाढ बढ़ाना एक वैश्विक परिघटना कन गयी है।

मेहनतकश वर्ग के संघर्षों की धार को भोंतरा करने के लिए उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों पर आक्रमण भी वैश्विक चरित्र अख्तियार कर चुका है। पूंजीपति वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए श्रमिकों के न्यूनतम ट्रेड यूनियन व जनवादी अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह कड़वी सच्चाई है कि जो इस वैश्विक संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है उन्हें सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ रहा है जबकि जिन्होंने इस संकट को पैदा किया उन्हें पूंजीवादी राजसभायें हर तरह का संरक्षण व सुविधाएं दे रही हैं।

इस वैश्विक संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कई किस्म के असर डाले। भारतीय निर्यात जबर्दस्त रूप से घट गए तथा कपड़ा, पोशाकें, चमड़ा, इंजीनियरिंग वस्तु, गहने, हीरा कटाई आदि उद्योगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त मंदी एवं औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आयी। एसोचेम के अनुसार वित्तीय संकट के चलते एक करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को अपने जीवनयापन के साधनों को खोना प़ड़ा।

भारतीय बैंकिग उद्योग इसलिए धराशाही नहीं हुआ क्योंकि बैंके सरकारी मालिकाने में थीं। सार्वजनिक क्षेत्र में होने के चलते जीवन बीमा निगम पर भी कोई असर नहीं हुआ। यदि यूपीए सरकार इन क्षेत्रों का निजीकरण करने में कामयाब हो जाती तो फिर हमारे देश में संकट का असर और भी भीषण होता।

अन्य विकसित पूंजीवादी देशों की तर्ज पर, यूपीए सरकार ने भी भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए अनुमानित 5 लाख करोड़ रूपये का उदार प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया। परंतु इस संकट के सबसे भीषण शिकार हुए श्रमिकों के लिए इस सरकार ने कोई राहत नहीं दी। इन बचाव पैकेजों का अनुभव भी यही दिखाता है कि इनके जरिये दिये गये पैसे से केवल देशी व विदेशी बड़े औद्योगिक घरानों को ही और ज्यादा फायदा पहुंचाया गया है।

12 घंटे का कार्य दिवस थोपना, श्रमिकों पर कामबाढ़ बढ़ाना, बगैर कानूनी प्रक्रिया के औद्योगिक इकाइयां बंद कराना, बिना वैधानिक मुआवजे दिये छंटनी करना आज आम बात हो गई है। भारत सरकार ने बड़ी बेदर्दी से इन लूट खसोटों का साथ दिया ताकि बड़े औद्योगिक घरानों व उनके मुनाफे को बचाया जा सके।

पूंजीवादी बहाली का मिथक

भूमंडलीकरण व बाजार अर्थव्यवस्था के पैरोकार अब गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि संकट का अंतिम छोर आ चुका है तथा अब तो अर्थव्यवस्था की बहाली शुरू हो गई है। वे सभी पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी की ऊंची दर एवं आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को नजरंदाज कर रहे हैं, जिसके चलते साधारण जनता के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है। दुनियां की सबसे बड़ी कार उत्पादक कंपनी जनरल मोटर्स के धराशायी होने के चलते यह मिथक टूट गया है कि संकट शनै-शनै समाप्त हो रहा है। यह पूंजीवादी पैरोकार जनता से इस बात को छुपा रहे हैं कि संकट का चरित्र बदलने का कारण जनता के खजाने से बहुराष्ट्रीय निगमों व बड़े व्यापारिक घरानों को दिए गए अरबों-खरबों डालर की मदद है।

विकसित पूंजीवादी देशों ने इस संकट के एक हिस्से को विकासशील देशों को होने वाले अपने निर्यात बढ़ाकर एवं उनसे आयात घटाकर विकासशील देशों पर ही थोप दिया है।

जैसा कि हमने पूर्व में रेखांकित किया है कि भारत सरकार ने पूंजीपतियों को बचाव पैकेज के नाम पर पांच लाख करोड़ रूपये थाली में परोसकर दे दिए। संप्रग सरकार प्रोत्साहन पैकेज को पूरी तरह इसलिए वापस नहीं ले रही है क्योंकि वह यह जानती है कि निजी क्षेत्र के उद्यमों की वर्तमान लाभप्रदता मुख्यत: इन कंपनियों के खजाने में डाले गए सरकारी धन के कारण ही है। कारपोरेट घरानों को सरकार द्वारा दिए गए बेल आउट का परिणाम न सिर्फ उनकी ऊंची लाभप्रदता में है बल्कि बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद में भी दिख रहा है। भारत में बेरोजगारी व मूल्यवृद्धि ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। यह गरीबों की जेब से समाज के रईस तबकों की तिजोरियों में पैसा पहुंचाने की तिकड़म के अलावा और कुछ नहीं है।

यूरोप में स्थिति गंभीर बनी हुई है जो कि वहां बढ़ते आर्थिक संकट से साफ झलक रही है। 13 फरवरी 2010 के वाल स्ट्रीट जनरल के अंक में लिखा है कि यूरोप बगैर तैयारी के गंभीर आर्थिक संकट में प्रवेश कर रहा है-और जो शुरूआती वैश्विक बहाली दिख रही है वह भी कमजोर क्षेत्रों में अवहनीय सरकारी ऋणों को खड़ा किए जाने के चलते आसानी से धराशायी हो सकती है।

यह लेख ग्रीस के उस तीखे ऋण संकट को संदर्भित कर रहा था जिसके चलते विदेशी निवेशक देश छोड़ने लगे हैं तथा उसकी बैंकिंग व्यवस्था धराशायी होने की कगार पर है। पिछले एक दशक में बैंकों से ऋण प्रदानता का तेजी से विस्तार हुआ और 2008 में आकर यह बुलबुले फूट गए।

इस पत्रिका में लिखा है कि ''ग्रीस की अकर्मण्य अर्थव्यवस्था बचाव प्रयास के उस हृदयस्थल पर है जो पूरे महाद्वीप यहां तक कि शेष विश्व के लिए भी घातक हो सकता है। हालांकि यह परिस्थिति केवल ग्रीस तक सीमित नहीं है। यूरोपीय केन्द्रीय बैंक को यूरोप के सभी देशों को फंड देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।'' जैसा कि जर्नल ने लिखा है कि ''दूसरे देशों को भी यूरोपीय केन्द्रीय बैंक से प्राप्त होने वाली आसान फंडिंग में कटौती हो सकती है।'' इसलिए स्पेन, पुर्तगाल, आइसलैंड व इटली तक पूरे यूरो क्षेत्र में चिंता छा गई है। इसका बाजार पर भी विपरीत प्रभाव होने के आसार हैं। आस्ट्रिया व बेल्जियम भी पीछे नहीं है। अगर इन समस्याओं का जल्द व प्रभावी समाधान न निकाला गया तो यूरोप की बहाली कभी भी पटरी से उतर जायेगी, जिसका समूची दुनिया पर गंभीर प्रभाव होना लाजिमी है।''

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि ''वित्तीय बाजार हमें बता रहे हैं कि यूरो जोन पर संकट छाया है, पर इसके संकेत तो और ज्यादा व्यापक हैं। अवहनीय ऋणों की गति हम सबको बर्बाद कर सकती है।'' जर्मनी सरकार की उस सलाह की ग्रीस की सरकार ने अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताते हुए निंदा की है जिसमें जर्मन सरकार ने ग्रीस के सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन कटौती की सलाह दी थी। ट्रेड यूनियनों ने भी इसका विरोध किया है।

यद्यपि अमरीका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, परंतु विश्व पूंजीवाद में उसकी भूमिका घट रही है, जो अमरीकी डॉलर के वैश्विक मुद्रा के रूप में घटते प्रभाव के रूप में भी प्रतिफलित हो रहा है। पिछली शताब्दी के पचास के दशक तक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उसका लगभग एकाधिकार था। परंतु 2009 में वैश्विक वित्तीय लेन देन में अमरीकी डॉलर का हिस्सा केवल 44 प्रतिशत रह गया। 1999 के शुरूआत में यूरो एक नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उभरा एवं आज वह वैश्विक लेन देन का 25 प्रतिशत हिस्सा है। अमरीकी डॉलर का मूल्य लगातार घट रहा है। जब 1999 में यूरो उभरा तो उसका मूल्य प्रति यूरो 0.80 अमरीकी डालर था। अब एक यूरो 1.50 अमरीकी डॉलर के बराबर है। यह दर्शाता है कि यूरो की तुलना में अमरीकी डॉलर का मूल्य 50 प्रतिशत घट गया है। अमरीकी डालर की डंवाडोल स्थिति के चलते चीन ने तो

एक नई वैश्विक मुद्रा का आह्वान किया है।

ओबामा की नीतियां किधर?

दुनियां के साम्राज्यवादी देश अमेरिका में एक मुस्लिम मूल के अश्वेत अमरीकी, बराक ओबामा, के पहली बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमेरिका व दुनिया भर में एक उन्मादभरा वातावरण तैयार करने का प्रयास हुआ। बदलाव के उनके आह्वान ने दुनिया भर के करोड लोगों में यह आशा जगाई कि वे सामाजिक न्याय पर अपधारित एक नयी विश्व व्यवस्था के लिए काम करेंगे। पद पर आसीन होने के कुछ ही समय के भीतर उन्हें शांति के लिए नोबल पुरस्कार भी दे दिया गया। परंतु घटनाक्रमों ने दिखा दिया कि वे उस वर्ग के प्रति सच्चे बफादार बने हुए हैं जो उन्हें सत्ता में लाया है।

फिलिस्तीन की जनता के प्रति हमदर्दी तो उन्होंने व्यक्त की परंतु फिलिस्तीन की जमीन पर जबरिया कजा कर बैठे इजरायल से उस जमीन को खाली करने पर उन्होंने जोर नही दिया। अवैध कजों के संबंध में संयुक्तराष्ट्र संघ की रिपोर्ट आ जाने के बाद भी वे कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। उन्होंने इराक पर सैन्य कब्जे तथा ईराक में मौजूद बहुराष्ट्रीय तेल कम्पनियों के हितों का संरक्षण जारी रखा। उन्होंने अफगानिस्तान में 30000 अमरीकी सैनिक बढ़ा दिए तथा ड्रोन हमलों के जरिये बडी तादाद में नागरिकों की हत्या की। सूडान में उन्होंने बुश प्रशासन की आक्रामक नीतियों को ही आगे बढ़ाते हुये उस देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी जारी रखी। उन्होंने ताईवान को सैन्य सहयोग देते हुए चीनी मातृभूमि के शांतिपूर्ण एकीकरण में समस्याएं पैदा की। उन्होंने दलाईलामा की तिब्बत में जारी विघटनकारी गतिविधियों को खुलकर बढ़ावा दिया, और चीन के विरोध के बाद भी दलाईलामा से मुलाकात की।

लातिन अमरीका की जनता की सार्वभौमिक राय के बावजूद ओबामा प्रशासन ने क्यूबा पर दशकों पुरानी आर्थिक नाकेबंदी को जारी रखा है तथा क्यूबा की समाजवादी सरकार के खिलाफ वहां की प्रतिक्रियाशील शक्तियों को दी जा रही मदद रोकने से भी इंकार कर दिया है।

ओबामा प्रशासन ने हान्डूरस के जनवादी रूप से चुने गए राष्ट्रपति को मान्यता देने

से इंकार करते हुए एक विद्रोही नेता की पुनः चुनाव हेतु दबाव डालने की कार्यवाही को वैधानिकता दे दी। कोलम्बिया में ओबामा प्रशासन मादक पदार्थों के माफिया महाप्रभुओं व पिट्ठू सरकार को कोलम्बियाई जनता के क्रांतिकारी संघर्ष को दबाने के लिये बढ़ावा दे रहा है। ओबामा प्रशासन भारत-अमरीकी नाभिकीय संधि के उन अपमानजनक प्रावधानों का अनुमोदन करना जारी रखे हुए है जो भारत की सम्प्रभुता पर विपरीत प्रभाव डालते है।

यूरोप में ओबामा मिसाईल विरोधी प्रतिरोध प्रणाली को उस बदले हुए स्थान पर स्थापित करने में लगे हुए हैं जिसका रूस प्रबल विरोध कर रहा है। वह ईरान विरोधी नीतियों को जारी रख मध्य पूर्व में तनाव बनाए हुए है।

दुनिया भर में अमरीका के 130 सैन्य अड्डे है। ओबामा प्रशासन ने इन सैन्य अड्डों को समाप्त करने का कोई कदम नही उठाया है। इससे साफ है कि विश्व थानेदार बनने की बुश प्रशासन की प्रभुत्वकारी नीतियों को ही वो आगे बढ़ा रहा है।

लातिन अमरीका में नया उभार

दक्षिण अमरीकी देशों के संघ का विशेष शिखर सम्मेलन 28 अगस्त 2009 को रियोनेग्रो(अर्जेन्टीना) में सम्पन्न हुआ। इसमे लातिन अमरीकी देशों में विदेशी सैन्य अड्डों का विरोध करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने कोलम्बिया की पिट्ठू सरकार व अमरीका के बीच हुए उस समझौते का विरोध किया जिसके तहत अमरीका को तीन हवाई अड्डों, दो सैनिक प्रतिष्ठानों व दो नौसेना बंदरगाहों में लम्बे समय तक आने-जाने की अनुमति दी गयी है। इस समझौते का मूल उद्देश्य कोलम्बिया की क्रांतिकारी सैन्य शक्ति का मुकाबला करना था। इन देशों ने हाँन्डूरस के अपदस्थ राष्ट्रपति मेनुअल जेलाया की बहाली की भी मांग की। क्यूबा, वेनेजुएला व वोलीविया ने अमेरिका के लिए बोलिवारियन एलायंस नाम के एक और गठबंधन बनाया है जो संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नेतृत्व वाले मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में हैं। आर्थिक सहयोग व एकजुटता के लिए निकारागुआ, हाँन्डूरास, इक्वाडोर व अन्य छोटे करीबियाई देश भी बाद में इसमें शामिल हो गए।

अमरीकी राष्ट्रों के संगठन की एक बैठक जिसमें अमेरिका व केनेडा तो शामिल

है पर क्यूबा को इससे बाहर रखा गया है। बैठक में अधिकांश लातिन अमेरिकी देशों ने इस संगठन में क्यूबा को शामिल करने की मांग की तथा उस पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया।

इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के पश्चात रफायल कोरिया ने अमरीकी सैनिक अड्डों को हटाने की मांग की। इक्वाडोर आज कोलम्बिया के मुक्तिसंघर्ष का समर्थन कर रहा है तथा वहां के 5-6 लाख शरणर्थियों को शरण दिये हुए है। वेनेजुएला ने पहले ही अमेरीकी साम्राज्यवाद का जबर्दस्त विरोध किया है एवं अपने देश में काम कर रहीं अमरीकी तेल कम्पनियों के खिलाफ पहला कदम उठा लिया है। बोलीविया ने पुन: द्वद्य इवा मोरालेस को राष्ट्रपति चुना है जिसने विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीकरण कर दिया एवं स्वतंत्र आर्थिक विकास का रास्ता तय किया है। ब्राजील में लूला सरकार ने पहले ही स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के विकास के कदम उठाये है एवं भूमण्डलीकरण की नीतियों का विरोध किया है।

कोलम्बिया व चिली को छोड़कर लगभग सभी लातिन अमरीकी देशों में या तो वामपंथी सरकारों का गठन हुआ है या अपनी अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपनी स्थिति मजबूत की है।

जिस लातिन अमरीका को अमरीकी साम्राज्यवाद का पिछवाडा समझा जाता था, वही आज अमरीकी साम्राज्यवादी तिकड़मों व भूमण्डलीकरण के खिलाफ संधर्ष की अगली कतार में है। भूमण्डलीकरण के विरूद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को मजबूत करने के लिए 18 से 23 अप्रेल 2010 के बीच "भूमण्डलीकरण के खिलाफ तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए" एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन साओ पाओलो में आयेजित किया जा रहा है। सीटू इस प्रस्ताव का समर्थन करती है व सम्मेलन की शानदार सफलता की कामना करती है। हम इस महत्व्पूर्ण सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल भी भेज रहे है।

समाजवादी देशों की चमकदार उपलब्धियां

पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में विश्व व्यापी गिरावट के बावजूद हमारे पिछले सम्मेलन के बाद से समाजवादी देशों ने चमचमाती उपलब्धियां दर्ज की है। 130 करोड की जनसंख्या वाले चीन को पूंजीवादी अर्थशास्त्री तक विश्व अर्थव्यवस्था

के विकास के इंजिन की संज्ञा दे रहे है। वैश्विक आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप चीन के निर्यात को एक धक्का तो जरूर लगा था, परंतु उसने जनहितेषी प्रोत्साहन पैकेज को लागू कर प्रतिकूलताओं से निजात पा लिया है तथा अब उसकी अर्थव्यवस्था प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। चीन 550 करोड टन इस्पात का उत्पादन करता है जबकि अमरीका केवल 10 करोड़ टन ही पैदा करता है। वह सबसे बड़े माल निर्यातक के रूप में जर्मनी से भी आगे निकल गया है एवं अमरीका के बाद दूसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था बनने के लिए वह जापान को भी लांघने वाला है। कई अमरीकी अर्थशास्त्रियों का आंकलन है कि अगर आर्थिक विकास का यही रूझान बना रहा तो 2030 तक वह शायद अमरीका की अर्थव्यवस्था से भी आगे चला जायेगा। चीन की अर्थव्यवस्था असंतुलित विकास की समस्या झेल रही है तथा सरकार पूरे देश के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कमजोर क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष कदम उठा रही है।

वियतनाम की अर्थव्यवस्था ने भी उल्लेखनीय प्रगति की है तथा गत तीन वर्षों में वहां की जनता के जीवन स्तर में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुयी है। चीन की तरह वियतनाम की अर्थव्यवस्था ने भी वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद वृद्धि दर्ज की है।

दशकों से अमरीकी साम्रज्यवाद द्वारा थोपी गई अमानवीय नाकेबंदी के बावजूद बहादुर क्यूबा अपनी आर्थिक प्रगति को जारी रखे हुए है। हमने हाल ही में क्यूबाई क्रांति की 50 वीं वर्षगाठ मनायी है। अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्यूबा के पांच बहादुर वीरों को सजा दे दी है। इन योद्धाओं को समूची दुनिया से व्यापक समर्थन मिल रहा है तथा उनकी बिना शर्त मुक्ति की आवाज पूरी दुनियां में उठ रही है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाजवादी निर्माण में क्यूबा द्वारा हासिल प्रगति का दुनिया में कोई सानी नहीं है। यहां तक कि क्यूबा विभिन्न विकासशील देशों को अपने चिकित्सक भेज दूसरे देशों के साथ एकजुटता व्यक्त कर रहा है। सभी प्रतिनिधियों की ओर से हम क्यूबा की बहादुर जनता व उनके प्रिय नेता फिदेल कास्त्रो को सलाम करते है। जनता का जनतांत्रिक राज्य कोरिया अमरीकी साम्राज्यवादी प्रयासों व नाभकीय ब्लेकमेल का प्रतिरोध कर रहा है। उधर कोरिया की जनता अमरीकी साम्राज्यवाद

की धमकियों के बावजूद सीना ताने खड़ी है। हम कोरियाई जनता के राष्ट्रीय एकीकरण के जायज संघर्षों का समर्थन करते है तथा दक्षिण कोरिया से अमरीकी फौजों को हटाने की मांग करते है। दुनिया में पूंजीवादी शोषण का खात्मा कर शांति व समाजवाद की स्थापना के लिए दुनिया भर के मेहनतकशों के संघर्ष में आज समाजवादी देश प्रेरणा के स्रोत बने हुए है।

ब्रिक गठबंधन

14 मई 2008 को रूस के याकतेरिंगवर्ग में रूस, चीन, भारत तथा ब्राजील के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुयी जिसमें इन देशों ने एक गठबंधन कायम किया जो ब्रिक नाम से विख्यात हुआ। गठबंधन के घटक देशों में दुनिया की जनसंख्या का 40 प्रतिशत रहता है तथा इनका समग्र सकल घरेलू उत्पाद जी-8 देशों के आधे के बराबर है। दुनिया के इन प्रमुख उभरते देशों के पास विश्व स्तर पर जी 8 देशों के वर्चस्व को चुनौती देने की बड़ी संभावनाएं हैं। यह देश 2020 तक जी 8 देशों के सकल घरेलू उत्पाद को लांघने की पूरी क्षमता रखते हैं जो दुनिया के घटनाचक्र को तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन जायेगा। ब्रिक गठबंधन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि "मंत्रियों ने यह पाया है कि विश्व अर्थव्यवस्था का वहनीय विकास एक दीर्घकालिक नजरिया है इसी के साथ हमारे समय की तीखी वैश्विक समस्याएं, जैसे गरीबी, भूख व बीमारियों के समाधान ढूंढने का काम केवल तब ही संभव है जब सभी देशों के हितों की सही देखभाल एक न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के भीतर हो।"

इसके पूर्व रूस, चीन व मध्य एशियाई देशों द्वारा बनाये गये शंघाई ग्रुप ने एक शक्तिशाली रणनीतिक गठजोड़ निर्मित किया है जो एक ध्रुवीय विश्व के होने को ही चुनौती दे रहा है। इस गठबंधन में भारत एक दर्शक के रूप में शामिल है। इस गठबंधन के मजबूत होने से साम्राज्यवादी करतूतों व विस्तारवादी षड़यंत्रों को कड़ी चुनौती मिलेगी।

हमारे पड़ोसी देशों के हालात

इस जनवरी में बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा भारत के

अपने पूर्वी पड़ोसियों के संबंधों के लिहाज से एक मील का पत्थर रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही इसे भारत के साथ एक नए भविष्योन्मुखी संबंध बनाने के ऐतिहासिक मौके के रूप में व्याखयायित किया है। हाल ही में बंगलादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घिनौने हत्यारों को सजा दिलवाये जाने का महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। हालांकि तत्ववादी ताकतों की घिनौनी करतूतों के चलते इसमें दशकों का विलंब हुआ। शेख हसीना के आगमन के दौरान पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए इनमें आतंकवाद व सीमा पार अपराध का मुकाबला करने, बंगलादेश में आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए एक बिलियन डालर के ऋण उपलब्ध कराने, बंगलादेश को 250 मेगावाट बिजली सप्लाई की प्रतिबद्धता तय करने, बगैर तटकर के माल भारत लाने तथा बांगलादेश में भारतीय निवेश किए जाने के समझौते शामिल हैं। इन समझौतों के ठीक से लागू होने से दोनों देशों के बीच दोस्ती के रिश्ते निश्चित ही और मजबूत होंगे।

हमारे दक्षिणी पड़ोसी श्रीलंका ने महिन्द्रा राजपक्षे की सरकार द्वारा लिट्टे के खिलाफ की गई खूनी सैनिक कार्यवाही को देखा है। सेना प्रमुख सरथ फोनसेका ने इस लंबी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिसका परिणाम लिट्टे के खात्मे में हुआ और व्ही प्रभाकरण एक सैनिक कार्रवाई में मारा गया। राजपक्षे ने फोनसेका की लिट्टे को हराने में उनके नेतृत्व की महती प्रशंसा की तथा इस फायदेमंद परिस्थिति को भुनाने के उद्देश्य से जल्द चुनावों की घोषणा कर दी। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि फोनसेका उनके विपक्षी उम्मीदवार बनेंगे। चुनावी जंग दोनों के आरोपों व प्रत्यारोपों से भरा रहा एवं अंततः राजपक्षे ने निर्णायक जीत हासिल की। फोनसेका ने चुनाव में भारी अनयिमितता के आरोप लगाये परंतु राजपक्षे ने फोनसेका को आपराधिक प्रकरणों में फंसा दिया। इस बीच तीन लाख नागरिक, जिनमें अधिकांश तमिल मूल के हैं, मानवीय अस्तित्व के लिए जरूरी न्यूनतम आवश्यकताओं तक की कमी झेल रहे हैं। कई लोग तमिलनाडु पलायन कर गए जिनको पुर्नस्थापित करना एक बड़ी समस्या बन गयी है। भारत सरकार ने सांकेतिक सहायता भेजी है परंतु तमिल अल्पसंख्यकों के पूर्ण पुर्नस्थापन एवं वास्तविक स्वायत्ता की उनकी मांग को अभी भी पूरा करना बाकी है।

पाकिस्तान में स्थिति अनिश्चितता भरी बनी हुयी है। तालिबान के आत्मघाती हमलों से कई निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। लश्कर ए तयबा एवं अन्य तत्ववादी शक्तियों ने अपने खुंखार तेबरों के साथ अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। अमरीकी सशस्त्र सेनाओं द्वारा तालिबानी अड्डों पर ड्रोन के उपयोग से की गयी सीधी कार्रवाई के चलते तमाम नागरिकों की मौतें हुई हैं जिसके कारण जनता में तनाव व्याप्त है। कश्मीर में बढ़ रही घटनाओं ने भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव में बढ़ोत्तरी की है। दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत का अभाव स्थिति को और जटिल बना रहा है। जरदारी सरकार राष्ट्रीय समस्याओं से मुकाबला करने में अक्षम है। यहां तक कि न्यायपालिका से भी टकराव हो रहा है।

भारत व पाकिस्तान, दोनों की सरकारों ने अमरीकापरस्त नीतियां अपना रखी हैं तथा साम्राज्यवादी ताकत दोनों ही सरकारों का उपयोग एशिया में अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कर रही हैं। दोनों सरकारों की अमरीका के साथ रणनीतिक साझेदारी अमरीकी साम्राज्यवाद को मदद पहुंचा रही है और वह कश्मीर सहित अन्य अनसुलझे विवादों को सुलझाने के लिए अपने प्रस्ताव आगे बढ़ा रहा है।

अमरीकी साम्राज्यवादियों ने पाकिस्तान व अफगानिस्तान के लिए एक साझी नीति बनाई है जो अफ-पाक की नीति के रूप में जाना जाता है। भारत इस नीति का समर्थन कर रहा है। अफगानिस्तान में हाल ही के तालिबानी ताकतों के आत्मघाती हमले में नौ भारतीयों की हत्या की भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुयी है। दोनों देशों में अल कायदा की गतिविधियां जारी हैं। अल कायदा व तालिबान, दोनों ने भारत को लक्ष्य बना रखा है। अफगानिस्तान में अतिरिक्त अमरीकी फौज भेजने से अमरीका के लिए स्थिति सुधरी नहीं है। इसने तो लड़ाई को और तीखा कर दिया है।

हमारा उत्तरी पड़ोसी राज्य नेपाल जटिल समस्याएं झेल रहा है। आतंरिक विवादों के चलते नेपाल के नए गणतंत्रीय संविधान तैयार करने के लिए राजनैतिक समझौते में देरी हो रही है। नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी माओवादी के नेतृत्व में प्रचंड सरकार के त्यागपत्र एवं यूमाले के नेतृत्व वाली माधव नेपाल सरकार के गठन ने देश में नया तनाव पैदा कर दिया है। माओवादियों ने माधव नेपाल सरकार पर भारत सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया है तथा वह सरकार से

सहयोग करने से इंकार कर रही है। माओवादियों ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। नेपाली सेना में माओवादी सेना के विलय का प्रश्न नये विवादों को पैदा कर रहा है। माओवादी भारत-नेपाल समझौते के पुर्नपरीक्षण की भी मांग कर रहे हैं।

नेपाल में जब तक एक राजनैतिक समझौते पर पहुंच कर देश के लिए एक नए गणतंत्रीय संविधान के लिखे जाने के काम की शुरूआत नहीं हो जाती तब तक वहां की स्थिति और बिगड़ती जायेगी। राजशाही के खिलाफ नेपाली जनता के संघर्ष के फल नेपाल की जनता को तब तक नहीं मिल पायेंगे जब तक पूर्व में तय किए गए रोडमैप को लागू करने की राजनैतिक समझदारी नहीं बन जाती।

यूपीए सरकार की नीतियां

जब पूरी दुनिया में अमरीकी विस्तारवाद के खिलाफ ऐसा मजबूत प्रतिरोध खड़ा हो रहा है जो एक ध्रुवीय विश्व की अवधारणा पर ही करारी चोट कर रहा हो तब यूपीए सरकार ने अमरीकी साम्राज्यवादियों की विश्वव्यापी षड़यंत्रों के तले घुटने टेकना स्वीकार लिया है। आज के पहले किसी प्रधानमंत्री ने अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ किसी प्रकार की रणनीतिक साझेदारी नहीं स्वीकारी है। अमरीका व भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभयास, कलाईकुण्डा में वायुसेना, मलाबार तट पर नौसेनिक अभयास एवं मध्यप्रदेश में पैदल सैनिक अभयास ने अमरीका के साथ भारत के रणनीतिक हित जोड़ दिए हैं। ईरान गैस पाईपलाइन समझौते को आगे बढ़ाने में भारत की मनाही, ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को यूपीए सरकार का समर्थन, अफगानिस्तान में अमरीकी लक्ष्यों के प्रति भारत का समर्पण कोपनहेगन जलवायु सम्मेलन में भारत का अपनी नीतियों को उलट लेना, इजरायल के साथ बढ़ते सैन्य रिश्ते, अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ राष्ट्र विरोधी नाभिकीय संधि को आगे बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता, मनमोहन सरकार द्वारा अमरीकी पूंजी को दी उदार रियायतों ने भारतीय उद्योग में और तीव्र प्रवेश के रास्ते को सुगम कर दिया है। भारत सरकार की विदेश नीति में दक्षिणपंथी झुकाव के तमाम संकेतों में से कुछ एक है।

स्वतंत्र विदेश नीति की अवधारणा को भुलाकर मनमोहन सिंह की सरकार ने साफ

तौर पर एशियाई महाद्वीप पर अमरीकी साम्राज्यवाद की नीतियों की आक्रामक रूपरेखा पर एक दोयम दर्जे की भूमिका अपना ली है। भारत सरकार की इस भूमिका ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के भीतर भारत की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है।

यूपीए सरकार हर हमेशा अपने इस दावे की डींगे मारती फिरती है कि भारत सकल घरेलू उत्पाद के वार्षिक 7 से 8 प्रतिशत वृद्धि के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्था बन गई है। इस विकास का लाभ उदारीकरण के शुरूआत से कार्पोरेट घरानों को सौंपी गई तमाम छूटों के चलते उन्हीं के खजानों में पहुंचा है। विश्व संपदा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 52 डॉलर बिलियनर्स है जो एक चौथाई राष्ट्रीय आय को नियंत्रित करते हैं। आर्थिक विकास के फायदे तो वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट की उस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है जिसमें उसके द्वारा सर्वे किये गए 88 देशों में से भारत का स्थान 66 वां है। जैसा हमने पूर्व में ही कहा है, डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार भारत के असंगठित श्रमिकों का 77 प्रतिशत 20 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम पर जीवन जी रहा है। यू.एन.डी.पी.की वर्ष 2009 की जारी मानव विकास रिपार्ट में शामिल कुल 182 देशों में भारत का 134 वें पायदान पर होने से इस तथ्य की पुनः पुष्टी हो जाती है। पांच वर्ष पूर्व जारी ऐसी ही रिपोर्ट में भारत 123 वें स्थान पर था जिससे हालत बिगडने की पुष्टी होती है। हालांकि भारत सरकार आंकडों में हेराफेरी कर यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि गरीबी कम हो रही है तथा गरीबी की रेखा के नीचे वाले राशन कार्डों से भी गरीबों को वंचित कर रही है। स्थिति यहां तक है कि गरीबी के रेखा के नीचे वालों की संख्या में वृद्धि करने वाली तमाम रिपोर्ट्स को भी यू पी ए सरकार अनदेखी कर रही है।

लोक सभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद से यू पी ए सरकार ने और दृढ़ता से भूमण्डलीकरण व बाजारवादी नीतियों को आगे बढ़ाना शुरु कर दिया है। चूंकि अब उसकी वामपंथी दलों पर से निर्भरता समाप्त हो गई है इसलिये वह घमंडी व हठी रूप से आई एम एफ व विश्वबैंक की नीतियों को लागू कर रही है।

आम जरूरतों की चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के चलते गरीबों का जीवन तबाही झेल रहा है। आवश्यक वस्तुओं के वायदा व्यापार पर से रोक लगाने से

यह सरकार इंकार कर रही है तथा खुले बाजार से आवश्यक वस्तुओं की खरीदी हेतु व्यापारियों को अनुमति देकर सरकारी खरीदी को कम कर रही है। फसलों के समर्थन मूल्य इतने कम तय किये जा रहे है कि खाद्यान्नों की पैदावार करना किसानों के लिये हानिप्रद बन गया है। गन्ना पैदा करने वाले किसानों को शक्कर कारखानों के मालिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नही दे रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ध्वस्त हो जाने से हालत और बदतर हो गये है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में सरकार ने प्रति परिवार को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 25 किलो अनाज देने का प्रस्ताव दिया है जबकि अभी भी कई राज्यों में प्रति परिवार 35 किलो अनाज 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है। वर्तमान में पेट्रोल-डीजल में की गयी मूल्य वृद्धि आग में घी डालने का ही काम करेगी। देश में बढ़ती बेरोजगारी के चलते बेरोजगारों की संख्या 16 करोड से ऊपर चली गयी है और केन्द्रीय सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं व औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में कटौती की जा रही है। उदार आयात नीति के चलते तमाम पारम्परिक उद्योगों, लघु उद्योगों की इकाइयां बंद हो रही है जिससे स्थिति और बदतर हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में हालांकि 100 दिन के रोजगार का वायदा किया गया है लेकिन औसत केवल 52 दिन का रोजगार ही दिया जा रहा है और किसी को भी बेकारी भत्ता नही दिया जा रहा। सरकार के भीषण भ्रष्टाचार के चलते जरूरतमंद गरीबों तक मदद नही पहुंच पाती। पिछली इंडियन लेबर कान्फ्रेंस ने रोजगार गारंटी योजना का विस्तार शहरों में भी मांग करते हुए आई एल ओ की अनुशंसाओं के तहत 180 दिन का काम मुहैया कराने की मांग की। साझा न्यूनतम कार्यक्रम 2004 में ऐसी योजना शामिल होने के बाद भी सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। भारत में रोजगार बीमा शुरू करने की इंडियन लेबर कान्फ्रेंस की सर्वसम्मत अनुशंसा को भी यू पी ए सरकार ने तुरंत नकार दिया।

नियोक्ताओं द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करना आम रिवाज बन गया है। काम के घंटे में वृद्धि, बिना अनुमति के कारखाना बंदी, छंटनी व ले आफ, मुआवजों का भुगतान न करना,बिना कानूनी कार्यवाही के ट्रेड यूनियन नेताओं पर दमन, न्यूनतम वेतन कानून का पालन न करना, सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ती करने के बाद भी ट्रेड यूनियनों का पंजीयन न करना, निवेश के नाम पर बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों द्वारा किये जा रहे गैर कानूनी कार्यों को संज्ञान तक न लेना, कानूनी प्रावधान होने के बावजूद तमाम क्षेत्रों में महिला कामगारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाना, वाजिब मामले होने के बाद भी सरकार द्वारा इनके कानूनी निराकरण के लिये संदर्भित नही करना, बारहमासी व स्थायी कामों में भी ठेका मजदूरों को लगाना, कानूनी प्रतिबंधों के बाद भी घातक कामों में बाल श्रमिकों से काम लेना आदि श्रम कानूनों के उल्लंघन के कुछ आयाम है। सरकार की न्याय प्रक्रिया के बेहद लम्बे होने के चलते व्यवहारत: यह श्रमिकों को न्याय से इंकार की प्रक्रिया बन गयी है।

यहां तक कि यूनियन को पंजीबद्ध कराने के कारण भी श्रमिक नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही कर दी जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा विशेष निर्यात क्षेत्रों में किसी भी किस्म के श्रम कानूनों के अमल से छूट के चलते यह जंगल राज के नये टापुओं में बदल गये है। खुद भारत सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन करा रही है। ऐसे में ट्रेड यूनियन आन्दोलन को श्रम कानूनों के पालन के लिये कठिन लड़ाई लड़नी पडी है। तमाम ऐसे उदाहरण है जहां श्रम कानूनों के पालन की मांग करने पर श्रमिकों को निर्मम पुलिस दमन झेलना पडा है। देश के असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की विराट आबादी के मामले में केंद्र सरकार घडियाली आंसू बहाने और हमदर्दी जाहिर करने में लगी है। आधिकारिक रूप से यह स्वीकार किया गया है कि देश की कुल श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। यह भारत सरकार ही है जिसने श्रम कानूनों के दायरे से वंचित कर इन्हें असंगठित क्षेत्र का बनाया है। जो कानून भारत सरकार लायी है उससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई भी लाभ नही मिलता। इस संदर्भ में भारत सरकार ने श्रम के मामलों की संसदीय स्टेन्डिंग कमेटी तथा डां. अर्जुन सेनगुप्ता की रिपोट्स की अनुशंसाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया।

इसलिये तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने औद्योगिक घरानों पर टेक्स लगाकर एक ऐसे विशेष फण्ड के निर्माण की मांग की है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सकें। इसमें क्रमबद्ध तरीके से समूचे असंगठित क्षेत्र को शामिल करने की मांग की गयी है ताकि समयबद्ध तरीके से सभी को लाभ मिल सकें। यू पी ए सरकार ने 2010-11 के बजट में केवल 1000 करोड रुपये

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कल्याण योजनाओं के लिये रखा है। इस राशी से तो छोंक भी नही लगा सकता। इसलिये जरूरी है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वाजिब सामाजिक सुरक्षा देने के लिये विराट राशी आवंटित की जावे।

यू पी ए सरकार की विनिवेश की मुहिम से अंततः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की ओर ले जावेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का कुल रिजर्व फंड 5.50 लाख करोड तक पहुंच गया है और विगत 5 वर्षों में घाटे में चल रही सार्वजनिक उद्योगों की इकाइयों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आयी है। सार्वजनिक उद्योगों का प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है इसलिये इनके विनिवेश किये जाने का कोई औचित्य नही बनता। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने भारत में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनकी इस भूमिका को समाप्त करना चाहते है। इसलिये केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। फिर भी केंद्र सरकार बजट्र घाटे की प्रतिपूर्ती के लिये विनिवेश के जरिये 25000 करोड रुपये जुटाने के लिये प्रतिबद्धता दिखा रही है। समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को इस नीति का पूरी ताकत से प्रतिरोध करना चाहिये।

उल्लेखनीय ट्रेड यूनियन एकता

भारत में उल्लेखनीय ट्रेड यूनियन एकता का निर्माण हुआ है। पिछले वर्ष सितंबर माह में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने दिल्ली में राष्ट्रीय कनवेंशन कर 5 सूत्रीय मांगों पर राष्ट्रव्यापी संयुक्त आंदोलन करने का निर्णय लिया। 28 अक्टूबर 2009 को समूचे देश में विरोध दिवस मनाया गया और 16 दिसंबर 2009 को संसद के समक्ष विराट धरना दिया गया। 5 मार्च को देश भर में कामयाब जेल भरो आंदोलन हुआ है। अन्य केंद्रीय श्रमिक संगठनों से सलाह कर हमें भावी कार्यक्रम बनाना चाहिये।

हमें यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाने चाहिये कि जो एकता ऊपर से बन रही है वह जमीनी स्तर तक मजबूत हो ताकि आनेवाले समय संघर्षों को तीव्र किया जा सके। देश के श्रमिक वर्ग में इस बात की तीव्र आकांक्षा है कि भूमंडलीकरण व बाजारवाद की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में सभी संबद्धताओं के

लोग शामिल हों। इस भावना का वर्गीय एकता को मजबूत करने के लिये उपयोग करते हुए सांगठनिक रूप से इसे और मजबूत करने के लिये योजना बनानी चाहिये। पेंशन फण्ड का निजीकरण कर उसे शेयर मार्केट में लगाने वाले पेंशन बिल जैसे कई अन्य मुद्दे भी हैं। इस पेंशन बिल के जरिये पेंशन योजना की समाज कल्याण की अवधारणा को ही समाप्त किया जा रहा है। इसका केवल उन फड मैनेजर्स को ही फायदा मिलेगा जो मजदूरों की पेंशन योजना को भी लाभ कमाने का उपक्रम बना लेंगे। आउटसोर्सिंग,ठेकेदारीकरण व अस्थायीकरण ऐसी समस्या बन गयी है जो श्रम शक्ति को तो सस्ता बना ही रही बल्कि इससे देश के मजदूर वर्ग के ऊपर नयी गुलामी भी थोपी जा रही है। इसलिये इस नीति, जिसकी वकालत श्रम की लोचनीयता के नाम पर की जा रही है, के खिलाफ समूचे ट्रेड यूनियन आन्दोलन को संघर्ष करना चाहिये, ताकि सम्मानजनक काम का अधिकार स्थापित हो सके।

समर्पित व शिक्षित कार्यकर्ताओं, सक्रिय सदस्यों के आधार पर जब तक सी. आई. टी. यू. को मजबूत नही बनाया जाता तब तक वर्ग संघर्ष को तेज नही किया जा सकता। इसलिये आगामी दिनों में हमें इसी कार्यभार को सर्वोच्च प्राथमिकता से लेना होगा ताकि हम पूंजीवादी वर्ग द्वारा पेश की जा रही चुनौतियों का मुकाबला कर सकें। भारत में भूमण्डलीकरण विरोधी संघर्ष तब तक शक्तिशाली नही बन सकता जब तक किसानों और खेत मजदूरों की विराट आबादी को इसमें शामिल नही कर लिया जाता। हमने वर्ष ख्स्त्र में एक कन्वेंशन आयोजित की और एक मांग दिवस भी मनाया, लेकिन भूमंडलीकरण विरोधी साझा संघर्ष के लिये जरूरी मजदूर किसान मैत्री मजबूत करने के लिये पूरी शक्ति से प्रयास करना होगा। इस काम को हमें प्राथमिकता से लेना होगा क्योंकि अकेले इसी से भूमंडलीकरण की नीतियों को पलटा जा सकता है।

यह सी.आई.ओ.यू. सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब मजदूर वर्ग के आन्दोलन के समक्ष बड़ी बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत है। हमारे समक्ष शक्तिशाली संघर्षों में मजबूत एकता निर्मित करने का कार्यभार है ताकि हम सरकार की नीतियों को पलट सकें। इसी के साथ हमें मजदूरवर्ग को इस बात के लिये शिक्षित करना होगा कि जब तक पूंजीवादी शोषण का खात्मा कर समाजवादी व्यवस्था की

कायमी नही कर ली जाती तब तक मजदूरों के काम के हालत व जीवन की हालतों में बुनियादी परिवर्तन नही हो सकता। इसलिये ट्रेड यूनियन आन्दोलन में उस वैचारिक संघर्ष का बडा महत्व है जिसके जरिये मजदूर वर्ग में मौजूद पूंजीवादी वैचारिक प्रभावों का खात्मा किया जा सकें। आइये, हम अपने आप को इस ऐतिहासिक लक्ष्य के लिये समर्पित करें ता कि पूंजीवादी मारक हमलों के विरुद्ध आगामी समय में ताकतवर संघर्ष खडे किया जा सकें। आइये मजदूर वर्ग की क्रांतिकारी विचारधारा से लैस हो तमाम बाधाओं को पार कर इस भारत भूमि पर समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ें।

सी.आई.टी. यू. जिन्दाबाद!
समूची दुनिया में जारी सामराजी षड़यंत्र मुर्दाबाद!
दुनिया के मजदूर एक हो!

एम के पंधे
अध्यक्ष, सी.आई. टी.यू.

महासचिव की रिपोर्ट

(सीआइटीयू के तेरहवें अधिवेशन, जोकि 17 से 21 मार्च 2010 को चण्डीगढ़ में आयोजित किया गया था, द्वारा पारित)

प्रिय कॉमरेड,

सी.आई.टी.यू. का यह 13वां महाधिवेशन ऐसे समय हो रहा है, जब सीटू की स्थापना करने वाले एवं पिछले चार दशक से लगातार सीटू के उपाध्यक्ष और भारत के मजदूर आन्दोलन के अग्रणी नेता का० ज्योति बसु आज हमारे बीच नहीं रहे। लम्बी बीमारी के बाद उन्होने अभी दो माह पूर्व 17 जनवरी 2010 को 95 वर्ष की आयु में अन्तिम सांस ली। इस प्रकार देश ने मेहनतकशों एवं जनवादी आन्दोलन के महान नेता और राजनैतिक युगदृष्टा एवं बहुत उँचे कद की राजनैतिक हस्ती को खो दिया है। सीटू के लिए तो यह अपूरणनीय क्षति है।

हम बहुत भारी मन से यह याद कर रहे हैं कि 12वें अधिवेशन में पुनः सीटू के महासचिव चुने जाने के मात्र एक माह के बाद ही, हमने फरवरी 2007 में का० चित्तवृत मजूमदार को भी खो दिया। सीटू की स्थापना के समय से ही हमारे नेता रहे, सीटू के उपाध्यक्ष एवं 1995 से 2004 के बीच हमारे अध्यक्ष रहे का० ई० बालानन्दन भी हमारे बीच नहीं रहे, लम्बी बीमारी से जूझते हुए का० बालानन्दन ने 19 जनवरी 2009 को अन्तिम

सांस ली। सीटू के कोषाध्यक्ष का० रन्जीत बसु भी 25 सितम्बर 2010 को हमें छोड़ गए। अभी हाल ही में 11 फरवरी 2010 को अचानक एवं दुखद ढ़ंग से सीटू के सचिव का० डब्ल्यू० आर० वरदराजन की मौत से हमें बहुत झटका लगा है।

इस दौरान बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी और महान कम्युनिस्ट नेता एवं जन आन्दोलन के महान नेता का० हरकिशन सिंह सुरजीत ने 1 अगस्त 2008 को देह त्याग दी। उनकी मृत्यु से जनवादी आन्दोलन में बहुत भारी शून्य पैदा हो गया है।

मैं अपने महान नेताओं को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजली अर्पित करते हुए, आप के समक्ष महासचिव की यह रिपोर्ट सीटू के इस 13वें महाधिवेशन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. अर्न्तराष्ट्रीय परिस्थितियाँ

2.1 इस 13वें महाधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए का० पन्धे ने अर्न्तराष्ट्रीय हालातों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा की है। अर्न्तराष्ट्रीय परिदृश्य में अद्वितीय विश्वव्यापी संकट जिसके चलते बड़े–बड़े पूँजीवादी देशों में भी अर्थव्यवस्था की बधिया ही बैठने के हालात बन चुके हैं। इसके लिए नव उदारवादी नीतियों के तहत सट्टेबाजी पर आधारित, अनियंत्रित स्वतंत्र बाजारवाद की व्यवस्था जिम्मेदार है। अब चारों ओर से यह आवाज उठ रही है कि इन नवउदारवादी नीतियों को उठाकर कूड़ेदान में फेंकना आवश्यक हो गया है। इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि यह परिस्थितियाँ मेहनतकशों और आम आदमी के आन्दोलनों के खिलाफ है, जिनके हितों की रक्षा के लिए सीटू संघर्ष करती है।

2.2 हमारे पिछले महाधिवेशन के बाद के दौर में अर्न्तराष्ट्रीय परिदृश्य में हमने देखा है कि अमरीका की आर्थिक, राजनैतिक एवं सैन्य दादागीरी को लैटिन अमरीकी क्षेत्र और मध्य पूर्व में भारी धक्का लगा है। इस लिए अमरीकी साम्राज्यवादी अन्य क्षेत्रों में अपना विस्तार करने कोशिश में हैं। अब इन शक्तियों ने अपनी कपटपूर्ण नजर एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर लगा रखी है। इसके साथ–साथ अभी भी उसने फिलिस्तीन के विरुद्ध दादागीरी एवं क्यूबा के खिलाफ अनुचित प्रतिबन्ध

तथा इरान पर हमलावर रुख जारी रखने के साथ ही साथ भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूर्वी गोलार्द्ध में विकासशील देशों के शासकवर्गों पर अपना शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं रखी है। रणनीतिक सैन्य साझादारी और भारत–अमरीकी आणविक समझौता उसके इन कुत्सित इरादों की मिसाल हैं। इसमें कोई शंका नहीं रह गयी है कि अमरीका ने साजिशपूर्ण तरीकों से दखलन्दाजी करके भारत सहित सभी विकासशील देशों में विपक्षी ताकतों विशेष रुप से वामपन्थी ताकतों को कमजोर करने में कोई कसर नहीं रखी है।

2.3 वैश्विक आर्थिक मंदी के खुलासे के बाद इसका शिकार अमरीका सहित सभी पश्चिमी देशों के फँस जाने के बाद साम्राज्यवादी ताकतें और अधिक हमलावर हो गयी है। इस तरह के संकट की पृष्ठ भूमि में साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनी नवउदारवादी नीतियों में साझेदारी बढ़ाने के लिए उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रति आर्थिक एवं राजनैतिक मोर्चे पर और अधिक दबंगई पर उतारु हो गयी हैं। साम्राज्यवादी शक्तियाँ के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जल्द से जल्द इस आर्थिक संकट से उबरा जाए। व्यापार एवं जलवायु से सम्बन्धित अगल–अलग नव उदारवादी संस्थाओं की अतिशय सक्रियता अमरीकी एवं अन्य औद्योगिक रुप से सम्पन्न साम्राज्यवादी देशों की रणनीति का ही हिस्सा है।

2.4 हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का ठीक मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति बनाने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के इन बदलावों का ठीक प्रकार आंकलन करना आवश्यक हो गया है।

3. राष्ट्रीय परिस्थितियाँः

3.1.1 सीटू का यह 13वाँ महाधिवेशन मजदूर आन्दोलन के समक्ष मौजूद अति गम्भीर राजनैतिक एवं आर्थिक परिस्थिति की पृष्ठभूमि में होने जा रहा है। संसदीय चुनावों के बाद, संसद में वामपंथी ताकतों के कमजोर होने की पृष्ठभूमि में काँग्रेस के नेतृत्ववाली सरकार उन सभी नव उदारवादी नीतियों को लागू करके अर्थ व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करने पर उतारु है, जिन पर वामपंथ और मजदूर आन्दालन ने यू.

पी.ए. की पिछली सरकार को किसी हद तक नकेल डाल रखी थी। दूसरी ओर यू.पी.ए. सरकार राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर भी अमरीका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने में जुटी है, जो देश की आत्मनिर्भता के साथ–साथ स्वतंत्रता एवं संप्रभुता को गम्भीर रुप से प्रभावित कर सकता है। विशेष रुप से गम्भीर आर्थिक संकट के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद भारत के शासक वर्गों को अपने शिकन्जे में तेजी से कसता जा रहा है।

3.1.2 देश में साम्राज्वादी नीतियों और मजदूर विरोधी नीतियों का वास्तविक विरोधी सिर्फ वामपंथ ही है। यही कारण है कि संसदीय चुनावों के बाद तमाम दक्षिणपन्थी ताकतों ने प्रसाशन एवं संचार माध्यमों के साथ–साथ सभी पूँजीवादी संस्थाओं जरिए वामपन्थ पर हर तरह का हमला बोल रखा है। यह हमला वामपंथ के सर्वाधिक प्रभाव वाले क्षेत्र पं० बंगाल में है। पूँजीवादी प्रेस के द्वारा वामपंथ के खिलाफ मिथ्या प्रचार चलाने के साथ–साथ, दक्षिणपन्थी ताकतें अतिवामपंथी तत्वों के साथ मिलकर कातिलाना हमले भी कर रहीं हैं। इसलिए अब यह जिम्मेदारी मजदूर आन्दोलन पर आयद होती है कि वह संसद में वामपंथ की कमजोरी से उभरने के लिए संसद के बाहर आन्दोलनात्मक कार्यवाहियों को तेज करते हुए जनविरोधी राजनैतिक व नीतियों आर्थिक एवं साम्राज्यवादी साजिशों के विरुद्ध उठ खड़ा होना होगा।

3.2 पिछले महाधिवेशन के बाद का दौर

3.2.1 सीटू का 12$^{वाँ}$ महाधिवेशन जनवरी 2007 में सम्पन्न हुआ था, यू.पी.ए. की पिछली सरकार को वामपंथी पार्टियाँ बाहर से समर्थन कर रही थी। यह समझना ही होगा कि एन.डी.ए. शासन के दौरान नव उदारवादी नीतियों के हर एक पहलू पर लगातार वामपन्थी संघर्ष, जिसमें मजदूर वर्ग की भारी संख्या में भागीदारी रही के कारण ही एन.डी.ए. का नेतृत्व करने वाली भाजपा और उसके सहयोगियों को जनता में अलग–थलग करने में सफलता मिल सकी। और साथ ही साथ उन संघर्षों के बूते पर ही आजादी के बाद पहली बार संसद में सी.पी.आई. एम. सहित वामपन्थी पार्टियों की ताकत बहुत बढ़ सकी।

3.2.2 सीटू के 12वें महाधिवेशन में यू.पी.ए. की पिछली सरकार के अढ़ाई साल के काम का आकलन करने के बाद मजदूर वर्ग के लिए निम्नलिखित काम तय किए थेः–

1) एन.डी.ए. को हराने के बाद और वामपन्थ के बाहरी समर्थन पर टिकी यू.पी.ए. सरकार के गठन के बाद लगातार अभियान चलाना और संघर्षों के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को जगाना ताकि वामपन्थ के हस्तक्षेप को प्रभावी बनाकर भाजपा एवं अन्य साम्प्रदायिक ताकतों को सफलता पूर्वक अलग–थलग किया जा सके और दूसरी ओर जन समर्थक नीतियों के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके।

2) यू.पी.ए. सरकार द्वारा अपनाया जा रही साम्राज्यवाद समर्थक और नव उदारवादी नीतियों के जन विरोधी चरित्र को उजागर करना। इस वास्ते अभियान चलाते हुए लगातार संघर्षों का संचालन करना।

3) राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम **(NCMP)** के तहत घोषित की गयी जन समर्थक नीतियों को लागू करने के लिए, संयुक्त आन्दोलन और सघन प्रचार अभियान के द्वारा यू.पी.ए. सरकार दबाव बनाना और इसमें वामपन्थ की भूमिका के बारे में जनता के बीच प्रचार करना।

4) राष्ट्रीय न्यूनतम् साझा कार्यक्रम **(NCMP)** के तहत घोषित की गयी विदेश नीति का उल्लंघन करते हुए यूपीए. सरकार द्वारा साम्राज्यवादी अमरीका के साथ रणनीतिक साझेदारी, दस वर्षीय सैनिक समझौता करने और आई.ए.ई.ए. में अमरीका का समर्थन करते हुए ईरान का विरोध करने आदि के विरुद्ध लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता है।

3.2.3 वामपन्थी पार्टियों के समर्थन पर टिकी होने और मजदूर वर्ग के संघर्षों के कारण पिछली यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2004 से ही नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना), वन जनजाति अधिनियम, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश पर रोक, गरीब किसानों को कर्ज माफी आदि नव उदारवादी नीतियों के विरुद्ध और जन समर्थक कदम उठाने को मजबूर हो सकी।

3.2.4 लेकिन जनता के जिन हिस्सों में हम या हमारे संगठन सक्रिय हैं, उनके बीच वामपन्थ और मजदूर वर्ग के संघर्षों की इन महत्वपूर्ण

उपलब्धियों को उचित तरीके से प्रचार के द्वारा जनता में ले जाने में हम पूरी तरह से असफल रहे हैं। यही कारण है कि जनता हमारे इस महत्वपूर्ण राजनैतिक–विचारधारात्मक अभियान को समझ नहीं सकी है। हमारी इस कमी का ही परिणाम है कि नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना), वन जनजाति अधिनियम, गरीब किसानों को कर्ज माफी आदि के लागू कराते हुए आदिवासियों, ग्रामीण मजदूरों एवं किसानो को इनका लाभ दिलाने में सांगठनिक रूप से हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए।

3.2.5 इसी प्रकार हमारी कई अन्य असफलताऐं भी रही हैं। यू.पी.ए. सरकार दिल्ली एव मुम्बई जैसे दो प्रमुख हवाई अड्डों का निजीकरण करने में तथा हैदराबाद व बंगलुरु में सार्वजनिक क्षेत्र के हवाई अड्डों को बन्द करके निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित करके संचालन निजी हाथों में सौपनें में सफल हो गयी। वामपन्थी पार्टियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। एयरपोर्ट के कर्मचारियों और मजदूरों की यूनियनों ने प्रतिरोधक कार्यवाहियाँ भी की परन्तु यह विरोध सिर्फ हवाई अड्डों के कामगारों तक ही सीमित होकर रह गया। हम विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) कायम करने की नीति और बीमार परन्तु क्षमतावान सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयों को पुनर्जीवित कराने में भी असफल रहे हैं।

3.2.6 कुल मिलाकर यू.पी.ए. सरकार, वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रण विहीन बनाने, अर्थव्यवस्था के अति संवेदनशील, रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में देशी–विदेशी निजी भागीदारी, सार्वजनिक–निजी भागीदारी की आड़ लेकर कृषि व ढ़ाँचागत क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश न करने, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सट्टेबाजारी को बढ़ावा देने वाली नव उदारवादी नीतियों का ही अनुसरण करती आ रही है। इन नीतियों का ही परिणाम है कि एक ओर गरीबी और असमानता में बेहताशा बढ़ोत्तरी हुई है, तो दूसरी ओर क्रूर शोषक निगमों की परिसम्पत्तियों व दौलत में अनाप–शनाप बेहिसाब इजाफा हुआ है।

3.3 नीतियों में साम्राज्य समर्थक झुकाव

वामपन्थियों और मजदूर वर्ग के लगातार विरोध के बावजूद भी यू.पी.ए. सरकार सशक्त तरीके से अमरीकी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ

रणनीतिक गठजोड़ शुरू कर दिया। जिसकी झलक भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीतियों एवं अन्य घरेलू मामलों में स्पष्ट दिख रही है। कुल मिलाकर यह अमरीका द्वारा निर्देशित नव उदारवादी राजनैतिक–आर्थिक नीतियों के तहत भारत को अमरीका का पिछलग्गू बनाने के लिए किया जा रहा है, परन्तु भारतीय शासक इसे अपने अमरीकी आकाओं का आदेश मानकर पालन कर रहे हैं।

3.4 भारत–अमरीका नाभिकीय सन्धि और उसके बाद

3.4.1 भारत अमरीकी नाभिकीय सन्धि के सम्पन्न एवं कार्यान्वित होने पर वामपंथियों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 123 समझौते की सूक्ष्म पड़ताल से यह उजागर हो जाता है कि भारत को नाभकीय ईंधन की आपूर्ति पर होने वाले तथाकथित लाभ पूरी तरह से अमरीकी सरकार की मेहरबानी पर निर्भर होगा, जो बाद में अमरीकी कॉंग्रेस द्वारा पारित होने वाले हाईड कानून से संचालित होगा। यह हाईड कानून भारत से उसकी विदेश नीति को अमरीकी विदेश नीति का समर्थक होने की अपेक्षा करता है। इस हाईड कानून की आड़ लेकर अमरीका कभी भी इस नाभिकीय सन्धि को तोड़ सकता है, और ईंधन की आपूर्ति भी रोक सकता है, जबकि भारत अपने नाभिकीय क्षेत्रों के मामले में निरंतरता के लिए आई.ए.ई.ए. के सुरक्षात्मक एवं प्रतिबन्धित पहलुओं से बाध्य रहेगा। कुल मिलाकर हाईड़ कानून के कारण इस नाभिकीय सन्धि का वर्तमान स्वरुप भारत को न सिर्फ नाभिकीय संस्थानों के संदर्भ में आसानी से परेशानी में ड़ाल सकता है, बल्कि अन्य मामलों में भी भारत को अमरीका का पिछलग्गू बनने के लिए वाध्य कर सकता है।

3.4.2 यह 123 समझौता अमरीका के साथ एक और समझौते की आवश्यक शर्त थोपता है, जिसके तहत उपयोग किए जा चुके ईंधन को पुर्नउपयुक्त व सशक्त बनाने की तकनीक प्राप्त करने का उल्लेख होगा। भारत व अमरीका में पाँच दौर की वार्ता होने पर भी अभी तक समझौता नहीं हों सका है, इसके पीछे अमरीका कई शर्तें आड़े आ रही हैं। यह पूरा प्रकरण भारत को NPT और CTBT पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर करने और भारत की अमरीका पर निर्भरता बढ़ाने के लिए ही है। दूसरी ओर 10000 मेगावाट क्षमता के परमाणु रिएक्टरों की अमरीका से खरीद

के हो चुके सौदे के बाद, आणविक उर्जा की गुणवत्ता और कीमतों को नियत्रित रखने के लिए, भारत को उपयोग किए जा चुके ईंधन के भंडारण व उससे होने वाली दुर्घटना से बचाव, पुर्नउपयुक्त व सशक्त बनाने की तकनीक तथा अन्य उपकरण प्राप्त करने की दरकार होगी। मजेदार बात यह है कि रुस और फ्राँस के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान इन दोनों ही देशों की ओर से ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी है। अमरीका के दबाव में भारत सरकार संसद के समक्ष ऐसा एक विधेयक लाने जा रही है, जिसके तहत नाभिकीय रिएक्टरों के अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं को रिएक्टरों में हुई दुर्घटनाओं के हर्जाने की जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत किस कदर अमरीकी साम्राज्यवादियों के चंगुल में फँस चुका है।

3.4.3 भारत अमरीकी नाभिकीय सन्धि के पहले अमरीका से रक्षा उपकरण खरीदने के सौदे किए गए, जिसके तहत अमरीकी अधिकारियों को भारत के गोपनीय रक्षा उपकरणों व संस्थानों को जाँचने का मौका दिया गया। साथ ही साथ देश हित को ताक पर रखकर अनेक आर्थिक व राजनैतिक समझौते भी किए गए हैं। कुल मिलाकर हमारे शासकों द्वारा अमरीकी साम्राज्यवादियों और अन्तराष्ट्रीय वित्तीय पूँजी को किसी भी कीमत (जैसा कि संसद में विश्वास मत प्राप्त करने के मौके पर "वोट के लिए नोट" के प्रकरण में देखने को मिला) पर खुश रखना यह दर्शाता है कि हमारे शासक वर्ग अमरीकी साम्राज्यवादियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के शिकन्जे में कस चुके हैं। भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के खिलाफ होने वाले इन समझौतों के विरुद्ध वामपन्थी, प्रगतिशील शक्तियों तथा मजदूर वर्ग के बार–बार चेताने के बावजूद है।

3.4.4 आम चुनावों के बाद चुन कर आयी यू.पी.ए.–2 सरकार का अमरीका की ओर झुकाव और अधिक बढ़ गया है। जैसा कि बहुपक्षीय मंचों जैसे विश्व व्यापार संगठन एवं जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं के दौरान साफ दिखाई देता है। विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की वार्ताओं में रुकावट को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने बीच का रास्ता अपनाया। इस प्रकार विकासशील देशों के बाजार को विकसित देशों के लिए मुफ्त में खोलने का रास्ता खोल देने का तरीका है। परन्तु ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन जैसे विकासशील देशों द्वारा

सख्त रुख अपनाऐ जाने पर भारत को उनके साथ आने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन की वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तनों पर होनी वाली वार्ताओं दौरान भी विकसित देशों को क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की उन पर आयद कानूनी बन्दिश से बच निकलने का रास्ता दे दिया गया और यूरोपियन यूनियन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उल्टे विकासशील देशों पर अन्तराष्ट्रीय निगरानी में कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की कानूनी बन्दिश का दबाव बनाया गया।

3.5 भाजपा की भूमिका

3.5.1 वही दूसरी ओर भाजपा की दुहरी भूमिका को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भाजपा और एन.डी.ए. के घटक दलों ने कभी भी यू.पी.ए. सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। कभी–कभी बढ़ती महँगाई पर कुछ शोर–शराबा करने की औपचारिकता भर ही की है। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण, हवाई अड्डों के निजीकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैदराबाद व बंगलुरु स्थित हवाई अड्डों को बन्द किया जाना, आदि जन विरोधी नीतियों के मामलों में भाजपा पूरी तरह से यू.पी.ए. सरकार की समर्थक ही रही है। यह तो होना ही था क्योंकि भाजपा का वर्ग चरित्र काँग्रेस से बिलकुल भी भिन्न नहीं है। सिर्फ वामपंथी पार्टियो ने ही संसद के अन्दर एवं संसद के बाहर इन नीतियों का विरोध किया और इन नीतियों के विरुद्ध होने वाले संघर्षों को समर्थन किया है।

3.5.2 भाजपा ने हमेशा परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रुपों में अपने साम्प्रदायिक ऐजेण्डे को ही आगे रखा है। हमारे पिछले महाधिवेशन के बाद के दौर में कभी सीधे–सीधे जो कभी बहुत उग्र तरीके से भाजपा हमेशा आतंकवाद के तथाकथित विरोध और आंतरिक सुरक्षा पर वार्ता आदि की आड़ लेकर भी साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश करती रही है। महाराष्ट्र, हुबली और जयपुर में हुए बम्ब विस्फोटों के बाद उसने पोटा को वापस लाने की वकालत करनी बन्द कर दी है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बंगला देशियों की आड़ लेकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमला करना शुरु कर दिया है। मुम्बई में 26 नवम्बर 2008 को हुए

आतंकी हमले से आम जनता में उपजे गुस्से को साम्प्रदायिक रेग देने की कोशिश की जा रही है। साम्प्रदायिक आधार पर अलगाव पैदा करना ही संघ परिवार और उसके राजनैतिक मोर्चे भाजपा का प्रमुख ऐजेण्डा है।

3.5.3 भाजपा के इस दुहरे चरित्र के बारे में आम जनता के समक्ष प्रभावशाली खुलासा करने में हमारी कमजोरी का ही परिणाम है कि यू. पी.ए. सरकार की नीतियों से उपजे गुस्से को भाजपा भुनाने में कामयाब रही है। परिणामस्वरुप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की विध ानसभाओं के और मुम्बई व दिल्ली के नगर निगमों के चुनावों में जीत हासिल कर पायी है।

3.5.4 आम चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) की छत्रछाया में होने वाले भाजपा के सांगठनिक पुर्नगठन से यह साफ हो चुका है कि वह आने वाले समय में सिर्फ साम्प्रदायिक ऐजेण्डे पर ही काम करेगी। सरकार की आर्थिक नीति अथवा विदेश नीति के मोर्चे पर उसके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है।

3.5.5 पिछले दौर में अन्य बुर्जुआ पार्टियों के बारे में जान लेना आवश्यक है, जो यू.पी.ए. या एन.डी.ए. के खेमों में बंटी हुई हैं। सरकार की साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों के विरोध के मामले में उनकी भूमिका मात्र एक कृमि के माफिक ही रह गयी है। अधिकांश बुर्जुआ पार्टियों ने वामपन्थ को अलग–थलग करने लिए शासक पार्टी के साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों को जारी रखने के लिए बिना माँगे ही अपना पूरा समर्थन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से दे रखा है। इन राजनैतिक जमाबड़ों का वास्तविक रुप नाभकीय समझौते पर संसद में चर्चा के दौरान देखने को मिला। पूरा देश गवाह है कि इनमें से कई राजनैतिक दल जो इस विषय पर पिछले दिनों लगातार सरकार का विरोध करते आ रहे थे, संसद में विश्वासमत पर चुनाव के समय पलटी खा गए। इसके पीछे इन दलों ने प्राकृतिक रुप से वर्गीय चरित्र और निजी स्वार्थों के लिए सिद्धान्तहीन तरीके से गुट बाजी की प्रवृत्ति है। शासक दलों की जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध वामपंथी दलों की संघर्ष की कार्यवाहियों के कारण ही कभी–कभी इन दलों का झुकाव वामपंथ की ओर कर देता है।

3.6 क्षेत्रीयतावादी उन्माद

3.6.1 पिछले दौर में देश के अनेक भागों में अलग–अलग नामों से विघटनकारी ताकतों द्वारा फैलाया जाने वाला क्षेत्रीयतावादी उन्माद भी चिन्ता का विषय बन गया है। आसाम में हिन्दी भाषी लोगों पर हमले, शिव सेना और उसके समर्थित गुटों द्वारा उत्तर भारतीय मजदूरों पर हमले की कार्यवाहियां और प० बंगाल में गोरखालैण्ड़ का आन्दोलन इस प्रवृत्ति के कुछ उदाहरण हैं। इस तरह की ताकतें खतरनाक ढंग से बढ़ती महँगाई और गरीबी को अपने तुच्छ राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करती हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में उग्रवाद से लड़ने के नाम पर तथाकथित बंगलादेशियों को निकाल भगाने के नाम पर बंगलाभाषी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। राजस्थान की तत्कालीन भाजंपा सरकार और महाराष्ट्र की काँग्रेस–एन.सी.पी. सरकार का इन विघटनकारी ताकतों को अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है। वर्गीय एकता और देश की अखण्डता की रक्षा के लिए मजदूर आन्दोलन को आगे आकर इन ताकतों का मुकाबला करना होगा।

3.6.2 प० बंगाल में हिंसक गोरखालैण्ड़ आन्दोलन के द्वारा अलग राज्य की माँग एक विघटनकारी एवं संक्रीण राजनीति ही है। यह दर्शाता है कि ये विघटनकारी ताकतें उस इलाके में किस तरह से मजदूर वर्ग की एकता को, विशेष रुप से चाय बागान, पर्यटन और आम व्यापार को बांधित करके, प्रभावित कर रही हैं। यह सब कुत्सित राजनीति के तहत वामपंथ शासित राज्य में अशान्ति और कलह पैदा करने के इरादे से किया जा रहा है। कुछ बुर्जआ पार्टियों द्वारा इन विघटन कारी आन्दालनों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन करना इनकी अवसरवादी तुच्छ राजनीति को ही दर्शाता है। इससे भिन्न कामतापुरी और आदिवासी परिषद आदि के नाम से विघटनकारी ताकतें राज्य में अशान्ति पैदा करके वामपंथी ारकार के खिलाफ राजनैतिक धुर्वीकरण तैयार करने में लगी हैं यद्यपि पं० बंगाल में हमारे कामरेड़ इन ताकतों के घातक हमलों का मुकाबला परी बहादुरी से कर रहे हैं, फिर भी यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

3.6.3 आंध्र प्रदेश से अलग तेलांगाना राज्य की माँग के आन्दालन और इस विषय पर केन्द्र सरकार के अवसरवादी दृष्टिकोण ने हालात को

और भी अधिक जटिल बना दिया है। इसने पं० बंगाल में गोरखालैण्ड़, विदर्भ और बुन्देलखण्ड़ के नाम से अलग राज्यों की माँगों को सतह पर ला दिया है और इस प्रकार अलगाववादी और अन्धराष्ट्रवादी ताकतों को सिर उठाने का अवसर प्रदान कर दिया है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आन्दोलन के चलते सभी राजनैतिक दलों एवं जनता को दो फाड़ कर दिया है इसके बावजूद भी हमारे कामरेड़ अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जनता और मजदूर वर्ग की एकता की रक्षा के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं।

3.7 आम चुनावों में झटका

3.7.1 15वीं लोक सभा के चुनावों में वामपंथ को परम्परागत रुप से मजबूत गढ़ों में लगे झटके को पूरी गम्भीरता से लेकर इसका उचित तरीके से विश्लेषण किया जाना जरुरी है। इससे न सिर्फ मजदूर वर्ग के आन्दोलन बल्कि सभी प्रगतिशील ताकतों के समक्ष एक गम्भीर चुनौती पैदा कर दी है। देश की राजनैतिक ताकतों को दक्षिणपंथी रुझान की ओर ले जाने के लिए अमरीकी साम्राज्यवादी अधिक आक्रामक तरीके से दखलअन्दाजी कर रहे हैं।

3.7.2 यह खतरनाक रुझान देश की राजनीति का निगमीकरण करने की ओर ले जा रहा है। बड़े–बड़े निगम, उनका बंधुआ मीडिया और बुर्जुआ पार्टियों का गठबंधन देश का राजनैतिक ऐजेण्डा बना रहे हैं। पिछले लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों में बेशुमार धन का इस्तेमाल और विभिन्न विधायी संस्थाओं में करोड़पतियों की बड़ी संख्या में (लोक सभा में ही 354) उपस्थिति, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजाक बनाकर रख देगी।

3.7.3 सीटू की राज्य कमैटियों एवं अन्य ईकाइयों को पिछले आम चुनावों के दौरान विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं और आमतौर पर मजदूर वर्ग की भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए। चुनाव परिणाम और वामपंथ की करारी हार इस ओर इशारा कर रही है कि आम आदमी के जीवन से सम्बन्धित मुद्दों पर कार्यवाही करने में हम से कहीं भारी चूक अवश्य हुई है। कम वामपंथी प्रभाव के राज्यों, जहाँ हमारा वोट पहले से कम हुआ है, को छोड़ भी दे तो भी मजबूत राज्यों में भी वाम–जनवादी विकल्प के

पक्ष में आम जनता को लामबन्द करने में हमारी कमजोरी को दिखाता है। प० बंगाल में जून 2009 में सम्पन्न हुए नगरनिगम चुनावों के परिणाम भी इसी रुझान को दिखाते हैं। यहाँ तक कि प० बंगाल और केरल के उन क्षेत्रों में जहाँ मजदूर वर्ग की संख्या सर्वाधिक है, उनमें भी हमारा वोट कम हुआ है, जो चौकाने वाले एवं खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करता है।

3.7.4 इस मामले में त्रिपुरा ही अपवाद सिद्ध हुआ जहाँ वामपंथ ने न सिर्फ अपना दब दबा कायम रखा है, बल्कि अपना वोट बढ़ाया है। और लोक सभा चुनावों के बाद सम्पन्न हुए, त्रिस्तरीय पंचायत, शहरी निगमों और आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव सम्पन्न हुए। इप चुनावों में सी.पी.आई.(एम) के नेतृत्व में वामपंथ ने शानदार जीत दर्ज कराते हुए नगर निगम के उप चुनावों में सभी सीटों पर तथा त्रिस्तरीय पंचायत एवं आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद की 85 प्रतिशत सीटें हासिल की हैं।

3.7.5 वामपंथ की असफलता के लिए कई राजनैतिक एवं सांगठनिक कारण जिम्मेदार हैं, जिन पर इस रिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। आमतौर पर चुनाव परिणाम और विशेष रुप से चुनावों में सीटू की भूमिका दर्शाती है कि जनता के एक बड़े हिस्से को हम पूरी प्रतिबद्धता और गहराई के साथ वामपंथी राजनीति से जोड़ने में असफल रहे हैं। और हम अपने संघर्षों में जनता की लामबन्दी को वामपंथ के समर्थन में बदलने में भी असफल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारे अभियान हमारे मजबूत गढ़ों की जनता के एक बड़े हिस्से का विश्वास जीतने में भी सफल नहीं रहे हैं। अपने संगठन के प्रत्येक स्तर पर इन असफलतों के मूल कारणों की खोज हमें राजनैतिक–सांगठनिक ढ़ंग से करनी होगी। इन कमजोरियों पर काबू करते हुए हमें शासक वर्गों के घातक हमलों का मुकाबला करने के लिए पहल करनी होगी, यह काम हमें अपने संगठन के हर स्तर पर करना होगा।

3.7.6 यहाँ इस बात का विशेष उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वर्ष 2004 से ही यू.पी.ए. सरकार को वामपंथ पर निर्भरता के दबाव में जन समर्थक नीतियों के तहत नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना), वन जनजाति अधिनियम, गरीब किसानों को कर्ज माफी, सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश को त्यागना आदि के कार्यक्रम लागू करने के लिए मजबूर किया

जा सका, जो कि उनकी नव उदारवादी नीतियों के एक दम विरुद्ध था। परन्तु इस सम्बन्ध में देश के बहुत बड़े भाग में, जिन क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित जनता के बीच हमारे संगठन सक्रिय हैं, वहाँ भी नरेगा को लाभ, और आदिवासी कानून का लाभ अथवा कर्ज माफी का लाभ किसानों को दिलाते हुए हम जोरदार ढ़ंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता को अपने साथ लामबन्द करने में असफल ही रहे हैं।

3.7.7 मजदूर वर्ग के संघर्षों की पृष्ठभूमि में वामपंथ के विरोध के चलते ही सरकार चाहते हुए भी वित्तीय क्षेत्र का निजीकरण अथवा नियंत्रणमुक्त नहीं कर पाए। परिणामस्वरुप विश्वव्यापी आर्थिक संकट की चपेट में आने से देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक बची रह सकी। हम अपने अभियान में मजदूर वर्ग की इस महान उपलब्धि को आम जनता के बीच रेखांकित करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार हम ने अनेक सफल संघर्ष किए और इन संघर्षों में शोषित जनता के बहुत बड़े हिस्से का शामिल करने में सफल भी हुए परन्तु इन संघर्षों की राजनैतिक–वैचारिक समझ आम जनता तक ले जाने में असफल होना, विचारधारा से भटकाव एवं हमारी सांगठनिक कमजोरी की ओर इंगित करता है।

3.7.8 हमारी इस असफलता के पीछे साम्राज्यवाद की भूमिका को नजरअन्दाज करना है। जिसने तमाम तरह के गुटों को वामपंथ के खिलाफ लामबन्द करने का काम योजनाबद्ध तरीके से किया है। चुनावों से पहले और बाद में भी अमरीकी दूत और दूतावास के अनेक कर्मचारियों ने लगातार और पूरी लगन के साथ तमाम वाम विरोधी ताकतों एवं ग्रुपों के साथ सैकड़ों मीटिंगें करके एक मंच पर लाने में अपनी भूमिका अदा की है। इतना ही नहीं साम्राज्यवाद ने इन वाम विरोधियों को वाम विरोधी मसाला एवं बेशुमार धन देकर मजबूत करने में कोई कसर नहीं रखी है। 15 वीं लोक सभा के चुनावों में साम्राज्यवादी ताकतों ने आंध्र प्रदेश में चुनावों के बाद तुरन्त तेदेपा, पी.आर.पी. आदि क्षेत्रीय राजनैतिक दलों से मुलाकात करके यह सुनिश्चित किया कि केन्द्र में ऐसी सरकार बने जो वामपंथ पर निर्भर न हो।,

3.7.9 हम साम्राज्यवादियों के इन कोशिशों की गहराई एवं तीव्रता मापने में बहुत भारी चूक हुई, जो हमारे अभियान में झलकती है। जनवरी 2009 में सम्पन्न हुई सीटू की कार्यसमिति की बैठक में महासचिव की

रिपोर्ट में जिस वैश्विक मन्दी पर चर्चा करते हुए पूँजीवाद की बड़ी विफलता के रुप में रेखांकित किया था, को अपने अभियान और चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाने जैसे महत्वपूर्ण काम में भी भारी चूक हुई है।

3.7.10 मजदूर वर्ग के प्रमुख एवं बुनियादी मुद्दे जैसे मूल्यवृद्धि, कारखाना बन्दी व छंटनी के कारण रोजगार छिन जाना, वेतन में भारी कटौतियाँ और काम की परिस्थितियों में भारी गिरावट होना, जो कि विश्वव्यापी मन्दी, सार्वजनिक उद्यमों का पूँजी निवेश, ठेकदारी, आऊट सोर्सिग, वित्तीय व पेट्रोलियम क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने, खुदरा व्यापार, बीमा क्षेत्र, टेलीकॉम, बैंक, पेंशन और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र आदि में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी का निवेश आदि सरकार की नीमियों का परिणाम है। ये सभी मुद्दे जो मजदूर वर्ग को ही नही आम जनता सहित पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं, को अपने चुनाव अभियान का केन्द्र बिन्दु नहीं बना सके। इसका परिणम यह हुआ कि शासक वर्गों और बुर्जुआ पार्टियों को मौका मिला कि मजदूर वर्ग और उसके मुद्दे चुनाव के ऐजेण्डें का हिस्सा नहीं बन सके।

3.7.11 मजदूर वर्ग को उसके हिस्से की असफलता का परिणाम लोकसभा चुनावों में वामपंथ की भारी हार के रुप में मिल चुका है। अपनी वर्गीय राजनीति आम जनता के बीच ले जाने में असफल होना वास्तव में हमारी राजनैतिक–विचारधारात्मक असफलता हमारी सागठनिक अक्षमता के रुप में उभर कर आयी है।

3.8 वामपंथी शक्तियों के खिलाफ घातक हमले

3.8.1 इसके साथ–साथ हमे ध्यान रखना होगा कि प्रतिक्रियावादी ताकतें और बुर्जुआ संचार माध्यमों का गठजोड़ हमेशा ही वामपंथ के खिलाफ जहर उगलता रहा है। इस परिस्थिति का आंकलन और समीक्षा हम अपनी जनरल कॉसिंल एव कार्यसमिति की मीटिंगों में भी करते रहे हैं। वाम विरोधी गठजोड़ का दुष्प्रचार अनेक तरीकों से लगातार प० बंगाल, केरल और त्रिपुरा की वामपंथी सरकारों के खिलाफ केन्द्रित रहा है। पिछले दौर में हमने देखा है कि वामपंथ के खिलाफ यह हमला विशेष रुप से वामपंथ के सबसे मजबूत गढ़ प० बंगाल के खिलाफ सर्वाधिक तीखा हुआ है।

3.8.2 और यह भी समझने की आवश्यकता है कि वामपंथी सरकारों पर ताजा हमलों के लिए वामपंथी नारों के माध्यम से किए जा रहे हैं, इनका मुकाबला किया जाना भी आवश्यक हो गया है। एक ओर प्रतिक्रियावादी ताकतों एवं बुर्जुआ मीडिया के वामपंथी शक्तियों के खिलाफ दुष्प्रचार के साथ मिलकर अतिवामपंथी ताकतों द्वारा वाम आन्दोलन के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ हो रहे जान लेवा हमलों के कारण परिस्थिति और अधिक जटिल हो गयी है।

3.8.3 मजदूर वर्ग के आन्दोलन और वामपंथी शक्तियों के संघर्षों की धार नव उदारवादी नीतियों के विरुद्ध बहुत अधिक तीखी रही है। यह बात यू.पी.ए. सरकार की वामपंथ पर निर्भरता के दौरान अधिक स्पष्ट रुप से जाहिर हुई है। वामपंथ के द्वारा भारत–अमरीकी नाभिकीय समझौते के समय यू.पी.ए. सरकार व साम्राज्यवादियों की जन विरोधी नीतियों एवं एशिया में सैनिक दादागीरी के तीखे विरोध के चलते साम्राज्यवादी और उनके भारतीय एजेण्ट वामपंथी शक्तियों से चिड़ने का प्रमुख कारण रहा है। ऐसी स्थिति में तमाम वाम विरोधी ताकतों का एक वामपंथियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार और हमला करना स्वाभाविक ही है, ताकि वर्तमान गठबन्धन को और अधिक दक्षिणपंथी बनाया जा सके।

3.8.4 चुनाव परिणामों के बाद और वामपंथ को झटका लगने के बाद प० बगाल में वामपन्थियों के खिलाफ जानलेवा हमले और अधिक तेज हुए हैं। तृणमूल–माओवादी गठजोड़ के घातक हमलों में हमारे सैकड़ों कामरेड़ अपनी जान गवाँ चुके हैं। भारत में तथाकथित माओवादी अपनी आतंकवादी और व्यक्तिगत हत्याओं का हिंसक रास्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। काफी अरसे से माओवादी अपहरण, फिरौती, डकैती और काले धन की गैर कानूनी गतिविधियों में शरीक रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड़ और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में विभिन्न प्रकार की राजनैतिक पार्टियों का संरक्षण इन माओवादियों को प्राप्त हैं। इन राज्यों में चुनावों के दौरान माओवादी विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों की हत्या, उम्मीदवारों को घमकी देने और चुनाव बूथों पर कब्जा करते हैं। माओवादी प० बगांल में तृणमूल काँग्रेस के स्वाभाविक सहयोगी बन गए हैं। माओवादी नेताओं

ने माना है कि उनका तृणमूल काँग्रेस के साथ गठजोड़ 2007 में हुए नन्दीग्राम की घटनाओं के समय से ही चला आ रहा है।

3.8.5 चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद से अभी तक के हमलों में मारे गए कामरेडों की संख्या कई सौ हो चुकी है। और हर दिन यह संख्या लगातार बढ़ रही है। यूनियनों के दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा या लूटा जा रहा है। और कई स्थानों पर तृणमूल काँग्रेस के द्वारा कब्जा लिया गया है। और कई क्षेत्रो में ट्रेड़ यूनियन नेताओं एवं अन्य जन संगठनों के नेताओं पर प्राणघातक हमले किए गए हैं। इस वाम विरोधी गठजोड़ आम आदमी पर हथियारबन्द हमला करके, अपहरण, आतंकवादी तरीकों से अथवा जबरन आर्थिक दण्ड वसूली आदि तरीकों से हमारे समर्थकों को परेशान करके अपना घर/क्षेत्र छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि उस क्षेत्र को वामपंथी प्रभाव रहित बना सकें। हमारे कामरेड़ पूरी ताकत से इस गठजोड़ का विरोध कर रहे हैं लेकिन यह लड़ाई अकेले उनके बूते नहीं लड़ी जा सकती है।

3.8.6 हमें ध्यान रखना होगा कि वाम दलों पर हमले मजदूर वर्ग पर हमले का पर्याय बन चुका है। इसलिए देश के मजदूर आन्दोलन की यह जिम्मेदारी बन जाती हैं कि वह प० बंगाल के अपने कामरेडों के साथ मुस्तैदी से खड़े हो, ताकि मजदूर आन्दोलन और लोकतंत्र की रक्षा की जा सके और प्रतिक्रियावादी ताकतों और मीड़िया के मिथ्या प्रचार को शिकस्त दी जा सके।

4. पूँजीवादी व्यवस्था का विश्वव्यापी संकट

4.1.1 वर्ष 2008 के मध्य से शुरु हुआ वैश्विक वित्तीय संकट इस लिहाज से अपने आप में अद्वितीय कहा जा सकता है कि इसकी चपेट में अति विकसित औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्थाऐं भी इसके चलते ध राशायी हो गयी हैं। अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के नेतृत्व में नव उदारवादी साम्राज्यवादी वैश्वीकरण की व्यवस्था में यह संकट अवश्यसंभावी है। क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था में सब कुछ ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी की फटाफट एवं अधिकाधिक लाभ कमाने की राक्षसी भूख के हवाले होता है। इस संकट ने पूँजीवादी व्यवस्था के सिद्धान्त " कोई विकल्प नही " की

पोल पूरी तरह से खुल गयी। और इस नव उदारवादी नीतियों के तहत " विकास का अवसर " के सिद्धान्त की भी कलई खुल गयी जिसकी शासक वर्गों की वकालत के झाँसे में आकर प्रगतिशील आन्दोलन के कई हिस्से भी आ गए थे।

4.1.2 इस वैश्विक वित्तीय संकट ने अमरीका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के सभी वित्तीय संस्थानों एवं एजेंसियों को दिवालियापन की स्थिति में पहुँचा दिया। वर्ष 2008–09 के दौरान इन देशों के सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर लगभग नकारात्मक ही रही है। बेराजगारी में अत्याशित एवं अप्रतिम वृद्धि दर्ज की गयी। समृद्ध औद्योगिक देशों में असीमित सट्टेबाजी के चलते बहुत बुरी तरह से दिवालिया हो चुके सभी प्रमुख वित्तीय संस्थानों को बचाने के लिए जनता के घन को इन संस्थानों पर लुटा दिया गया और इस संकट के कारण बेरोजगारी, वेतन कटौती, बन्दी और ले–ऑफ के कारण भुखमरी की शिकार बनी जनता को कोई राहत नहीं दी गयी।

पूरी दुनियाँ में जनता की गाढ़ी कमाई से इन सट्टेबाजों की मदद, वेतन कटौती, भारी बेराजगारी के खिलाफ और आमदनी बढ़ाने के लिए हड़ताल सहित अनक प्रकार की आन्दोलनात्मक कार्यवाहियाँ आयोजित की गयी। अनेक अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं ने विशेषकर अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और कई विकसित पूँजीवादी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी सट्टेबाजारी पर आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रणमुक्त किया गया है, की ओर उँगली उठायी।

4.1.3 अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अभी हाल जनवरी 2010 में जारी किए आर्थिक सर्वेक्षण में विश्व अर्थव्यवस्था के संकट से उबरने की आशा व्यक्त की है। लेकिन संकट से उबरने जैसा कुछ नही है, बल्कि जनता के धन से जो राहत इन वित्तीय सस्थानों को दी गयी है, उसके ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अमरीका में ओद्योगिक उत्पादन दिसम्बर 2009 में सिर्फ 2 प्रतिशत था जो कि दिसम्बर 2008 से काफी कम था। यूरोप में सकल घरेलू उत्पाद नवम्बर 2008 से 2009 के बीच सिर्फ 4 प्रतिशत ही था। अमरीका और यूरोप में बेरोजगारी पिछले 2 वर्ष में बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है। अफसोस की बात है कि अभी भी प्रमुख आर्थिक शक्तियों ने अन्तराष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के निर्देश पर यहाँ–वहाँ भाग कर

लाभ कमाने के लिए सट्टेबाजारी वाली अर्थव्यवस्था में विश्वास व्यक्त किया है।

4.1.4 नोबल पुरुस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन के अनुसार जब आर्थिक रिपोर्ट पेश की जाती है तो उसमें दशाए गए आँकड़े पूरी तरह से भ्रामक होते है। जानबूझकर इन आँकड़ों को बड़ी चालाकी के साथ पेश किया जाता है। आमतोर पर मन्दी के दौरान बिक्री न होने के कारण कम्पनियों के पास न बिके माल की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि कम्पनी को अपना उत्पादन घटाना पड़ जाता है, और अगले वर्ष में माल के बिक जाने पर पुनः उत्पादन बढ़ाने पर आँकड़ों को इस तरह से पेश किया जाता है कि ऐसा लगता है कि कम्पनी की विकास दर बहुत तेजी से बढ़ी है। जबकि उससे पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर न के बराबर ही होती है।

4.1.5 वास्तव में वैश्विक वित्तीय संकट से उबरने का शोर साम्राज्यवादी एजेन्सियों द्वारा मचाया जा रहा है ताकि इन खतरनाक नव–उदारवादी नीतियों को बदलना ही ना पड़े, जिनकी मन्दी के दौरान चौतरफा आलोचना होती रही है। यह शोर इसलिए भी मचाया जा रहा है ताकि विकासशील अर्थ व्यवस्थाऐं आगे भी इन नव उदारवादी नीतियों के रास्ते पर चलकर, विकसित ओद्योगिक देशों के लाभ के लिए, अपने वित्तीय क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त करने की दिशा में ही बढ़ते रह सकें।

4.1.6 जनवरी 2009 में सम्पन्न हुई सीटू की कार्यसमिति की मीटिंग में प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट में वैश्विक वित्तीय संकट के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस महाधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में भी इस विषय पर चर्चा की जा चुकी है। यहाँ सिर्फ यह समझने की आवश्यकता है कि इस संकट से जनता के समक्ष वित्तीय पूँजी की सट्टेबाजारी और जनता के साथ धोखाधड़ी करके कमाने की चाल का खुलासा हो चुका है। जब बाजार में तेजी होती है और कोई नियंत्रण न हो तो खुले बाजार पर इन सट्टेबाजों का कब्जा होता है। जनता की गाढ़ी कमाई को अपने फायदे के लिए अनुचित और धोखाधड़ी के तौर तरीकों, बाजार में मिथ्या तेजी पैदा करते हैं। और जब इस बनावटी तेजी का बुलबुला फूटता है तो सरकार बाजार को डूबने से बचाने के लिए जनता के फण्ड को झौंक देती है। लेकिन जनता इस बुलबुले के फूटने के

परिणामस्वरुप बेरोजगारी, बचतों को खो कर और वेतन कटौती आदि के रुप में इसका भार भुगतती है। पूँजीवाद के नव उदारवादी खुले बाजार की वैश्विक अर्थ नीति का वास्तविक रुप यही है। यह और कुछ नहीं जनता एवं अर्थव्यवस्था की छल व कपट के द्वारा लूट है जो इस पूँजीवादी व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है तथा ऐसे संकट इस व्यवस्था के मूल में ही हैं।

4.2 भारत पर प्रभाव

4.2.1 इस वैश्विक वित्तीय संकट के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण जनता की जिन्दगी को अत्यन्त दुखदायी बना दिया है। यद्यपि भारत का सकल घरेलू उत्पादन गिर कर करीब 6.5 प्रतिशत रहा है, लेकिन निर्यात आधारित उद्यमों के लगभग 50 लाख से अधिक लोगों ने अपनी आजीविका खोयी है, और कई लाख लोगों को वेतन कटौती, ले–ऑफ, क्लोजर और बिना वेतन के काम के घंटों में बढ़ोत्तरी का सामना भी करना पड़ा है। इस संकट के सैक्टर के अनुसार प्रभाव के बारे में जनवरी 2009 में मुम्बई में सम्पन्न हुई सीटू की कार्यसमिति की बैठक में पेश की गयी महासचिव की रिपोर्ट में किया जा चुका है।

4.2.2 लेकिन कुछ अन्य मुद्दों को भी ध्यान रखना होगा। इस वैश्विक वित्तीय संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर और अधिक घातक प्रभाव हो सकता था, यदि भारत सरकार को नव उदारवादी नीतियों के तहत देश के वित्तीय क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रणमुक्त करने के लिए, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता करने, निजी क्षेत्र के भारतीय बैंकों में विदेशी पूँजी निवेश की सीमा बढ़ाने, भारतीय बैंकों का वैश्विक सट्टा बाजार में जाने की इजाजत देने, पेंशन फण्ड का निजीकरण करने वाले पेंशन फण्ड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) का कानून का पास होना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों का विनिवेश के माध्यम से निजीकरण करने जैसे कदम भारत सरकार को उठाने दिए जाते। सरकार के इन इरादों के खिलाफ वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के लगातार और जोरदार संघर्षों की पृष्ठभूमि में वामपंथी विरोध के कारण ही रोक लगायी जा सकी है।

4.2.3 दूसरे, इस वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव सिर्फ निर्यात आधारित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा है। इस संकट ने निर्माण व इन्जीनियरिंग उद्यमों को भी प्रभावित किया है। लेकिन जिन क्षेत्रों पर प्रभाव नहीं डाला उन क्षेत्रों में भी मालिकान ने संकट का बहाना करके क्लोजर और ले–ऑफ की धमकी देकर कामगारों की संख्या घटाने, मजदूरों के वेतन एवं सुविधाओं में कटौती करने तथा काम के घंटे बढ़ाने जैसे घृणित काम किए है।

4.2.4 इस वैश्विक वित्तीय संकट ने सर्वाधिक मजदूर वर्ग को प्रभावित किया है। जबकि भारत सरकार का रवैया पूरी तरह से पूँजीवादियों के पक्ष में ही रहा है, जबकि बुरी तरह से प्रभावित होकर बेराजगार हो गए मजदूरों को बदहाली की हालत में मझधार में छोड़ दिया। इस वैश्विक आर्थिक संकट से प्रभावित उद्यमों को भारत सरकार ने तमाम तरह के टैक्सों में छूट देकर, कर्ज प्राप्त करने, भुगतान में राहत देकर, खुले हाथ से 2 लाख करोड़ रुपऐ से अधिक की खैरात बाँटी है। सरकार की इस मदद को जो भी नाम दिया जाए परन्तु यह राहत आम जनता की गाढ़ी कमाई पूँजीपतियों के मुनाफे को बनाऐ रखने के लिए दी गयी है। परन्तु आम जनता या प्रभावित मजदूरों की कोई परवाह ही नहीं की गयी है।

4.2.5 फाईनेन्सियल एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय संकट और मन्दी के तुरन्त बाद के वर्ष 2008–09 में चीनी, खाद, निर्माण और स्पंज आइरन आदि उद्योगों ने औसतन रु० 1000 करोड़ से रु० 3600 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि उद्योग जगत के इन हिस्सों में ही सर्वाधिक क्लोजर और ले–ऑफ की धमकी देकर कामगारों की संख्या घटाने, मजदूरों के वेतन एवं सुविधाओं में कटौती करने तथा काम के घंटे बढ़ाने जैसे घृणित काम हुए हैं। इस रिपोर्ट में इसी समयावधि में सर्वोच्च 500 कम्पनियों के कार्य निष्पादन के बारे में कहा गया है कि *''वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद भी इन कम्पनियों की विकास की दिशा सकारात्मक ही रही है, जबकि नकारात्मक विकास की संख्या बहुत कम रही है।''* इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस मन्दी का वास्तव में शिकार मजदूर और जनता बने हैं जिनके पैसे से दी गयी राहत से इन कम्पनियों ने अपने मुनाफे के स्तर को बनाऐ रखा। काम करने वाले

लोगों की लूट ही पूँजीवाद का असली चेहरा है। इन नव उदारवादी नीतियों ने इस लूट को और भी अधिक खूखार तरीके से बढ़ा दिया है। 80 और 90 के दशक से वर्तमान दशक के पिछले वर्ष तक "मूल्य में प्रति कर्मचारी योगदान" में लगातार वृद्धि के बावजूद भी "मूल्य में प्रति कर्मचारी योगदान" में कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा 80 और 90 के दशक के मुकाबले 32 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004 में मात्र 12.4 प्रतिशत ही रह गया है और वर्तमान संकट और मन्दी के दौर में यह और भी अधिक कम होने के साथ–साथ बड़े पैमाने पर रोजगार की अनौपचारिकता बड़ी है तथा रोजगार की गुणवत्ता में भारी गिरावट आयी है।

4.2.6 तीसरे भारत के वैश्विक वित्तीय संकट और मन्दी में फंसने के तुरन्त बाद ही निजी निवेशकों ने आर्थिक तेजी के दौरान का निवेश, मुनाफा बसूली की आदत के कारण अपना निवेश वापस खींच लिया, परिणाम स्वरुप निजी क्षेत्र ने सरकार से भारी राहत मिलने के बावजूद भी अनेक पूर्वनिर्धारित योजनाओं को या तो बन्द कर दिया या हाथ खींच लिया। वर्ष 2008–09 की दूसरी छमाही तथा वर्ष 2009–2010 के पहली छमाही के दौरान प्रमुख सार्वजनिक उद्यमों के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है।

4.2.7 अप्रैल 2009 में जारी *"प्रोजेक्टस् . टूडे . कॉम"* की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वित्तीय संकट और मन्दी का प्रभाव घरेलू बाजार में निजी क्षेत्र पर बहुत अच्छा रहा क्योंकि यह अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए विदेशी पूँजी निवेश पर अधिक निर्भर करता है। वर्ष 2008–09 की दूसरी छमाही में नयी योजनाओं और पूँजी निवेश लगभग 62 प्रतिशत रहा है। इस दौरान भी विकास में 36.1 प्रतिशत की भागीदारी के साथ ढ़ाँचागत क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है। सड़क बनाने, रेल लाइन बिछाने और पीने के पानी आदि की योजनाओं में सर्वजनिक क्षेत्र के भारी निवेश के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी ढ़ाँचागत क्षेत्र में 71 प्रतिशत से अधिक रही है। विद्युत क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र ने अपनी भागीदारी में सुधार करते हुए 31.5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है। और पिछले 2 वर्षों में योजनाओं को लागू करने के मामले में भी सार्वजनिक क्षेत्र ने योजनाओं को लागू करने के अनुपात को 35.3 प्रतिशत 37.1 प्रतिशत पर बनाए रखा है।

4.2.8 वैश्विक वित्तीय संकट और मन्दी के दौरान निजी क्षेत्र ने सरकारी इमदाद को हजम कर लेने के बावजूद भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपने ही बायदा किए निवेश से हाथ खींच लिए और सार्वजनिक क्षेत्र जिसे कोई सरकारी इमदाद नहीं दी गयी, ने इस मन्दी के दौर में भी भारी निवेश करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारी योगदान किया है। इसके बावजूद भी भारत सरकार सार्वजनिक कम्पनियों को विनिवेश के जरिए निजीकरण करने पर उतारु है। सरकार का प्रयास जनविरोधी नही तो और क्या है?

4.2.9 ऐसा प्रतीत होत्ता है कि भारतीय शासकों ने इससे कोई सबक हासिल नहीं किया है। वे बड़ी बेशर्मी से अभी भी वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने की वकालत कर रहे हैं और वित्तीय क्षेत्र को और अधिक नियंत्रणमुक्त करने की ओर बढ़ने की कोशिश में हैं। तथा बैंक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देनें के साथ–साथ लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।

4.2.10 मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों की पृष्ठभूमि में वामपंथी शक्तियों के लगातार विरोध के द्वारा ही वित्तीय क्षेत्र का निजीकरण एवं नियंत्रणमुक्त होने और सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण होने से रोककर किसी हद तक देश की अर्थव्यवस्था को पूँजीवादी व्यवस्था में अवश्यसंभावी आर्थिक मन्दी एंव आर्थिक बर्बादी से बचाया जा सकता है। ऐसे दौर में जब पूँजीवाद भारी संकट में फंसा हुआ था, उस दौर में भी हम अपने अभियान और कार्यवाहियों के दौरान मजदूर वर्ग की इस महान उपलब्धि को प्रचार का मुद्दा बनाने में असफल रहे हैं।

5. आर्थिक स्थिति

5.1.1 सीटू के 12वें सम्मेलन के बाद के पूरे ही दौर में अर्थव्यवस्था में अनेक विरोधाभास देखने को मिल हैं। नव उदारवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता के कारण, विकास के प्रतिफल के वितरण में असमानता के चलते, सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर्ज होने के साथ–साथ गरीबी और असमानता भी उतनी ही तेजी से बढ़ी है। सरकार सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि पर और नौकरशाही राजस्व में वृद्धि पर गर्व तो महसूस करते हैं परन्तु उसे बढ़े हुए राजस्व का लाभ अगले बजट में आम आदमी

को देने के बजाय मुट्ठीभर कॉरपोरेट कम्पनियों को दिया जा रहा है। सिर्फ नरेगा और किसानों की कर्ज माफी ही अपवाद जो कि वामपंथ पर निर्भरता के दबाव में राजनैतिक मजबूरी के चलते करना पड़ा है।

5.1.2 अगर हम वैश्विक वित्तीय संकट और मन्दी समाप्त होने के दौर पर नजर डालें तो सकल घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी के बावजूद भी आम आदमी की हालत में दिनोंदिन गिरावट ही आ रही है। वर्ष 2007 से ही आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है तो बेरोजगारी और और मजदूरों का अनियमितीकरण होने से, सकल घरेलू उत्पादन में हमारे योगदान के मुकाबले औसत आमदनी में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। तो दूसरी ओर कृषि अर्थव्यवस्था जो देश की लगभग आधी आवादी को आजीविका प्रदान करता है में ऐसी हालत है कि ग्रामीण जनता भुखमरी के कगार पर पहुँच गयी है। साथ ही साथ हम ने यह भी देखा है कि करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी होने का अलम यह है कि दुनियाँ के सबसे अमीर 10 व्यक्तियों में 4 भारतीय है।

5.1.3 सरकार की कॉरपोरेट समर्थक एवं जन–विरोधी नीतियों का खुलासा इस बात से हो जाता है कि 2006–07 और उसके बाद के दौर में कॉरपोरेट सैक्टर को इतने भरी भरकम छूटें दी गयी कि सरकारी खजाने को वर्ष 2006–07 में रु० 2,39,712 करोड़, वर्ष 2007–08 में रु० 2,76,644 करोड़ के राजस्व का चूना लगा जो वर्ष 2008–09 में दो गुना हो कर रु० 4.1 लाख करोड़ तथा वर्ष 2009–10 में रु० 5 लाख करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है। वर्ष 2008–09 में बजट के साथ प्रस्तुत कागजात के अनुसार कॉरपोरेट को दी गयी छूटों के कारण राजस्व हानि, कुल कर संग्रह का लगभग 68.5 प्रतिशत है। इस सबके उपर बड़े व्यापारिक घरानों पर बकाया टैक्स प्रति वर्ष लगातार तेजी से बढ़ते हुए रु० 1.5 लाख करोड़ तक पहुँच चुका है।

5.1.4 इन बड़े औद्योगिक घरानों और कॉरपोरेटस् को जनता के पैसे दी गयी रियायतों को अलग तथा आम आदमी को राहत पहुँचाने वाली खाद्य, पेट्रोलियम व खाद सब्सीडी को एक दम अलग नजरिए से देखा जाता है। सरकार और कॉरपोरेट मीडिया सरकार के सब्सीडी खर्च के बढ़ने पर चीख–चिल्लाहट मखता है, और हर बार बजट में जनता को थोड़ी सी राहत पहुँखने वाली इस सब्सीडी को काटने के लिए कुल्हाड़ी

चलाने की चर्चा की जाती है। *आम आदमी* की सरकार ने वर्ष 2008–09 में कुल सब्सीड़ी बिल के 323.5: के बराबर का राजस्व इन घरानों को राहत देने के लिए खोया है। वर्तमान बजट के बाद पेट्रोल, डीजल, खाद के दामों में वृद्धि होने से सब्सीड़ी और भी कम हो जाएगी, वहीं इन अमीरों को राहत देने से पिछले एक वर्ष में राजस्व घाटा बढ़कर रु० 90,000 करोड़ हो गया है।

5.2 मूल्य वृद्धि

5.2.1 सीटू के 12वें सम्मेलन के बाद के पूरे ही दौर में रोजमर्रा की जरुरत की चीजों के दाम बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। 2007 की अन्तिम तिमाही या 2008 के शुरुआत में आवश्यक वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि के बावजूद भी थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर के मुकाबले कम ही आँकी गयी। आमतौर पर जब सामान्य मुद्रास्फीति की दर 4 से 5 प्रतिशत रहती है, तब ही खाद्य सूचकांक 8 प्रतिशत रहती है। परन्तु समय बीतने के साथ–साथ सरकार ने बड़े ही बेशर्मी से ऐसा तरीका अपनाया है कि खाद्य पदार्थों का सूचकांक जब 19 प्रतिशत पर पहुँच गया है तो भी आम मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों का आँकड़ा भी नही छू सकी है।

5.2.2 शुरुआती दौर में तो सरकार ने कहा कि खाद्य वस्तुऔ के दाम चूंकि पूरी दुनियाँ में बढ़ रहे हैं इसलिए जनता को दाम बढ़ने की दस प्रवृत्ति के साथ सामंजस्य बना लेना चाहिए, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मन्दी के दौर में पूरी दुनियाँ में खाद्य वस्तुओ दामों में भारी गिरावट दर्ज की गयी परन्तु फिर भी हमारे देश में दामों में कभी भी कोई गिरावट दर्ज नहीं की गयी। दूसरी ओर अमरीका और यूरोपीय देश भारत सरकार पर दबाव बना रहे थे कि वह उनके लिए अपना कृषि एव गैर–कृषि बाजार भी खोल दे। और भारत सरकार आवश्यक वस्तुओं के दामों को नियंत्रण में न रख पाने की अपनी असफलता को राज्य सरकारों के सिर पर थोप रही है।

5.2.3 पिछले तीन वर्षों में मूल्यवृद्धि का स्वरुप यह बता रहा है कि यह न तो मौसमी मूल्यवृद्धि है और ना ही यह सामान्य चक्रीय घटना है, बल्कि यह लगातार सर्पीली गति से बढ़ रही है। और ना ही यह बाजार

में माँग और पूर्ति के अन्तर के कारण है। यह सरकार से आर्शीवाद प्राप्त अनाप–शनाप मुनाफा कमाने वाले बड़े व्यापारिक घरानों और बड़े भूस्वामियों की सट्टेबाजारियों की कारगुजारियों का परिणाम है, जो एक ओर कृषि उत्पादन में लगे किसानों को तो दूसरी ओर आम उपभोक्ता को लूट लेना चाहते है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिससे सर्वाधिक आम गरीब का गुजारा होता है, में सरकार और उसकी मशीनरी के द्वारा गरीब रेखा के नीचे का निर्धारण करने में भारी गड़बड़ी करके बर्बाद करने का नतीजा भी है। सरकार की नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में संकट के चलते, किसानों की बदहाली और कृषि की उत्पादकता में भारी कमी को दर्शाता है। जिसके चलते कृषि उत्पादों की भारी कमी और अन्ततः खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जबकि बढ़ती मूल्यवृद्धि का लाभ सट्टेबाज व्यापारी व बड़े भूस्वामियों का गठजोड़ उठा रहा है।

5.2.4 वर्तमान सरकार जल्द से जल्द खाद्य सुरक्षा कानून बनाने, जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, का झाँसा देकर जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। परन्तु सरकार ने गरीबी की रेखा के मापदण्ड को इतना हास्यास्पद बना दिया है कि अधिकांश गरीब इससे बाहर ही रहेगें। सरकारर परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु० 11. 30 का उपभोग करने वाले तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु० 18.50 का उपभोग करने वाले परिवारों को ही गरीबी रेखा के नीचे माना जा सकता है, जिसके अनुसार लगभग एक चौथाई जनता गरीबी रेखा के नीचे है। वहीं दूसरी ओर यू.पी.ए. सरकार के द्वारा बैठाई गयी एन. सी.ई.यू.एस. की रिपोर्ट के अनुसार करीब 77 प्रतिशत जनता रु० 20 प्रतिदिन से कम में ही जीवन व्यतीत करती है। उच्चतम् न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त श्री एन.सी. सक्सैना की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत बैठायी गयी विषेशज्ञ कमेटी द्वारा कहा गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रु० 700 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में रु० 1000 प्रतिमाह पर ही गुजारा करती है। एक और सरकारी एजेन्सी के द्वारा बैठायी गयी तेन्दुलकर कमैटी का अनुमान गरीबी की रेखा के मामले में सरकारी अनुमान से काफी उपर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गरीबी रेखा का सरकारी अनुमान अत्यन्त गरीबी

को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से बाहर ही रखने का है। गरीबी रेखा के मापदण्ड के आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी इन लाभों से वंचित रखना चाहती है, जबकि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 में इस प्रकार का वायदा किया गया है।

5.2.5 मजदूर आन्दोलन ने महँगाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए यह माँग उठायी है कि वायदा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाते हुए, 25 अति आवश्यक वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित किया जाए। पूरा मजदूर आन्दोलन सम्बद्धता से उपर उठ कर इस माँग पर पूरी तरह से एकजुट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ सभी के लिए जारी करने का कुल मूल्य एक वर्ष में मात्र रु० 1,70,000 करोड़ होगा जो सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में बड़े व्यापारियों को दी गयी 5,00,000 करोड़ की राशि के मुकाबले कहीं बहुत कम है।

5.2.6 आम आदमी का राग अलापने वाली वर्तमान सरकार चूंकि बड़े पूँजीपतियों और व्यापारियों की समर्थक है इसीलिए वह मजदूर वर्ग और आम जनता की इस उचित माँग को मानने के लिए तैयार नही है। पूँजीपतियों से प्यार करने में सरकार इस कदर दीवानी हो गयी है कि बढ़ती कीमतों में और अधिक आग लगाने वाले कदम भी उठाती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण है कि चीनी की कमी और बेशुमार बढ़ती कीमतों के बावजूद भी सरकार ने चीनी व्यवसाईयों को फायदा पहुँचाने के लिए चीनी के निर्यात की इजाजत दे दी। यह किसी बड़े घोटाले से कतई कम नहीं है। दूसरी ओर वायदा कारोबार पर प्रतिबन्ध एक लोकप्रिय माँग होने के बावजूद भी सरकार ने गेहूँ के वायदा कारोबार से प्रतिबन्ध उठा लिया, जबकि अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार के इस कदम से बड़े व्यापारियों को मोटी कमाई करने का मौका मिलेगा।

5.3 केन्द्रीय बजट 2010–2011

5.3.1 केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण को समाप्त करने के इरादे से यूरिया की कीमतों में भारी वृद्धि कर दी, इसके परिणाम स्वरुप कृषि की लागत बढ़ने से खाद्यान्नों की कीमतों में भी भारी वृद्धि हो जाना स्वाभाविक ही है। और अब सरकार

ने केन्द्रीय बजट 2010–11 में आयातित कच्चे तेल पर कस्टम डयूटी पुनः लगा दी है जिसके परिणाम स्वरुप डीजल और पेट्रोल के दामों में रु० 2.50 अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी और इसका असर भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर होना लाजमी ही है।

5.3.2 आम आदमी की परवाह किए बिना ही केन्द्रीय बजट 2010–11 में सरकार का अमीरों के प्रति प्रेम बहुत ही बेशर्म तरीके से प्रकट हो रहा है। बजट में अमीरों को प्रत्यक्ष करों में लगभग रु० 26,000 करोड़ की छूट दी है, वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष करों, एक्साईज और कस्टम डयूटी के रुप में रु० 60,000 करोड़ आम आदमी की जेब से निकाल लिया। खाद्य सुरक्षा कानून का वायदा करने के बावजूद भी खाद्य सब्सीडी से रु० 400 करोड़ घटा दिया गया है। पिछले वर्षके मुकाबले खाद सब्सीडी से रु० 3000 करोड़ घटा दिया गया है। यह सब ऐसे समय किया गया है जब महँगाई आसमान छू रही है और कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक हो चुकी है। सरकार की इस जन विरोधी मुहिम की झलक आर्थिक सर्वेक्षण में मिलजी है, जिसमें सार्वजनिक नितरण प्रणाली को समाप्त करने और भोजन और खाद के लिए कूपन व्यवस्था शुरु करने का इरादा है। कुल मिलाकर तथाकथित पोषकतत्व आधारित योजना (NBS) और कुछ नहीं, बल्कि खाद उत्पादकों/निर्यातको को अधिकाधिक लाभ पहुँचाने तथा कषषि उत्पादों की लागत बढ़ाने के ही काम आएगा।

5.3.3 इसके साथ–साथ कोयले पर रु० 50 प्रति टन की दर से उपकर लगाया है जो कोयले की कीमतों में ही नहीं बिजली की कीमतों में भी वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव भी कृषि उत्पादों की लागत पर पड़ने वाला है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकार ने खाद, डीजल, ईधन के दामों में बढ़ोत्तरी करके देश की खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है।

5.3.4 सरकार ने सांकेतिक रुप से अंसंगठित क्षेत्र के 47 करोड़ मजदूरों की सामाजिक संरक्षा के नाम पर मात्र रु० 1000 करोड़ का प्रावध ाान करके इन मजदूरों के साथ मजाक किया है। बजट भाषण के दौरान स्वंय वित्तमंत्री ने माना है कि गरीबी रेखा की प्रतिबन्धात्मक शर्त के कारण असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक मजदूर इस सामाजिक सुरक्षा के लाभ की परिधि से बाहर हो गए हैं। इसी प्रकार बजट में 20 लाख

से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पूरी तरह से नजरअन्दाज कर दिया गया है, और पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मामली सी वृद्धि के साथ मात्र रु० 538 करोड़ का प्रावधान करके आई.सी.डी.एस. योजना को सभी के लिए लागू करने की आवश्यकता को बुरी तरह से ठेस पहुंचाई है।

5.3.5 बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री का यह वक्तव्य कि सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश से इन उद्यमों में जनता की हिस्सदारी बढ़ जाएगी, जनता को मूखे बनाने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। सावैजनिक उद्यमों की विनिवेश की गयी हिस्सेदारी का अधिकांश हिस्सा बड़ कॉरपोरेट, विदेशी संस्थागत निवेशकों और वित्तीय संस्थाओं पास चली जाती हैद्व जनता को तो बहुत ही मामूली ही हाथ लगता है। सामाजिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश के द्वारा रु० 40,000 करोड़ जुटाने की घोषणा बेमानी है, पिछले एक वर्ष के दौरन ही सार्वजनिक उद्यमों के संरक्षित खाते में रु० 50,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। जिसे मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र के पास संरक्षित एवं अधिशेष रु 5,35,840 करोड़ हो चुका है। सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की पूँजी को छेड़े बिना ही इस संरक्षित एवं अधिशेष के हिस्से का सामाजिक व्यय के लिए मोड़ा जा सकता है। इस विनिवेश कार्यक्रम के पीछे साधन सम्पन्न सार्वजनिक उद्यमों को औने–पौने निजी क्षेत्र को सौंप देने का गुप्त ऐजेण्डा है। इसलिए मजदूर आन्दोलन को इस विनिवेश का नखशिख से विरेाध करना होगा।

5.3.6 इस सबसे उपर यह समझना ही होगा कि यू.पी.ए. सरकार ने बजट तैयार से पहले जो अन्तरिम नीति लागू की है, उसमें कुछ गुप्त एजेण्डा भी है। अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के नियंत्रण और चाहत के अनुसार चलने वाली पव उदारवादी नीतियों में यह अर्न्तनिहित है कि पूँजीनिवेश पर अधिकतम् और जल्द से जल्द लाभ मिले। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के दाम वास्तविक उत्पादक मूल्य को घ्यान में रखे बिना ही, उन वस्तुओं के अर्न्तराष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के बराबर रहें। पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और रसायनिक खाद के मूल्यों निध ारण के मामले में सरकार की कार्यवाहियों में एक विशेष तरीका देखने को मिलता है। तर्क यह दिया जा रहा है कि आयात मूल्यों के आधार पर

मूल्य निर्धारण से इस सैक्टर के विकास के लिए निवेश आकर्षित किया जा सकेगा और इस प्रकार आयात मूल्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण और विकासशील देशों में उत्पादित वस्तुओं के लागत मूल्य कम होने के कारण अधिक लाभ कमाने के जरिया बन जाएगा। वैश्विक आधार पर मूल्य निर्धारण करने से विकासशील देशों में वेतन को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है अर्थात् देशी–निदेशी धन्नासेठ निवेशकों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए विकासशील देशों के मजदूर वर्ग का और अधिक शोषण करना ही है। इस प्रकार इन नीतियों का असली मकसद ही, उस उद्योग के मजदूरों के कम वेतन के कारण कम लागत मूल्य के कारण देश को लाभ पहुँचाने के बजाय व्यक्तियों का लाभ पहुँचाना है।

5.3.7 कीरित पारिख कमेटी की सिफारिशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को नियंत्रणमुक्त करने और आयात मूल्यों के आधार पर मूल्य निर्धारण का सीधा सा अर्थ होगा कि इन उत्पादों के मूल्यों में बेहताशा वृद्धि और जनता का बेहताशा शोषण ही होगा। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस के मूल्य भी आयात मूल्यों के आधार पर निर्धारण करने से हमारे अपने ही देश में पैदा होने वाली गैस के लिए उपभोक्ता को उत्पादन मूल्य से अधिक कीमत चुकानी होगी। इसका मतलब रिलाइन्स को और भी अधिक लाभ, और रसायनिक खाद और बिजली के दामों में भी बेलगाम बढ़ोत्तरी होना निश्चित है। जो अन्ततः हमारे कृषि को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगी, और विदेशी कृषि उत्पादों के व्यापार में लगी कम्पनियाँ भारत के संसाधनों का लाभ उठाऐगीं। नव उदारवादी नीतियों के तहत देश के सभी प्रकार के संसाधनों की लूट भी एक खास मकसद है। अतः देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए, इस लूट के बारे में जनता के बीच अभियान चलाकर पर्दाफाश करते हुए इस लूट पर रोक लगाने के लिए भी मजदूर वर्ग को ही लामबन्द हो कर संघर्ष करना होगा।

5.3.8 इस संदर्भ में हमें ध्यान देना होगा कि सरकार की आर्थिक नीति का झुकाव भी साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों के ओर ही है। सरकार की साम्राज्यवाद समर्थक होने का परिचय इस बात से मिलता है भारत सरकार वित्तीय सैक्टर को नियंत्रणमुक्त करने और रुपए को पूर्ण

परिवर्तनीय बनाने के लिए उस समय भी लालायित रही है जब पूरी दुनियाँ के विकसित पूँजीवादी देशों में बड़े–बड़े वित्तीय संस्थान दिवालिया हो रहे थे। विकसित साम्राज्यवादी देशों में मन्दी की शिकार हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द उबारने का काम भारत सहित विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और बाजार को नियंत्रणमुक्त करने की कीमत पर किया जा रहा है। भारत सरकार का अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ का पर्दाफाश इस बात से हो जाता है कि भारत सरकार देश की जनता और राष्ट्र अर्थव्यवस्था को साम्राज्यवाद के हितों की खातिर कुर्बान करने पर उतारु है। अमरीकी साम्राज्यवाद के समक्ष भारत सरकार के घुटने टेकने की नीतियों का पर्दाफाश करने तथा उसके विरुद्ध संघर्षों का निर्माण करने तथा संचालन करने के लिए सीटू को ही अग्रणी भूमिका निभानी होगी।

6. श्रमिकों के हालात

6.1 श्रम अधिकारों पर हमला

6.1.1 श्रमिकों के लिए दमनकारी व्यवस्था नव–उदारवादी व्यवस्था से प्रायोजित है और सरकार उसे ही आगे बढ़ा रही है। सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूरे समाज के लिए कानून का शासन कायम करे। परन्तु नव–उदारवादी नीतियों के तहत सरकार और मालिकान मिलकर श्रम कानूनों के उल्लंघन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, और मालिकान के हित में श्रम कानूनों में भारी बदलाव करने के लिए लालायिज है।

6.1.2 बेराजगारी और स्थायी रोजगार में ठेकेदारी की दर खतनाक स्तर तक बढ़ चुकी है। संगठित क्षेत्र में आमतौर पर रोजगार सिकुड़ रहा है, और जो कुछ नया रोजगार पैदा हो भी रहा है तो वह भी कम वेतन और बेहद खराब काम के हालात के साथ। सभी श्रम कानून विशेष रुप से काम के घंटे, न्यूनतम् वेतन, रोजगार रजिस्टर, पी.एफ., ई.एस.आई. और ठेका श्रमिकों से सम्बन्धित कानूनों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। संगठित क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक टकराव एवं औद्योगिक विवाद

बुनियादी श्रम कानूनों से सम्बन्धित ही होते हैं। श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी मशीनरी लगभग सभी राज्यों और केन्द्र के स्तर पर पूरी तरह से नकारा ही हो चुकी है।

6.1.3 जब कभी भी मजदूर सामूहिक ढ़ंग से या अपनी यूनियन के माध्यम से बुनियादी श्रम कानूनों को लागू करने की माँग के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो उनके उपर प्राणघातक हमले किए जाते हैं अथवा उनकी जीविका ही छीन ली जाती है। इस घृणित काम में मालिकान और राज्य सरकार दोनों मिलकर भूमिका अदा करते हैं। यह सब लगभग पूरे देश में ही बहुत सामान्य सी बात हो चुकी है। निजी क्षेत्र के मालिकान विशेष रुप से ऐसे संस्थान जो 1990 के बाद अस्तित्व में आए हैं, अपने कारखानों में यूनियनों के गठन को रोकने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखते हैं। इसके लिए वे मजदूरों को दमन करने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी का भी खुलकर प्रयोग करते हैं।

6.1.4 ट्रेड़ यूनियन के गठन करने पर बड़े पैमाने पर नौकरी से बर्खास्तगी और अन्य प्रकार की प्रताड़ना के अनेकों उदाहरण मौजूद हैं। अकेले तमिलनाड़ में ही वर्ष 2007–08 के दौरान 360 से अधिक मजदूरों उनके नेताओं को मिथ्या एवं मनगढ़न्त आरोप लगाकर नौकरी से निकाला गया। मजदूरों के वेतन की अनुचित कटौती और निलम्बन जैसे प्रताड़ना के तौर तरीकों के अलावा 109 मजदूरों पर हत्या के प्रयास जैसी गम्भीर धाराओं में झूठे मुकदमें भी दर्ज किए गए। ये कार्यवाहियाँ हुण्डई मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी और एम.आर.एफ., गोदरेज और सी.आर. आई. पम्प जैसी बड़ी भारतीय कम्पनियों में किया गया है। मालिकान और नागरिक प्रशासन की मिली भगत से इस प्रकार की क्रूरता हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में होने वाली रोजमर्रा की घटनाऐं बन चुकी हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी "दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन" में यूनियन का गठन होते ही यूनियन के अध्यक्ष को मिथ्या आरोपों में निष्कासित कर दिया और अन्य पदाधिकारियों को झूठे आरोप पत्र देकर तरह–तरह से दण्डित करके प्रताड़ित किया गया है। कारखानों और प्रतिष्ठानों को ट्रेड़ यूनियनों के हस्तक्षेप से मुक्त रखने के इरादे से कौरपोरेट घरानों की अन्ध समर्थक सरकार ने कानून लागू करने वाली मशीनरी को निष्क्रिय

बनाकर, औद्योगिक सम्बन्धों में इस तरह की बरबरता लगभग पूरे देश में पैदा कर दी है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मजदूर आदोलन को हर जगह सरकार समर्थक क्रूरता के खिलाफ संघर्ष करना ही होगा।

6.1.5 उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद से ही, काम के घंटे, न्यूनतम् वेतन, रोज़गार रजिस्टर, पी.एफ., ई.एस.आई. और ठेका श्रमिकों से सम्बन्धित आदि बुनियादी श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन सरकार प्रायोजित रोजमर्रा की परिघटना बन चुकी है। वर्ष 1990 के बाद में स्थापित संगठित क्षेत्र के बड़े–बड़े कारखानों (विशेष रुप से बहुराष्ट्रीय निगमों अथवा बड़ी कॉरपोरेट कम्पनियों) में ट्रेड यूनियनों को स्थापित न होने देने की योजना को लागू करने की जिम्मेदारी अधिकांश राज्यों में बड़े कारपोरेट और श्रम विभाग को संयुक्त रुप से सौंप दी गयी है। चैन्ने में हुण्डई मोटर्स, एम.आर.एफ., कर्नाटक में टोयोटा–क्रिलोस्कर, महाराष्ट्र में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा उत्तर प्रदेश में पेप्सीको और हरियाणा में हौण्डा, रीको एवं लिबर्टी के अनुभव औद्योगिक सम्बन्धों यह कहानी पूरे देश में लगभग यही स्थिति है। यहां पर जिस बात को केंद्रित करने की आवश्यकता है वो ये है कि कार्यस्थलों पर ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को आवश्यक बनाने की मांग करते हुए ट्रेड के गठन और संगठन के विस्तार के अधिकार के मुद्दे को उठाना।

6.1.6 निजी क्षेत्र की अधिकांश औद्योगिक ईकाईयों फर्जी रोजगार रजिस्टर बना रखे हैं, जिसमें मजदूरों की वास्तविक संख्या के एक तिहाई से भी कम मजदूरों का नाम ही दर्ज किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 5 औद्योगिक क्षेत्रों में 367 उद्योगों में अभी हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 प्रतिशत से कम मजदूरों का नाम ही स्थायी कामगार के तौर परं रोजगार रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, सिर्फ 28 प्रतिशत ईकाईयों में ही न्यूनतम् वेतन का भुगतान किया जाता है।, 50 प्रतिशत से अधिक में बिना ओवरटाइम वेतन भुगतान के 12 घंटे तक काम लिया जाता है। वर्ष 2005 में लेबर ब्योरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कारखाना कानून में पंजीकृत 1,36,352 कारखानों में से मात्र 36,002 कारखाने ही सभी कानूनों का पालन करने की वार्षिक विवरणी पेश करते हैं। उपरोक्त आँकड़े साफ बता रहे हैं कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की श्रम कानूनों के पालन में लगी मशीनरी की निष्क्रियता

के चलते मालिकान श्रम कानूनों की सरेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इससे यह भी स्पष्ट होजाता है कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों सहित अधिकांश मजदूरों को न्यूनतम् वेतन, काम के घंटे, और सामाजिक सुरक्षा के श्रम कानूनों का न्यूनतम् सरंक्षण भी नहीं मिल रहा है।

6.1.7 साथ ही साथ देखने में आया है कि अधिकांश राज्यों में श्रम विभाग ने धीरे–धीरे अपनी जिम्मेदारी को स्वतः ही त्याग दिया है। पूरे देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के श्रम सम्बन्धी कामों को श्रम विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासक आयुक्तों पर छोड़कर बैठ गए हैं। नौएड़ा, ग्रेटर नौएड़ा जो कि उत्तर प्रदेश का अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र का पूरे श्रम सम्बन्धी मामले प्रदेश के श्रम विभाग ने पूर्णतया जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है।

6.1.8 इस पृष्ठभूमि में कॉरपोरेट जगत की गोद में बैठी वर्तमान सरकार तमाम श्रम कानूनों को बदलकर कार्यस्थलों पर पूरी तरह से मालिकान का राज कायम कर देना चाहती हैं। सरकार ने 40 मजदूरों को काम पर रखने वाले नियोक्ताओं को वर्तमान श्रम कानूनों के अनुसार रोजगार रजिस्टर रखने और सभी कानूनों का पालन करते हुए श्रम विभाग के पास वार्षिक विवरणी जमा करने की बाध्यता से मुक्त करने सम्बन्धी कानून पास करान के लिए संसद में पेश भी कर चुकी है। अर्थात् विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के 60 प्रतिशत से अधिक मालिकान को श्रम कानूनों के पालन करने की बाध्यता से मुक्त करना चाहती है। वामपंथी सांसदों के तीखे विरोध के कारण यह विधेयक चर्चा के लिए लाया नहीं जा सका है। यह विधेयक अभी भी संसद में है और सरकार उसे पास कराने के लिए उपयुक्त समय का इन्तजार कर रही है। उदारीकरण की नीतियों के तहत स्वय सरकार ने ही श्रम कानूनों के उल्लंघन को बढ़ावा दिया और अब उसें कानूनी जामा पहनाना चाहती है। इस कानून का असली मकसद मजदूरों प्राप्त न्यूनतम् संरक्षण को भी समाप्त कर देना है।

6.2 श्रमिकों का ठेकाकरण और आकस्मीकरण

6.2.1 पूँजीवाद उदारीकरण के दौर में स्थायी रोजगार की अवधारणा को ही समाप्त कर देना चाहता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कुल

श्रमशक्ति में 70 प्रतिशत से अधिक ठेका अथवा कैजुअल कामगार हो चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में ही यह 50 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं। मजदूरों के शोषण की यह स्थिति ट्रेड यूनियन आन्दोलन और श्रमिकों के अधिकारों को बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है। कार्यस्थल को ट्रेड यूनियन रहित क्षेत्र बनाने की पूँजीपतियों की योजना इस श्रमिकों के ठेकारण आकस्मीकरण और काम को ठेके देने के जरिए पूरी की जा रही है। वित्तीय पूँजी के नेतृत्व में उदारीकरण के द्वारा एक और दौलत के भण्डार भरे जा रहे हैं तो दूसरी ओर रोजगार का अस्थायीकरण करके शोषण को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। स्वभाव से बेहद चंचल और चपल पूँजी के दबाव में मालिक मजदूर सम्बन्धों में आए इस अस्थायित्व को गम्भीरता से लेना होगा।

6.2.2 संगठित क्षेत्र में ही कुल श्रमशक्ति का 70 प्रतिशत ठेका श्रमिकों को होना यह दर्शाता है कि कानून लागू करने वालों की नाक के नीचे ही किस कदर कानूनों का मजाक बनाया गया है। इसके अलावा संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) कानून के प्रावधानों की रोजाना ही धज्जियाँ उड़ायी जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार 4 करोड़ श्रमिकों में से 3 करोड़ ठेका श्रमिक हैं। इनमें से सिर्फ 12.61 लाख श्रमिक ही पंजीकृत ठेकेदारों के तहत काम करे रहे है। श्रम विभाग के अनुसार 2007–08 तक 9239 को संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) कानून के तहत ठेका लाइसेन्स जारी किए गए। अर्थात् बहुसंख्यक ठेका श्रमिकों को इस कानून का थोड़ा सा संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें जानबूझकर संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) कानून के पालन को भी नजरअन्दाज कर देना चाहती है।

6.2.3 संगठित क्षेत्र में ठेका श्रमिकों या अप्रत्यक्ष रोजगार के विभिन्न रुपों को लेकर असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों का भ्रम पैदा किया जा रहा है। ठेकेदारी व्यवस्था में वेतन और रोजगार के हालात के चलते संगठित क्षेत्र में ही असंगठित क्षेत्र के हालात बना दिए गए हैं। इसलिए संगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को ही अपनी रक्षा के लिए इस चुनौती का सामना करना होगा। हमारी यूनियनें भी संगठित क्षेत्र में पैदा हुई इस स्थिति की गम्भीरता को समझ नहीं सकी हैं कि उद्योग में श्रमिकों की

कुल बनावट में कितना अन्तर आ गया है। एक ही स्थान पर दो अलग तरह की सेवा शर्तों के साथ श्रमिक एक साथ कार्य कर रहे हैं। हम अभी तक संगठित क्षेत्र में इन ठेका श्रमिकों को संगठित करने में असफल ही रहे हैं। देखने में आया है कि स्थायी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनें ठेका श्रमिकों की माँगों से दूर ही रहती है। मालिकान इन दो प्रकार के श्रमिकों के बीच अपसी हितों के टकराव को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और कई यूनियनें मालिकान के इस प्रयास का शिकार भी बन जाती हैं।

6.2.4 ठेका श्रमिकों को संगठित करने में तथा स्थायी श्रमिकों की यूनियनों द्वारा ठेका श्रमिकों की बुनियादी माँगों को उठाने में हमारी विफलता के परिणास्वरुप हमारी सदस्यता में तेजी से गिरावट आ रही है और हमारी हड़ताल करने की ताकत दिनोदिन कमजोर होती जा रही है जो हमरी चिन्ता विषय होना चाहिए। यह नकारात्मक नजरिया भी हमारे हस्तक्षेप करने की क्षमता को प्रभावित करता है।

6.2.5 ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए कारखाना स्तर, राज्य स्तर और केन्द्र के स्तर पर पहल करनी होगी। सीटू के 12$^{वें}$ सम्मेलन के बाद इस दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए गए। जिसके तहत 19 नवम्बर 2007 को ट्रेड़ यूनियनों की प्रयोजन समिति के मंच पर ठेका श्रमिको एक सम्मेलन किया गया। कुछ राज्य कमेटियों ने भी पहल की हैं, हाल ही में 12 फरवरी 2010 को प० बंगाल में राज्यव्यापी हड़ताल की गयी जिसे पूरे राज्य में जबरदस्त समर्थन मिला है।

6.2.6 सीटू की पहल के कारण ही ठेका श्रमिकों का यह मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की कमेटी (CPSTU) की मीटिगों में ऐजेण्ड़े का हिस्सा बना है। और सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की कमेटी (CPSTU) के आन्दोलनों में यह माँग उठायी गयी है कि ठेका कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम् वेतन के बजाय कम्पनी का वेतन भुगतान होना चाहिए। इस मुद्दे पर स्टील व पेट्रालियम उद्योग सहित अन्य कई उद्योगों में हड़ताल जैसी कार्यवाहियाँ आयोजित की गयी हैं। पिछले दौर में अनुभव यह बताता है कि जिन उद्योगों में संघर्ष किया गया है, वहाँ ठेका श्रमिकों वेतन आदि में सुधार भी हुआ है। पिछले दौर में दुर्गापुर स्टील, इसको में ठेका श्रमिकों की माँगों के लिए

हड़ताल की गयी और बी.एच.ई.एल., बी.ई.एम.एल. और पेट्रोलियम उद्योग के कुछ हिस्सों में भी संघर्ष हुए है, कुछ गैर सीटू यूनियनों ने भी संघर्ष किए है। इस मुद्दे की गम्भीरता को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि जो कुछ कदम उठाऐ गऐ हैंवह नाकाफी हैं। हमारे सांगठनिक ढ़ाँचे में कई स्तरों पर हमारे नेतष्त्वकारी साथियों में इस मुद्दे पर चेतना और पहल करने की कमी देखने को मिल रही है। इसलिए संगठित क्षेत्र में भी मजदूर आन्दोलन और सामूहिक सौदेवाजी के अधिकार की रक्षा के लिए ठेका श्रमिकों के मुद्दे को पूरी गम्भीरता से लेना होगा।

6.3 असंगठित क्षेत्र – श्रमशक्ति का बड़े पैमाने पर अनौपचारीकरण

6.3.1 उदारीकरण के तहत असंगठित क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है। हमारे देश में कुल श्रमशक्ति का लगभग 94 असंगठित क्षेत्र में है। मकसद यह है कि श्रमशक्ति को अधिकारहीन और असुरक्षित बनाना है। एक विशेषज्ञ के अनुसार कुल सकल घरेलू उत्पादन में 65 प्रतिशत का योगदान इस 94 प्रतिशत श्रमशक्ति का होता है। जबकि उनकी सामाजिक सुरक्षा पर 1 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया जाता और उनके योगदान की तुलना में बहत ही मामूली वेतन के रुप में दिया जाता है। ये ठेका श्रमिक सर्वाधिक शोषित श्रमशक्ति है।

6.3.2 यू.पी.ए. सरकार ने संसदीय चुनावों से पूर्व असंगठित श्रमिक का सामाजिक सुरक्षा कानून पास किया, इस कानून को हम ने एक धोखा बताकर कुछ गलत नहीं कहा है। यह सभी श्रमिकों को न्यूनतम् वर्तमान कल्याणकारी सुविधाओं की भी गारन्टी नहीं देता, वह सब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों के लिए है। ना ही यह देश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें काम के घंटे और न्यूनतम् वेतन आदि की गारन्टी करके काम के हालातों में सुधार करने का कोई प्रावधान नही है। और ना ही शिकायत निवारण की कोई मशीनरी कायम की गयी है।

6.3.3 सरकार द्वारा नियुक्त अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 84 करोड़ लोग अपनी रोजमर्रा की जरुरतों को

पूरा करने के लिए रु० 20 प्रतिदिन भी खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन सरकार ने जो गरीबी रेखा का मापदण्ड बनाया है उसके अनुसार सिर्फ 26 करोड़ लोग ही गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और इन लोगों के कल्याण के लिए भी कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है।

6.3.4 सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना (RSBY) के तहत 2 करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी करने की घोषणा पर गर्व कर रही है। RSBY के तहत आने वाले लोगों को स्वास्थय सेवाऐं देने के बजाय सरकार सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को बीमा का प्रीमियम का भुगतान करके हाथ झाड़ लेना चाहती है।

6.3.5 इसके अलावा इस बहुप्रचारित पर राष्ट्रीय स्वास्थय बीमा योजना (RSBY) के लिए वित्तीय व्यवस्था बहुत कम होने के कारण इसकी सफलता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। यदि योजना आयोग के अनुमान के अनुसार 6.52 करोड़ ही परिवारों के बीमा के वार्षिक प्रीमियम रु० 750 के 75 % का भुगतान करने के लिए सरकार को रु० 4,875 करोड़ खर्च करने होगें। इस योजना में अगले 5 वर्ष में सभी गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों को लाभ पहुँचाने का इरादा बनाया गया है। आधा समय व्यतीत होने के समय तक मात्र 15 %लोगों को ही यह कार्ड जारी किए जा सके हैं। वर्ष 2009–10 के बजट में मात्र रु० 308 करोड़ की व्यवस्था ही की गयी है जिससे सिर्फ 54 लाख परिवारों को ही पूरा होगा।

6.3.6 असंगठित श्रमिक कल्याण फण्ड के लिए वर्तमान बजट में जो प्रावधान किया गया है उससे सरकारी तौर पर गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के 1% को भी पूरा नहीं होगा। इस कानून के तहत गठित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने सर्वसम्मति से गरीबी की रेखा के नीचे वाली शर्त को समाप्त करने की सिफारिश की है, परन्तु सरकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

6.3.7 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कानून की तमाम खामियों और कमियों के बावजूद भी हमें इस योजना के लिए पात्र मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए प्रयास करने ही होगें।

6.4 सामाजिक सुरक्षा पर हमला

6.4.1 उदारीकरण के तहत सामाजिक सुरक्षा हितलाभों पर लगातार हमला हो रहा है। जो भी सामाजिक सुरक्षा के कानून हैं वह सिर्फ संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ही हैं। 70% ठेका श्रमिकों में से बहुत ही मामूली हिस्से को ही इनका लाभ मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा पी.एफ. और पेंशन स्कीम के प्रावधानों के बाहर रखा हुआ है।

6.4.2 सगठित क्षेत्र में जबरन और स्वेच्छा से रोजगार से अलग होने की प्रक्रिया के चलते उदारीकरण के दौरान रोजगार सिकुड़ रहा है और पी.एफ. के ग्राहकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। जिससे सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों की वर्तमान व्यवस्था का प्रभाव कम हो रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि

6.4.3 इसके उपर कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारियों के जीवन भर की बचत पर ब्याज दर लगातार कम होकर 12 प्रतिशत से घटकर 8. 5 प्रतिशत ही रह गयी है। और यदि मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्षों से ही इस ब्याज को आगे और घटने से रोका जा सकेगा, क्योंकि इसे प्रतिवर्ष कम करने के प्रयास किए जाते हैं। अब महँगाई के दबाव के कारण 6.5 प्रतिशत का वास्तविक मूल्य बहुत ही कम रह गया है।

6.4.4 दूसरे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैंठक में इन्टक को छोड़कर सभी मजदूर प्रतिनिधियों के जबरदस्त विरोध के बावजूद भी सरकार और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के गठबन्धन ने बहुमत से जुलाई 2008 में पी.एफ. की जमाराशि के एक बड़े हिस्से को निजी संस्थाओं के हवाले करने का निर्णय ले लिया। सरकार और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों के गठबन्धन ने एच.एस.बी.सी., आई.सी.आई.सी.आई. और रिलाइन्स कैपीटल नामक तीन निजी संस्थाओं को दस काम केलिए नियुक्त कर दिया है। जबकि अभी तक सिर्फ स्टेट बैक ऑफ इण्डिया ही व्यवस्था देखता आ रहा था। इस प्रकार मजदूरों की गाढ़ी कमाई को सट्टेबाजों के हवाले कर दिया गया है, जिसके डूबने की पूरी संभावाऐ

मौजूद हैं। वर्तमान वैश्विक संकट को देखने के बाद मजदूरों पी.एफ. को डूबने से बचाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए।

कर्मचारी पेंशन स्कीम

6.4.5 कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 को बहुसंख्यक मजदूरों के भारी विरोघ के बावजूद भी थोप दिया गया, क्योंकि सीटू को छोड़कर देश के सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संघों ने इस स्कीम को लागू करने की माँग की थी। विरोध को शान्त करने के लिए भारत सरकार ने हर साल स्कीम का मूल्यांकन करने का वायदा किया था, ताकि महँगाई की भरपाई की जा सके। लेकिन 4 वर्ष बाद ही सरकार ने एकतरफा तरीके से मूल्यांकन बन्द कर दिया। ट्रेड़ यूनियनों के विरोध को पूरी तरह से नजर अन्दाज करते हुए सरकार ने पेंशन लाभ को कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है।

6.4.6 सरकार का कर्मचारी पेंशन स्कीम पर हमला अपने कॉरपोरेट आकाओं खुश करने के लिए कर रही है। ट्रेड यूनियनों के लगातार विरोध ा के बावजूद भी सरकार ने मजदूरों को मिलने वाले पेंशन हितलाभों में कटौती करने इरादे से और नियोक्ताओं को भारी रियायतें देनें के लिए एक तरफा तरीके से अध्यादेश जारी करके स्कीम की कुछ धाराओं को बदल डाला।

6.4.7 पेंशन फण्ड को समय पर जमा न कराने वाले मालिकान को छूट देकर सरकार ने उन्हे भविष्य में भी ऐसा ही करते रहने के लिए बढ़ावा ही दिया है। पेंशन फण्ड में कर्मचारियों के योगदान के साथ–साथ नियोक्ता का भाग सम्बन्धित पी.एफ. अक्रॉरिटी के पास समय पर न जमा कराने के लिए लगने वाले दण्ड में 12% की कमी करने के बाद 17%–37% को घटाकर 5%–25% कर दिया गया है। यह मालिकान को धोखधड़ी के लिए बहुत बड़ा ईनाम है।

6.4.8 दूसरी ओर विभिन्न प्रावधानों का वापस लेकर पेंशन लाभों में भारी कटौती की गयी। सेवानिवृति से पूर्व पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन राशि में प्रतिवर्श 3%–4% की कटौती की गयी। असज स्कीम के अनुसार 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़कर पेंशन प्राप्त करने के

इच्छुक कर्मचारी की पेंशनराशि से मात्र 3% प्रतिवर्ष की कटौती की ही प्रावधान रहा है। उदाहरण के तौर पर 50 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़ने पर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होने पर मिलने वाली पेंशनराशि से 25% (8 वर्श × 3%) कम पेशन प्राप्त करने का अधिकारी होता, परन्तु अब 4% प्रतिवर्ष की कटौती के बाद उसे 32% कम पेंशन मिल सकेगी। यह भी एक सच्चाई है कि आज कल कर्मचारियों को जल्दी ही नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, परिणास्वरुप कुल पेंशनरों की संख्या में जल्द नौकरी छोड़कर पेंशन प्राप्त करने वालों की संख्या भी काफी है।

6.4.9 पेंशन को रुपान्तरण (Commutation) कराने का प्रावध ाान वापस ले लिया गया है और घटी दर पर पेंषन प्राप्त करके जमा पूँजी को प्राप्त करने का कर्मचारी का अधिकार भी बिना कोई कारण बताए ही समाप्त कर दिया गया है।

6.4.10 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की किसी भी बैंठक में इन में से कोई भी मुद्दा कभी भी चर्चा में नहीं आया। और न ही सरकार ने कभी केन्द्रीय श्रम संघों के साथ इस विषय पर विचार विमर्ष किया गया। कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए फायदेमन्द विकल्पों को वापस लिया गया और जल्द नौकरी से मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशनराशि को कम कर दिया गया साथ ही साथ फण्ड को जमा कराने में धोखधड़ी करने वाले मालिकान को भारी रियायतें दी गयी। सरकार का यह कृत्य पूरी तरह से मजदूर विरोधी ही है।

6.4.11 भारत सरकार कॉरेपोरेट नियोक्ताओं को फायदा देने के लिए मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों में भारी कटौती करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त त्रिपक्षीय कमेटी और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) के सर्वसम्मत राय कि पी.एफ. कानून को लागू करने के लिए नियुक्त मजदूरों की वर्तमान संख्या 20 को घटाकर 10 कर दिया जाए, परन्तु सरकार ने उसे लागू नहीं किया है।

6.4.12 इतना ही भर नहीं है, सरकार पेंशन फण्ड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) कानून जिसे यू.पी.ए.– । सरकार वामपंथी विरोध के चलते पास नहीं करा सकी। (PFRDA) कानून को इस प्रकार तैयार किया गया है कि निश्चित लाभ व्यवस्था को बदलकर निश्चित

योगदान आधारित व्यवस्था कर दी जाए, जैसा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किया गया है। जबकि कर्मचारियों से प्राप्त फण्ड को शेयर मार्केट में लगाया जाएगा अर्थात पेंशनराशि इस सट्टेबाजारी के आधार पर कम बढ़ होती रहेगी। मजदूर आन्दोलन को सरकार की इस साजिश के खिलाफ लड़ना ही होगा।

7. प्रमुख संघर्ष तथा गतिविधियां

7.1.1 बारहवें सम्मेलन के बाद की अवधि में आंदोलनों तथा संघर्ष के अनेक देशव्यापी संयुक्त कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अलावा अनेक सेक्टर/उद्योग आधारित आंदोलन भी किए गए हैं।

7.1.2 सीआइटीयू के बारहवें सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सीआइटीयू की ओर से 18 अप्रैल 2007 को अखिल भारतीय किसान सभा तथा ऑल इंडिया खेत-मजदूर यूनियन के साथ मिल कर जिला स्तरों पर लामबंदियां करके संयुक्त मांग पत्र पर "अखिल भारतीय मांग दिवस" मनाया था। इसके बाद 31 अगस्त 2008 को नयी दिल्ली में मजदूरों और किसानों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के साथियों की ओर से व्यापक रूप में भाग लिया गया था। दुर्भाग्यवश, मजदूरों और किसानों की इस संयुक्त पहलकदमी को आगामी कार्यक्रमों का आयोजन न करके जारी नहीं रखा जा सका।

7.1.3 भारत–अमरीका परमाणु समझौते के विवाद और वाम दलों की ओर से किए गए समझौते के विरोध की पष्ठभूमि में सीआइटीयू की ओर से सरकार के साम्राज्यवाद समर्थक रुख के खिलाफ एक अभियान चलाया गया और 19 सितम्बर 2007 को "भारत–अमरीका परमाणु समझौता विरोधी दिवस" मनाया गया। इस दिन देश के सभी औद्योगिक केन्द्रों तथा कामकाजी स्थलों में देशव्यापी अभियान चला कर परमाणु समझौते के असल चेहरे को बेनकाब किया गया और जनता को उसके दुश्प्रभावों की जानकारियां दी गईं। सीआइटीयू द्वारा इस विषय पर एक पुस्तिका निकाली गई और उसे स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए सभी राज्य समितियों को भेजा गया।

7.1.4 श्रमिक संघों की आयोजन समिति के झण्डे तले 19 नवम्बर 2007 को नयी दिल्ली में संविदा श्रमिकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी राज्यों से ठेका मजदूरों की ओर से व्यापक भागीदारी की गई। सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार "अखिल भारतीय संविदा श्रमिक मांग दिवस" 8 जनवरी 2008 को मनाया गया। सीपीएसटीयू की पहलकदमी पर इस्पात उद्योग में 30–31 अक्टूबर, 2010 को शानदार दो दिवसीय हड़ताल की गई। इसके प्रभावस्वरूप विजाग इस्पात संयंत्र के मजदूरों ने 20 दिन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के मजदूरों ने 10 दिन लम्बी हड़ताल की। कर्नाटक में बीईएमएल के ठेका मजदूरों की ओर से भी हड़ताल की शानदार कार्रवाई की गई।

7.1.5 ट्रेड यूनियनों की स्पोंसरिरंग कमेटी के द्वारा 4–5 2007 में सारे राज्य राजधानियों और ओद्योगिक क्षेत्रों में राज्यव्यापी सत्याग्रह संयुक्त लामबंदी धरना, गिरफ्तारियां आदि मनाए गए। यह कार्यक्रम लगातार बढ़ती महंगाई और जनता व मजदूरों पर नव उदारवादी नीतियों के कारण बढ़ते बोझ पर 18 सूत्रीय मांग दिवस पर आयोजित किया गया।

7.1.6 इन्हीं 18 सूत्रीय मांगों पर 20 अगस्त 2008 को 12वीं आम हड़ताल आयोजित की गई जोकि भूमंडलीयकरण की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ थी। इस हड़ताल में देशभर के लगभग सभी क्षेत्रों के मजदूरों ने विशाल संख्या में भागीदारी की। इंटक और बीएमएस से संबंधित बहुत सी यूनियनें भी इस हड़ताल में शामिल हुईं।

7.1.7 इन संयुक्त गतिविधियों और कार्यक्रमों के अलावा भी उद्योगों व सेवाओं के कर्मचारियों और मजदूरों ने क्षेत्र स्तर के बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए। 2007, 2008 और 2009 में बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी संयुक्त हड़तालें हुईं। मई 2007 में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां दीं। उनकी 10 जुलाई की अखिल भारतीय के पहले 18 फरवरी 2008 को संसद मार्च आयोजित किया गया। 11 जुलाई 2007 की बीएसएनएल कर्मचारियरें की हड़ताल; 8 अगस्त 2007 की असंगठित क्षेत्र मजदूरों की आम हड़ताल, 12 जून 2007 की इंडियन एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ की हड़ताल और 2009 में बेंगलूरू व हैदराबाद एयरपोर्ट को बंद करने के खिलाफ दो दिवसीय एयरपोर्ट ऑथेरिटी एम्पलॉएज़ की हड़ताल, 30

अक्टूबर 2007 की राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचरियों व टीचर्स की हड़ताल; सीडब्ल्यूएफआई के आहवान पर 8 दिसम्बर 2009 के कंसट्रक्शन वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल, स्टील वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के आहवान पर 30 से 31 अक्टूबर 2009 की सार्वजनिक क्षेत्र स्टील उद्योग के कर्मचारियों की दो दिवसीय हड़ताल। कोल तथा पोर्ट एवं डॉक मजदूरों व टेलिकॉम वर्कर्स ने भी बहुत दिनों की अखिल भारतीय हड़तालों का आयेजन करने में पहलकदमी की परन्तु इस दबाव से सरकार द्वारा आगे आकर मुद्दे को हल कर लेने पर हड़ताल नही हो सकी।

7.1.8 उपरोक्त के अलावा, राज्य स्तर पर भी मजदूरों द्वारा बहुत से ओद्योगिक क्षेत्र में कार्यवाहियां की गईं जिनका सीटू ने नेतष्त्व किया। 24 से 25 आप्रैल 2008 को दिल्ली के ओद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल आयोजित की गई, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हाइडल प्राजेक्टस् में बहुत दिनों की हड़ताल आयोजित की गई। 2009 में विज़ाग स्टील प्लांट के कांट्रैक्ट वर्कर्स ने 20 दिवसीय हड़ताल आयोजित की; 2007–08 में प0 बंगाल के जूट मिल वर्कर्स और टी गार्डन वर्कर्स ने हड़ताल की। 5 जून 2008 को प0 बंगाल और केरल में महंगाई के खिलाफ हड़ताल और 2010 में प0 बंगाल में ट्रेड यूनिसनों की संयुक्त जूट मिल वर्कर्स की हड़ताल और राज्य स्तरीय कांट्रैक्ट वर्कर्स की हड़ताल।

7.1.9 फेडरेशन

सीटू के तहत, अलग–अलग उद्योग फेडरेशनों ने भी आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स राष्ट्रीय और राज्यीय दोनों ही स्तरों पर नियमित व संगठित कार्यप्रणाली के चलते राज्य व अखिल भारतीय पैमाने पर हड़तालों समेत कई सारे संघर्ष किये गए जिससे 23 राज्यों तक संगठन के विस्तार व उसकी सदस्यता के बढ़ने में मद्द मिली। सिर्फ यही नहीं,सीटू के तहत आंगनवाड़ी कामगारों को आन्दोलनों ने आशा और मिड डे मील कामगारों के दो बड़े कामकाजी महिला तबकों को मजदूर आन्दोलन में संगठित करने का काम किया।

आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन ने भी सीटू के तहत अपने स्वतंत्र हस्तक्षेप के कारण में अन्य ट्रेड यूनियनों के सामने ऐसी स्थिति पैदा की कि वे संघर्ष के मंच पर आने को बाध्य हुए और कोल प्रबंधन व सरकार को मजदूरों की मांगों को मानने पर विवश होना पड़ा। इसके अलावा हमारी कोल फेडरेशन के हस्तक्षेप ने उद्योग की अन्य यूनियनों को निजीकरण व विनिवेश के खिलाफ एकजुट किया। लेकिन ऐसी सफलता का पूरा इस्तेमाल जरूरत के अनुसार सदस्यता को बढ़ाने में नहीं किया गया और इसलिए पर ज्यादा संगठनात्मक पहलकदमी की आवश्यकता है।

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया भी नियमित रूप से कार्य करने वाली फेडरेशन है जिसने 8 दिसम्बर 2009 को निर्माण मजदूरों की सफल देशव्यापी हड़ताल की और बीच के इस दौर में अपनी सदस्यता व प्रभाव के दायरे को बढ़ाया है।

आल इंडिया रोड टांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन भी सारे देश में सड़क परिवहन कामगारों के बीच सक्रिय है और इस दौरान अपनी सदस्यता को 14 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश तक बढ़ाने में सफल रही है।

इलेक्ट्रीक्सीटी एम्पलाइज फेडरेशन आफ इंडिया, बिजली क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है और सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण जनउपयोगिता के क्षेत्र के निजीकरण की नीति के खिलाफ देशव्यापी संयुक्त आन्दोलन खड़ा करने में उसने अहम भूमिका अदा की है। इस दौरान फेडरेशन ने अपनी सदस्यता व प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है।

स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कामगारों के आन्दोलन को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस फेडरेशन द्वारा अकेले दम की गई पहल कदमी के कारण भिलाई स्टील प्लांट को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ,खदानों व निकाओं में 30–31 अक्टूबर 2009 को नियमित व ठेके वाले दोनों कामगारों की सफल दो दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया।बीचके इस दौर में,सीटू के नेतृत्व में विशाखपट्टनम, दुर्गापुर, टिसको और बोकारो में ठेका मजदूरों की सफल हड़ताल की कार्यवाई हुई। फेडरेशन को अभी निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कामगारों के बीच अपनी पैठ बनानी है।

वाटर ट्रॉसपोर्ट वर्कर्स फेडेरशन आफ इंडिया, नाविकों व बंदरगाह तथा गोदी के मजदूरों के बीच देशभर में सक्रिय है। फेडरेशन,नाविकों के आन्दोलन की प्रभुत्वशाली ताकत है और इसने अपने आधार का काफी विस्तार किया है। बंदरगाह व गोदी मजदूरों के बीच भी फेडरेशन का अच्छा खासा प्रभाव है और इसके प्रयासों के चलते बंदरगाह व गोदी मजदूरों की मांगों पर संयुक्त संघर्षों को विकसित करने का काम किया गया है।

आल इंडिया बीड़ी वर्कर्स फेडरेशन सीटू में मजदूरों की एक और महत्वपूर्ण फेडरेशन है। यह फेडरेशन,देश में सबसे पुराने ट्रेड यूनियन आन्दोलन में से एक का प्रतिनिधित्व करती है और अपने प्रभाव को देशभर में जबरदस्त रूप से बढ़ाने की इसकी काफी क्षमता है। फेडरेशन को देशभर में सक्रिय किये जाने की जरूरत है। हाल ही में कोलकता में हुई फेडरेशन की अखिल भारतीय कांफ्रेस में इस बाबत योजना पर चर्चा हुई।

आल इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन भी सीटू के तहत काम करने वाली पुरानी फेडरेशनों में से एक है। देश के अलग–अलग भागों में रोपाई आधारित नियमित गतिविधियों व दक्षिण तथा पूर्व/ उत्तर पूर्व भागों में क्षेत्रीय स्तर पर तालमेल के बावजूद फेडरेशन स्तर की गतिविधियां उतनी नियमित नहीं है। फेडरेशन स्तर की गतिविधियों को पुर्नगठित करने के लिए फेडरेशन की कॉफ्रेस की योजना बनाई जा रही है।

फेडरेशन आफ मेडिकल एंड रिपेजेन्टेटिव्स एसोशिएसन आफ इंडिया देश भर के पैमाने पर नियमित गतिविधियों और सदस्यता के आधार वाली एक अन्य अखिल भारतीय फेडरेशन है। विभिन्न राज्यों में फेडरेशन की इकाईयां राज्य स्तरीय आन्दोलन व संगठन में भी सक्रिय भूमिका अदा करती हैं।

आल इंडिया फिशर्स एंड फिशरीज वर्कर्स फेडरेशन मछुआरों व मत्स्य मजदूरों के आन्दोलनों के बीच तालमेल के लिए बनी एक नई फेडरेशन है जिसे अलग–अलग राज्यों में सीटू व अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा एक राष्ट्र व्यापी आन्दोलन के रूप में संगठित किया जा रहा है। फेडरेशन के बनने के बाद सीटू की कुछ राज्य कमेटियों ने मछुआरों को संगठित करने की पहलकदमी की है। मछुआरों व मत्स्य मजदूरों की भारी

तादाद को देखते हुए सीटू की तमाम राज्य कमेटियों को उन्हें संगठित करने के प्रयास करने चाहिए। आबादी के इस शोषित तबके को एक अखिल भारतीय आन्दोलन के तौर पर संगठित करने की बहुत गुजाइश है।

7 2 संघर्ष का बदला आयाम

7.2.1 पहली संप्रग सरकार के अंतिम साढ़े चार साल के शासन के दौरान वामपंथी ताकतें, मजदूर वर्ग के आन्दोलन के संगठित दबाव की पृष्ठभूमि में नवउदारवादियों के विनाशकारी कदमों पर कुछ रोक लगाने में सफल थीं। अब,संप्रग सरकार के दूसरे कार्यकाल में, वामपंथी की संसद में घटी ताकत के चलते क्योंकि सरकार को कोई भय नहीं है इसलिए संसद के बाहर आन्दोलन व गोलबंदी को कई गुना अधिक बढ़ाना होगा।

7.2.2 सफल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में बढ़ोतरी के तमाम सरकारी दावों के बावजूद सभी आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती जा रही कीमतों के चलते आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। लोगों का जीना दूभर हो रहा है और मंदी के असर में व्यापक पैमाने पर आजीविका और आय के छिनने से असंतोष पनप रहा है।

7.2.3 नयी राजनीतिक परिस्थिति और वामपंथ के कमजोर होने के कारण जब संप्रग की दूसरी सरकार अपने साम्राज्यवाद परस्त और जनविरोधी एजेन्डों को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रवैया अपना रही है तब इस हमले का मुंहतोड़ जबाब देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी मजदूर वर्ग के कंधों पर आ गई है।

7.2.4 जमीनी स्तर पर संकट और अशांति ने, जनता पर इस नीतियों को खरतनाक असर के खिलाफ विरोध के मंच को विस्तारित करने की परिस्थितियां पहले ही पैदा कर दी है। मूल्य वृद्धि, मंदी के कारण भारी तादाद में रोजगार के छिनने विनिवेश से विरोध और परिस्थिति से निपटने के लिए पॉच ठोस कदमों की मांग के लिए इंटक व बी एम एस समेत सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का एक साथ आना, साझे मुद्दों पर मजदूर वर्ग की एकता इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हमें ट्रेड यूनियन आन्दोलन में उभरती इस एकता को काम में लेते हुए एकता के

संदेश को जमीनी स्तर पर ले जाना चाहिए ताकि इस स्तर पर मजदूर वर्ग को एकजुट किया जा सके और लोगों को जीवन व उनक जीविका को प्रभावित करने वाली नीतियों के खिलाफ व्यापकतम लामबंदी सुनिश्चित हो सके। सबसे अहम काम,सभी ट्रेड यूनियनों के शीर्ष नेतृत्व के एक साथ आने की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर मजदूरों की मुद्दों व मांगो पर आधारित,संघर्ष में एकता में तब्दील करने का है। ऐसा करने से ही नवउदारवादी नीतियों में बदलाव के लिए संघर्ष और शासक वर्गों के हमैले के मुकाबले के संघर्ष को नई ऊँचाई पर ले जाया जा सकता है जो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।

7.2.5 सभी के इस संयुक्त मंच की ओर से 16 दिसम्बर,2009 को संसद के सामने एक जबरदस्त धरना व 5 मार्च,2010 को देशव्यापी सत्याग्रह तथा जेल भरो का आयोजन किया गया। सीटूको जहॉ एक ओर इस अभियान को जमीनी स्तर पर मजदूरों के बीच ले जाने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी और तमाम संयुक्त कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लामबंद सुनिश्चित करनी होगी। वही जमीनी स्तर पर आगे की कार्रवाईयों के लिए संयुक्त मंच को और मजबूत कर मजदूरों की एकता को व्यापक करना होगा।

7.3 संयुक्त अभियान और एकता को व्यापक करने के लिए हमारा रूख

7.3.1 इस संदर्भ में हमें कार्यस्थल /इकाई स्तर पर एकता को विकसित करने के बारे में अपने नजरिए पर गंभीर आत्मनिरीक्षण करना होगा। यूनियनों के बीच प्रतिद्वदिता और वैमनस्य, ट्रेड यूनियनों की बहुतता के परिदृश्य में आमतौर पर उद्यम स्तर पर एकता की चाह पर हावी रहता है। ऐसी परिस्थिति में हमारी यूनियनों को वर्गीय एकता की अपनी सोच के साथ अपनी अलग पहचान को सामने लाना चाहिए। हमें,मजदूरों की जायज मांगों के समर्थन में एकता के अपने आह्वान के जरिये, मजदूरों के मुद्दों पर उनके बीच वर्गीय आधार पर एकता की समझदारी को विकसित करके और उसी आधार पर उन्हें लामबंद करके, अन्य सुधारवादी यूनियनों के मजदूर विरोधी संघर्ष विरोधी एजेंडे का

भंडाफोड़ करना चाहिए। ऐसा करने से आन्दोलन पटरी पर रहेगा और दूसरी यूनियनों को भी संयुक्त संघर्ष के विचार के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। कोल और स्टील कामगारों के आन्दोलन का हाल का अनुभव सीटू द्वारा अपनायी गई अलग पहचान व एकता की इस रणनीति के सफल अमल का एक उदाहरण है।

7.3.2 हालिया दौर में ट्रेड यूनियनों के बीच विकसित हो रही सभी की एकता के संदर्भ में हमें ट्रेड यूनियनों की स्पान्सरिंग कमेटी को कमजोर था अप्रासंगिक नहीं होने देना चाहिए। यह भूलना नही चाहिए कि वैश्वीकरण विरोधी संघर्ष के शुरूआती चरण में बनी स्पान्सरिंग कमेटी ने पिछले दो दशकों में 12 देशव्यापी आम हड़ताले की। कुछ को छोड़कर, स्पान्सरिंग कमेटी के ज्यादातर घटकों, केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व फेडरेशनों की, नवउदारवादी नीतियों व इन नीतियों के पीछे साम्राज्यवाद की भूमिका के बारे में एक साझा व एकीकृत दृष्टिकोण रहा है। इसे वैश्वीकरण विरोध के संघर्ष का केन्द्रक माना जाना चाहिए जिसके इर्द–गिर्द कुछ मौकों पर साझे मुद्दों पर एक व्यापक एकता विकसित हो सकती है।

7.3.3 यही नहीं, हमें यह भी नोट करना चाहिए कि उस वर्ग की एकता, जिसकी हम बात कर रहे हैं,विभिन्न ट्रेड यूनियनों के शीर्ष नेतृत्व की एकता भर नहीं है जिसके नीचे उनसे संबंधित मजदूर वर्ग बटा पड़ा हुआ हो।एकता महज एकता के नाम के लिए नहीं वरन वर्गीय रूख के साथ संयुक्त कार्रवाईयों में होनी चाहिए। ऐसी एकता का आधार, समूची कामगार शक्ति तक पहुँचने वाले स्वतंत्र अभियानों के माध्यम से नीचे से तैयार करना होगा।

7.4 मजदूर–किसान गठबंधन

7.4.1 बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में, मजदूर और किसान–खेत मजदूर संगठनों की संयुक्त पहलकदमी की फौरी आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस गुजरे दौर में इस संदर्भ में सीटू द्वारा किये गये कुछ प्रयासों के बावजूद,मजदूर–किसान गठबंधन को मांग दिवस मनाने और एक राष्ट्रीय कन्वेंशन के आयोजन से आगे नहीं बढ़ाया

जा सका। इन कार्यक्रमों के बाद दोनों ही तरफ से कोई गंभीर पहलकदमी नही हो पाई।

7.4.2 मजदूर–किसान एकता की चाहना हमारे कार्यकर्ताओं में देश भर में है जो विभिन्न राज्यों में किसान सभा व खेत मजदूरों को संगठित करने के लिए समर्थन देने की सीटू यूनियनों की एकजुटता पहलकदमियों में झलकता है। कई सारे राज्यों जैसे तमिलनाडु,हिमाचल प्रदेश,आंध्र प्रदेश आदि में सीटू की यूनियने वित्तीय और सामग्री की मद्द के साथ ही लोगों को किसान सभा के समर्थन में संगठित करने के लिए पहलकदमी कर रही हैं। कुछ जगहों पर हमारे किसान सभा के साथियों की ओर से ऐसे ही प्रयास सीटू के लिए किये जा रहे हैं।

7.4.3 इस संदर्भ में मजदूर आन्दोलन या सीटू को किसान सभा व खेतमजदूर यूनियन के साथ साझे मुद्दों पर आधारित योजनाबद्ध तरीके के कार्यस्थलों पर जिले व राज्य स्पर पर संयुक्त गतिविधियां विकसित करने के लिए जोरदार पहलकदमियां करनी चाहिए। इसी के साथ,सीटू केन्द्र को जन मोर्चे के स्तर पर अपनी संयुक्त कार्रवाईयों को पुनः शुरू करना चाहिये। सीटू के द्वारा जमीनी स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर इस तरह के दुतरफा प्रयास का निश्चित ही अच्छा असर होगा।

7.4.4 सीटू को राष्ट्रीय स्तर पर जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को पुनः सक्रिय कर संघर्षों के जन मंच को भी व्यापक करना चाहिये। इस दिशा में पहले हमें समान विचार वाले छात्र,युवा,महिला संगठनों व जनता के दूसरे तबकों के साथ किसान व खेतमजदूरोंको लेकर संयुक्त गोलबंदी के लिए पहलकदमी करनी चाहिये।

8 विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष– साम्प्रदायिकता,जातिवाद व संकीर्णतावाद

8.1 मजदूर वर्ग और जनता को एकताबद्ध करने के हमारे प्रयासों में वर्ग विभाजित समाज में हर दिन बढ़ रही तमाम तरह की विभाजक और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठन हर स्तर पर क्षमता और चेतना के निर्माण के काम को प्राथमिकता देनी चाहिये।

8.2 अस्सी के दशक के आखिरी दौर से सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य में, साम्प्रदायिक व विभाजनकारी ताकतों के उभार ने मजदूर वर्ग और आमतौर पर मेहनतकश जनता की एकता को बनाने के हमारे प्रयासों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की है। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ भा ज पा के नेतष्त्व में साम्प्रदायिक ताकतों ने अपने साम्प्रदायिक एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। एक ओर चुनावी हार ने और दूसरी ओर उनकी अन्दरूनी उठा–पठक ने उन्हें निराशोन्मत्त बना दिया है।

8.3 मजदूर वर्ग के भीतर इस सांम्प्रदायिक विचारधारा के प्रभाव को और इसका मुकाबला करने में अपनी कमजोरी को हमें गंभीरता से लेना चाहिये। ट्रेड यूनियनों आन्दोलन ने दूसरे जनसंगठनों के साथ कई अवसरों पर सांम्प्रदायिकता के खिलाफ अभियान चलाया है,लेकिन यह गोलबंदी नियमित दोनों के ही संदर्भ में पूरी तरह नाकाफी रहा है। सांप्रदायिक–विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब कर वर्ग की एकता को बचाने के लिए इस कमजोरी को दूर करना होगा। इसके लिए संगठन के हर स्तर पर सचेत स्वतंत्र पहलकदमी करनी होगी।

8.4 जातिवाद की समस्या भी गंभीर सोच का विषय है। जातिवाद से उपजी दिक्कतों ने भी मजदूर वर्ग की एकता के रास्ते में गंभीर चुनौती पेश की हैं और ट्रेड यूनियन आन्दोलन को कमजोर किया है। यह समस्या पुराने सामंती सामाजिक–आर्थिक ढ़ांचे की देन है। इसने जाति व्यवस्था और उससे जुड़े सामाजिक शोषण को बनाये रखा है। इसीलिए आज भी विकास के पूंजीवादी रास्ते से आई तथा कथित आधुनिकता के साथ जातिगत दमन अपने सबसे बुरे रूपों में विद्यमान है। हालांकि अस्सी के दशक के आखिर से दामित तबकों और शोषित जातियों में अपने अधि ाकारों के प्रति उभार आया है। यह उभार सामाजिक राजनीतिक दायरे में भी दिखाई पड़ रहा है जो एक सकारोत्मक पहलू है और इसकी जनवादी विषयवस्तु को पोषित कर शोषणकारी निजाम के खिलाफ मुख्यध ारा के संघर्षों में एकीकृत करने की जरूरत है।

8.5 वोट बैंक राजनीती से निर्देशित कुछ निहित स्वार्थी तबके, सामाजिक उत्पीड़न व अन्याय के खिलाफ बढ़ते इस उभार को अलग–अलग जातियों के संकीर्ण दायरे में सीमित कर उसका इस्तेमाल जातिगत, ध ुव्रीकरण के लिए करना चाहते हैं। ऐसा दमित तबकों को उत्पीड़न व

अन्याय के खिलाफ सांझे जनवादी संघर्ष से दूर रखने के लिए किया जाता हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी बड़े पैमान पर यह दिखाई पड़ता है। खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहॉ जनवादी आंदोलन बहुत कमजोर है। मजदूर वर्ग के आंदोलन के सामने अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ बढ़ते इस असंतोष व उभार को चेतना का निमार्ण कर लगातार प्रयासों के माध्यम से वर्गीय चेतना व संघर्ष की दिशा देने का काम है। इससे ट्रेड यूनियन आंदोलन पर यह फायदा होता है कि वह सामाजिक न्याय के मुद्दे को हाथ में ले और प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक शोषण–उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करे।

8.6 सीटू की 10वीं कांफ्रेस में स्वीकार किये गये नीति पत्र में इस कार्य को स्पष्ट तौर पर दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया " जातिवादी विचारधारा व जातिगत खेमेबाजी को बेनकाब करने के साथ ही यह जरूरी है कि मजदूर आंदोलन पूरी गंभीरता के साथ,दमित जनमानस के खिलाफ शोषण,उत्पीड़न व भेदभाव के विरूद्ध अपने वर्गीय मंच के साथ सामने आये–– ताकि दमित जनता के संघर्ष के मंच पर लाया जा सके,उन्हें जातिगत आधार पर बने विभिन्न ढांचों के शिकंजे से मुक्त किया जा सके। वर्गीय मंच के लिए यह जरूरी है कि वह दमित–शोषित जनता के सच्चे चैंपियन होने की साख पुख्ता करे।

8.7 इस संदर्भ में आर्थिक नीति के मोर्चे पर साम्राज्यवादी एजेंडे के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्षों और जुझारू लामबंदी को तेज करने के काम को कहीं ज्यादा गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इसी के साथ हमें तमाम तरह की विभाजनकारी ताकतें–साम्प्रदायिकता,जातिवाद व सकीर्णतावाद का मुकाबला करने के लिए संगठनात्मक व विचारधारात्मक दोनों ही स्तरों पर सचेत पहलकदमी करनी होगी। संघर्ष के मैदान में वर्गीय एकता को व्यापक व मजबूत करने के उद्देश्य के साथ इन दोनों संघर्षों को साथ चलना होगा। वर्गीय एकीकरण व विभाजनकारी ताकतों की हार को,वर्ग संघर्ष को तेज करके ही सबसे बेहतर तरीके से हासिल किया जा सकता है।सांम्प्रदायिक व अन्य विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई को मजदूर वर्ग के संघर्ष के अभियान हिस्से के तौर पर लिया जाना चाहिये।

9 हमारे अंतराष्ट्रीय संबंध

9.1 अंतराष्ट्रीय मजदूर वर्ग के आंदोलन में सीटू की भूमिका और बढ़ी है। विभिन्न देशों के महासंघों व औद्योगिक संघों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में इजाफा हुआ है। निःसंदेह,मजूदर वर्ग की विचारधारा के प्रति सीटू की प्रतिबद्धतत्व,वर्ग संघर्ष में उसका यकीन और मजदूर वर्ग के हितो के लिए जुझारन संघर्ष वे कारक हैं जिनमें अंतराष्ट्रीय स्तर पर सीटू की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसी के साथ विभिन्न अंतराष्ट्रीय मंचों पर,अंतराष्ट्रीय बैठकों व सम्मेलनों के सबों में भागेदारी करते हुए हमारे साथी हर तरह से सीटू की प्रतिबद्धता को सामने लाने में सफल रहे हैं।

9.2 हालांकि औपचारिक रूप से वर्ल्ड फेडरेशन आफॅ ट्रेड यूनियंस *(डब्लयू एफ टी यू)* से संबंध होने के बावजूद सीटू ने अपनी स्थापना से ही इफ्टू के साथ नजदीकी संबंध बनाये रख हैं और इफ्टू की सभी बैठकों व सम्मलेनों में भागेदारी करने के साथ उसके विभिन्न कार्यक्रमों को भी लागू किया है। यही नही,1–4 दिसम्बर,2005 को हवाना क्यूवा में हुई इफ्टू की 15वीं कांग्रेस के बाद नये नेतष्त्व की पहलकदमी के साथ कदम से कदम मिलाने का सीटू ने पूरा प्रयास किया है। ऐथेंस,यूनान स्थिति इफ्टू का नया मुख्यालय,सीटू के नई दिल्ली मुख्यालय के साथ बराबर तालमेल बनाये हुए है। इस दौरान विभिन्न ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल्स में (टी यू आई एस) हमारे साथियों की नेतष्त्वकारी भूमिका उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। सीटू के नुमाइंदे नियमित तौर पर इफ्टू की प्रेसीडेंशियल काउंसिल में विशेष आमांत्रित के रूप में शिकरत कर रहे है।

9.3 हम जिस दौर से समीक्षा कर रहे हैं उसके दौरान सीटू ने कई महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया है।इनमें से एक सहभागी के तौर पर सीटू द्वारा आयोजित कोलमाइनरर्स की अंतराष्ट्रीय कांफ्रेस थी जो 14–16 दिसम्बर,2009 को कोलकता में आयोजित हुई थी। इसमें सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। शामिल हुए देशों में आस्ट्रेलिया, बोलजियम, कनाडा, रूस, कोलम्बिया, फ्रांस, जर्मनी, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, यूकेन, ब्रिटेन व भारत के। आई एल ओ,जेनेवा ने कोलमाइनिंग में स्वास्थय सुरक्षा और पर्यावरण पर अपने एक विशेषज्ञ को कांफ्रेस में भेजा था।

9.4 सीटू द्वारा जिस एक और अहम कार्यक्रम की मेजबानी की गई वह सदर्न एनिशिएटिव आन ग्लोबेलाइजेशन एंड फार ट्रेड यूनियन राइट्स (SIGTUR) की 8वीं कांग्रेस थी जो 19–23 अप्रैल,2008 को कोच्चि में आयोजित हुई थी। यह कांग्रेस इस तौर पर उल्लेखनीय रही कि इसमें पूंजीवदी वैश्वीकरण के खिलाफ अलग–अलग अंतराष्ट्रीय संबंधताओं वाली ट्रेड यूनियनों की एकता बनी। भारत के बाहर से 18 देशों के 81 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस में शिरकत की जबकि भारत के 99 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपिंस, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, साइप्रस, इराक, ब्राजील, बर्मा आदि शामिल थे।

9.5 हमारे पिछले सम्मेलन के बाद से सीटू की अंतराष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसा विभिन्न अवसरों पर दूसरे देशों के प्रतिनिधि मण्डलों की मेजबानी करने और दूसरे देशों में अपने प्रतिनिधि मण्डल भेजने के दोनों स्तरों पर हुआ है। इस दौरान अंतराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का आना–जाना चीन, बंगलादेश, नेपाल, वियतनाम, ग्रीस, आस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, फिलीपिंस, थाइलैंड, ईरान, पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, उरूग्वे, स्पेन व संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ है।

10. संगठन

10.1.1 संयुक्त संघर्ष की सफलता निर्णायक रूप से हमारी लामबंदी की क्षमता पर निर्भर करती है। जब तक सीआइटीयू मजबूत नहीं होगा तब तक मजदूर वर्ग का संयुक्त संघर्ष सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें पूरी गम्भीरता के साथ मेहनतकश अवाम के बीच सीआइटीयू का प्रसार करने तथा उसे मजबूत बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए।

10.1.2 सीआइटीयू को विचारधारात्मक और संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने के काम को नयी स्थिति और हमारे सामने उपस्थित चुनौतियों के आलोक में समझा जाना चाहिए। मेहनतकश अवाम के अधिकारों की रक्षा करने और उसकी तात्कालिक मांगों के लिए अपने दिन प्रतिदिन के संघर्ष में प्रत्येक कदम उठाते समय पूंजीवादी व्यवस्था के

खिलाफ हमारे संघर्ष के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और अपनी वैचारिक समझ को बार–बार पुष्ट करते रहने एवं आद्यतन (updated) रखने का काम भी हमें करना होगा।

10.1.3 मजदूरों की व्यापक श्रेणियों के बीच पहुंचने और संयुक्त संघर्ष के लिए उन्हें लामबंद करने और इसके साथ ही संघर्ष की हमारी राजनीति एवं विचारधारा को मेहनतकश अवाम की व्यापकतम श्रेणियों के बीच ले जाने की क्षमता बढ़ाने का काम केन्द्र से लेकर नीचे तक प्रत्येक स्तर पर करना होगा। इसके लिए संयुक्त संघर्षों के मुद्दों पर मजदूरों के बीच अभियान चलाने के लिए हमारी स्वतंत्र पहलकदमी की जरूरत है और इसके साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक शोषण के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष को सम्पूर्ण जनता के संघर्श के साथ जोड़े जाने की जरूरत भी है।

10.1.4 अगस्त 2009 में तिरुपति में सम्पन्न जनरल कौंसिल की अंतिम बैठक में फैसला किया गया था कि केन्द्र, राज्य समितियों तथा उद्योगवार महासंघों दोनों द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर काम की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट नवम्बर 2009 के अंत तक केन्द्र के पास पहुंच जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश, इस तरह की किसी समीक्षा की रिपोर्ट किसी भी राज्य की ओर से हमें नहीं मिली है। हमें राज्य सम्मेलनों में पेश रिपोर्टों से कुछ जानकारियां जरूर मिली हैं और ये जानकारियां भी सभी राज्यों की ओर से नहीं मिलीं। अतः इस तरह की स्थिति में हमें संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा का काम करना होगा और वह भी उतनी जानकारी के साथ जो केन्द्र को हासिल होती है।

10.2 सदस्यता और असमान विकास की समस्याएं

10.2 सीआइटीयू के बारहवें सम्मेलन का आयोजन 2005 में हमारी सदस्य संख्या के आधार पर किया गया था। इसके बाद सीआइटीयू की सदस्य संख्या में रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई है और यह वृद्धि वर्ष 2008 तक दस लाख से कुछ अधिक की हुई है जिसके आधार पर सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन होने जा रहा है। बारहवें सम्मेलन के अवसर पर सीआइटीयू की कुल सद्रस्य संख्या में पच्चीस राज्यों में से केवल चार राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिल नाडु तथा आंध्र प्रदेश की सदस्य

संख्या का भाग 78.39 प्रतिशत था। तेरहवें महाधिवेशन के समय तक असमान सदस्य संख्या की स्थिति में व्यावहारिक तौर पर अधिक सुधार नहीं आया है। यह महाधिवेशन वर्श 2008 की सदस्य संख्या के आधार पर हो रहा है। अब सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश का भाग 78.19 प्रतिशत है। चौदह हिन्दी भाषी राज्यों में कुल सदस्य संख्या का 10.72 प्रतिशत भाग वर्ष 2005 में था जिसमें अब सुधार हुआ है और वर्श 2008 में वह 11.69 प्रतिशत हो गया। षेश राज्यों (अण्डेमान एवं निकोबार, असम, कर्नाटक, उड़ीसा तथा त्रिपुरा) में यह अनुपात बदला है; वर्ष 2005 में 10.22 प्रतिशत था और वर्ष 2008 में 9.91 प्रतिशत हो गया। इसमें संदेह नहीं कि लगभग सभी राज्यों में सदस्य संख्या के मामले में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है और चार बड़े राज्यों को छोउ़ कर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, असम, उड़ीसा तथा हिमाचल प्रदेश जैसे कुछेक राज्यों में स्थिति में काफी सुधार दिखाई दे रहा है। और वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2008 में सम्पूर्ण हिन्दी भाषी राज्यों की सदस्य संख्या में 42 प्रतिशत तक सदस्य संख्या बढ़ी है।

10.2.2 सामान्य तौर पर असमान सदस्य संख्या की स्थिति व्याप्त होने के लिए जनवादी आंदोलन के पिछड़ेपन, समाज में असमान ध्रुवीकरण, कार्यकर्ताओं के अभाव जैसे तर्क दिए जाते हैं। रेखांकित किया जाना चाहिए कि कमजोर राज्यों में उपरोक्त कारक होते हुए भी असमान विकास की मौजूदा स्थिति के लगातार बने रहने को लिए केवल उपरोक्त कारकों द्वारा ही साफ नहीं किया जा सकता। यह भी तथ्य है कि संगठन में राजनीतिक विचारधारात्मक समझ की गम्भीर कमी को दरकिनार कर देने का रुझान चलता जा रहा है; यह भी एक प्रमुख कारण है कि हम अपनी सभी कमजोरियों के रहते हुए उपलब्ध सामर्थ्य का उपयोग करने की क्षमता नहीं रखते। उदाहरण के लिए हमारी आंगनवाड़ी फैडरेशन की सदस्य संख्या में कहीं कम असमानता पाई जाती है। क्योंकि वहां अधिक सुनियोजित तरीके से काम किया जाता है और काम की निगरानी की जाती है। इस विफलता के लिए सीआइटीयू केन्द्र तथा राज्य समितियां दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। हमें इस पहलू पर भी गम्भीरता से आत्म चिंतन करना होगा।

10.3 संगठित क्षेत्र

10.3.1 संगठित क्षेत्र में गिरावट की बजाए स्पष्ट रूप में ठहराव का रुझान दिखाई देता है। इस मामले में केवल यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्थिति संगठित क्षेत्र में रोजगार के सिकुड़ने के कारण बनी है। संगठित क्षेत्र में नियमित श्रम शक्ति सिकुड़ रही है और ठेका एवं नैमित्तिक (casual) श्रमिक नियमित श्रमिकों का स्थान ले रहे हैं। वे संगठित क्षेत्र की उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं और हम उन्हें संगठित करने में असफल रहे हैं। इसके लिए कहीं–कहीं कुछ प्रयास किए गए हैं किन्तु संगठित क्षेत्र में सक्रिय हमारे श्रमिक संघों को पूरी तरह इस काम को अपने हाथ में लेना होगा। संगठित क्षेत्र में ठेका मजदूर तथा सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष श्रमिकों को संगठित करने का काम नियमित श्रमिकों के आंदोलन को करना होगा। उन्हें अपने सम्बन्धित क्षेत्र में इस काम को आगे बढ़ाना होगा और यदि हम संगठित क्षेत्र में अपने संगठन को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें धीरे–धीरे ठेका मजदूरों को नियमित श्रमिकों के आंदोलन के साथ जोड़ने का काम अधिक गम्भीरता से करना होगा।

10.3.2 यही नहीं, संगठित क्षेत्र में नए उभर रहे आधुनिक उद्योगों में हमारी संगठनात्मक उपस्थिति न के समान है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सेवा योजक सरकार के साथ मिलीभुगत करके ट्रेड यूनियनों के गठन के रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। किन्तु यह केवल एकमात्र कारण नहीं हो सकता। क्योंकि आधुनिक तथा प्रमुख उद्योगों में वे नए हों या पुराने मजदूरों को संगठित करने के लिए देश के बड़े भागों में गम्भीरता के साथ कोशिशें नहीं की जा रहीं इसलिए यह तथ्य अनेक राज्यो की सदस्य संख्या में भी प्रतिबिम्बित होता है।

10.3.3 उच्च तकनीकी आधुनिक उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को संगठित करने के लिए जरूरी है कि संगठनकर्ताओं और राज्य के नेतृत्व को उन उद्योगों में काम की प्रणालियों तथा उत्पादन प्रक्रिया और उनसे पैदा होने वाली समस्याओं एवं मुद्दों की पूरी जानकारी हो। ये मजदूर सामान्य तौर पर शिक्षित और तकनीकी तौर पर बेहद कुशल होते हैं, उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए उच्चतर निपुणता और क्षमता का

होना भी उतना ही जरूरी है। इस मामले में, अनेक राज्यों में हम बहुत पीछे हैं और यह कमी हम काल्पनिक बहाने गढ़ कर पूरी करने का प्रयास करते हैं और यह कह कर पूरा दोष उन उद्योगों के मजदूरों के मत्थे मढ़ देते हैं कि वे तो संगठित होना ही नहीं चाहते और वे यूनियनों में शामिल होने के मामले में संकोच से काम लेते हैं। हमें इस कमी को दूर करने के लिए योजना बना कर काम करना चाहिए, केवल काल्पनिक बहाने गढ़ने से काम नहीं चलेगा।

10.3.4 तमिलनाडु का अनुभव दर्शाता है कि आधुनिक औद्योगिक इकाईयों में सेवा योजकों–सरकार के गठबंधन द्वारा ट्रेड यूनियँनों के गठन का घोर विरोध किए जाने पर भी उनकी यूनियनों को बचाया जा सका और संघर्ष की निरंतरता को बनाए रखा गया। इसके लिए सभी हमलों तथा प्रतिशोध की कार्रवाईयों का बहादुरी से सामना करते हुए भी सीआइटीयू की ओर से निरंतर संगठनात्मक दखल दिया जाता रहा है। सीआइटीयू ने ट्रेड यूनियनों के गठन के सेवा योजकों के गैर कानूनी विरोध से पैदा स्थिति में दखल दिया और इसे राज्य स्तर पर एक मुद्दा बनाया जिसका कुछ प्रभाव राज्य के श्रम विभाग पर भी पड़ा।

गुड़गांव का अनुभव दर्शाता है कि सेवा योजकों द्वारा ट्रेड यूनियन के गठन का विरोध करने और मजदूरों का दमन किए जाने के फलस्वरूप दूसरी इकाईयों मे काम करने वाले मजदूरों के बीच भी असंतोष और गुस्सा पैदा हुआ और सभी श्रमिक संघ दोगुणे जोश के साथ एकजुट हो गए। इन श्रमिक संघों की ओर से न केवल सेवा योजकों की कार्रवाई की निंदा की गई बल्कि उसके खिलाफ़ आंदोलन भी चलाया गया। इस तरह के परिदृश्य में सीआइटीयू द्वारा शीघ्र एवं सुनियोजित हस्तक्षेप किए जाने के फलस्वरूप निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन अधिकारों पर सेवा योजकों के हमलों के विरुद्ध मजदूरों का प्रतिरोध मजबूत होगा।

10.3.5 दूसरे, मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवा दोनों क्षेत्रों में हाइ–टैक आधुनिक उद्योगों में मजदूरों को कैसे संगठित किया जाए, इसके लिए कोई साधारण फार्मूला तैयार नहीं किया जा सकता। हमारे नेतृत्व को इन उद्योगों जिनका पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में सामरिक दृष्टि से निर्णायक

स्थान है, में काम करने वाली श्रम शक्ति को आंदोलन में खींच लाने की राजनीतिक–संगठनात्मक जरूरत को पूरी गम्भीरता के साथ समझनी होगी। इन सेक्टर्स में काम करने वाले कार्यकर्ता संगठित क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन तथा दूसरे समुचित स्त्रोतों से ही लाने होंगे और इस दिशा में पूरी जागरूकता से योजना बना कर तथा इसे प्राथमिकता देकर काम करना होगा।

10.4 असंगठित क्षेत्र

10.4.1 असंगठित क्षेत्र में हमारे काम की विस्तृत समीक्षा करने की जरूरत है। हमें कारोबार–काम पर आधारित श्रमिक संघों का गठन करना चाहिए जिसमें छोटे स्तर पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया जाए; यह फैसला किया गया था और सीआइटीयू जनरल कौंसिल की कई बैठकों में इसका समर्थन किया गया था। असंगठित क्षेत्र में संगठन को स्थिर बनाने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बीच में से नेतष्त्व का विकास करने के लिए यह बेहद जरूरी है।

10.4.2 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच हमारा काम कुछ हद तक बढ़ा है। वर्तमान में सीआइटीयू के 60 प्रतिशत सदस्य असंगठित क्षेत्र के साथ ही सम्बन्ध रखते हैं। वर्ष 2008 में सीआइटीयू की सदस्य संख्या में हुई लगभग पूरी की पूरी बढ़ोतरी 27.81 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की ही है। श्रमिकों की इस विशाल संख्या को अब भी श्रमिक संघों के झण्डे तले नहीं लाया जा सका है। इसके अलावा, हमारी सदस्य संख्या असंगठित क्षेत्र के केवल कुछ सेक्टर्स तक सीमित है। अनेक क्षेत्र में हमारी उपस्थिति न के समान है। हमें अपनी सदस्य संख्या को कई गुणा बढ़ाने के लिए सुनियोजित ढंग से प्रयास करने होंगे।

10.4.3 हमारी यूनियनों को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामान्य मांगो पर आंदोलन चलाने के साथ–साथ विभिन्न कामकाजी वर्गों में काम करने वाले उन श्रमिकों की पहचान करनी होगी जो विशेष तौर पर गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों और हमें उनके लिए लागू समाज कल्याण की मौजूदा योजनाओं में उनके नाम दर्ज कराने के लिए काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि उन्हें वे सभी लाभ हासिल हों।

इसके साथ ही इन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले लाभों के लिए पात्र असंगठित क्षेत्र की सम्पूर्ण श्रम शक्ति को दिलाना होगा और उन्हें लामबंद करने के लिए विशेष कारोबारों एवं कामों में केन्द्र बनाने होंगे। तमिलनाडु में छोटे स्तर पर इस तरह के कामों में कुछ सफलताएं हासिल हुई हैं। उस राज्य से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बड़ी संख्या को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को तृणमूल स्तर पर नियुक्त किया गया था वहां उस प्रक्रिया में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में से ही कार्यकर्ताओं का विकास किया जा सका है। आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी निचले स्तर पर इसी प्रकार के प्रयास किए गए थे जिनके अच्छे परिणाम निकले हैं।

10.4.4 असंगठित क्षेत्र की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक 30 नवम्बर को हुई थी ओर उस बैठक में सदस्यों को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। उस बैठक में राज्य के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। असंगठित क्षेत्र में अपने काम को संगठित करने के लिए हमें इस पर अपना ध्यान और अधिक केन्द्रित करना होगा, राज्यवार विवरणों तथा विभिन्न राज्य अथवा केन्द्रीय कल्याण योजनाओं पर अमल की स्थिति की सूचनाओं पर आधारित दस्तावेज तैयार करना होगा और उसके अनुसार अपने काम की योजना बनानी होगी।

10.4.5 सीमित संसाधनों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि हम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच अपने काम की प्राथमिकताएं तय करें और उसके लिए उपयुक्त कार्यकर्ताओं की सेवाएं तथा वित्तीय साधन उपलब्ध कराएं। मजदूरों के उन वर्गो जिनकी उपस्थिति राज्यवार होती है और उनका काम सरकारों से जुड़ा होता है जैसे आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा, मिड–डे मील वर्कर्स, गांवों के चौकीदार और जनता पर प्रभाव डालने वाले मजदूरों जैसे परिवहन श्रमिक, सिरों पर बोझा ढोने वाले मजदूरों, मण्डियों में काम करने वाले मजदूरों, वस्त्र उद्योग में काम करने वाले मजदूरों, ऑटो इण्डस्ट्री, आइटी तथा आइटीईएस इत्यादि में अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

10.5 कामकाजी महिलाएं

10.5.1 हमें कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किए तीस वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इसका गठन कामकाजी महिलाओं के बीच हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। इस अवधि में कामकाजी महिलाओं के बीच सीआइटीयू की सदस्य संख्या बढ़ी है। सीआइटीयू की समितियों और पदाधिकारियों की संख्या विभिन्न राज्यों में बढ़ी है यद्यपि इसे अब भी काफी नहीं कहा जा सकता।

10.5.2 किन्तु सीआइटीयू की अनेक राज्य समितियों की ओर से अभी तक राज्य स्तर पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन नहीं किया गया; और जहां बनाई भी गई हैं, उनमें से अधिकतर काम ही नहीं करतीं; सीआइटीयू की सम्बन्धित राज्य समितियां यह मान लेती हैं कि एक बार कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन कर देने से उनका काम समाप्त हो जाता है। अधिकांश राज्यों में समन्वय समितियों के काम को देखने के लिए राज्य स्तरीय उप समितियों का गठन भी नहीं किया गया है। बहुत कम यूनियनों में महिला उप समितियां हैं, यद्यपि इसमें पहले से कुछ सुधार हुआ है।

10.5.3 बैठकों जिनमें कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समिति की बैठकें भी शामिल हैं, में उपस्थिति बहुत कम होती है। आज भी अनेक महिला सदस्याओं को बैठक में भाग लेने के लिए जाने हेतु यात्रा खर्च की तंगी झेलनी पडत्र रही है।

10.5.4 कामकाजी महिलाओं के बीच से कार्यकर्ताओं का विकास करने, इसके लिए सुनियोजित तरीके से काम करने और कामकाजी महिलाओं को यह विश्वास दिलाने कि सीआइटीयू के निर्णायक निकायों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इत्यादि मामलों में यह सब सीआइटीयू की राज्य समितियों में गम्भीरता के अभाव को दर्शाता है। कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए लिए गए सभी फैसले प्रभावशाली ढंग से लागू किए जाएं सीआइटीयू की राज्य समितियों को इसे यकीनी बनाना होगा।

10.6 जनवादी कार्य प्रणाली

10.6.1 सीआइटीयू का विस्तार करने के संगठनात्मक काम में हमारी सफलताएं तथा असफलताएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि विभिन्न स्तरों पर हमारे संगठन की जनवादी कार्य प्रणाली की स्थिति कैसी है और यह काम कितने बेहतर तरीके से हो रहा है। इसके बिना सामूहिक योजनाबंदी तथा पहलकदमियां, सामूहिक तथा वैयक्तिक दोनों स्तरों पर नहीं की जा सकतीं।

10.6.2 इस मध्यावधि में यद्यपि संगठन के विभिन्न स्तरों पर जनवादी कार्य प्रणाली में थोड़ा सुधार हुआ है, जो हमारी सदस्य संख्या और संघर्षों के लिए लामबंदियों में कुल मिला कर हुए सुधार के रूप में प्रतिबिम्बित होता है, किन्तु आर्थिक एवं राजनीतिक मोर्चों पर श्रमिक आंदोलन की दखल देने की क्षमता की दृष्टि से यह बहुत कम है। इसी लिए इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए ताकि इस स्थिति में सुधार लाया जा सके और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए मजदूरों को संगठित कर सकें।

10.6.3 सीआइटीयू केन्द्र भी अगस्त 2009 में तिरुपति में सम्पन्न जनरल कौंसिल बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इसकी ढांचागत समीक्षा करने का काम नहीं कर पाया है। यद्यपि जनरल कौंसिल बैठक के बाद इस सम्बन्ध में केन्द्र में उपलब्ध सचिव मण्डल के सदस्यों की कई बार बैठक हो चुकी है और इस पहलू पर कुछ विचार भी किया गया है किन्तु पूरी तरह ढांचागत समीक्षा करने का काम अभी नहीं हो पाया है। हम किसी दूसरी समस्या का बहाना बना कर इस असफलता पर पर्दा नहीं डाल सकते भले ही कई समस्याएं हैं जिनसे हमें दो–चार होना पड़ रहा है। यह विफलता दूसरे कामों पर इसे प्राथमिकता देने में सीआइटीयू केन्द्र की सामूहिक विफलता को प्रतिबिम्बित करती है, उसकी ओर से दूसरे कामों में समय लगाया गया जबकि यह संगठन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है। यह विफलता सामूहित रूप से प्राथमिकताएं तय करने पर हमारी समझ तथा अनुभूति की है। इस मध्यावधि के दौरान सामूहिक पहलकदमी से लेकर संयुक्त आंदोलन विकसित करने तथा और अधिक प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका निभाने, संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक गतिविधियों में इसकी स्थिति पर नजर रखने, विभिन्न

सेक्टरों में स्वतंत्र अभियान चलाने के मामले इत्यादि इत्यादि में सीआइटीयू केन्द्र की जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रत्येक पहलू में यह विफलता प्रतिबिम्बित होती है।

10.6.4 केन्द्र में काम करने वाले सचिव मण्डल के सदस्यों की मौजूदा जिम्मेदारियों को देखते हुए और यह समझते हुए कि सीआइटीयू केन्द्र से अपेक्षित काम को करने के लिए सीआइटीयू केन्द्र को और अधिक मानवशक्ति चाहिए, इस संदर्भ में इसे रेखांकित किए जाने की जरूरत भी है। इस स्थिति में कुछ साथियों पर काम का अतिशय बोझ पड़ रहा है और कई महत्वपूर्ण कामों के निष्पादन में देरी हो जाती है और यह कमी बनी रहती है। सीआइटीयू केन्द्र को मजबूत बनाने के काम पर प्राथमिकता वाले काम के रूप में विचार किया जाना चाहिए और यह काम पूरे संगठन के सामने है।

10.6.5 राज्य समितियों के कामों के बारे में प्राप्त रिपोर्टें और सूचनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके कामों में निश्चित रूप से कुछ सुधार हुआ है। बारहवें सम्मेलन के बाद की अवधि में समग्र रूप में कुछेक अपवादों को छोड़ कर अधिकांश राज्यों में राज्य समितियों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और कुल मिला कर बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। जिला समितियों के कामों विशेष रूप से कमजोर राज्यों और उनमें से भी खास तौर पर हिन्दी भाषी राज्यों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, असम तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जिला स्तरों पर सामूहिक कार्य प्रणाली में सुधार होने के फलस्वरूप यह सुधार लाया जा सका है। त्रिपुरा से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार राज्य की औद्योगिक जन संख्या का अपेक्षाकृत कम आकार होने पर भी भी उसकी सदस्य संख्या की स्थिति में शानदार सुधार आया है। इससे पता चलता है कि निचले स्तर की समितियों की जनवादी कार्य प्रणाली में धारणीय सुधार आया जिससे उन्हें न केवल अपनी सदस्य संख्या में भारी बढ़ोतरी करने में मदद मिली बल्कि वे चुनावी जंग मे और अधिक प्रभावशाली तरीके से दखल देने में भी सक्षम हुए। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचनाएं तृणमूल स्तर पर सामूहिक पहलकदमियां करने और जिला समितियों की सामूहिक कार्य प्रणाली में सुधार लाने से संगठन के उल्लेखनीय विस्तार की पुष्टि होती

है। यह तथ्य सदस्यता के आधार में भारी बढ़ोतरी होने के रूप में भी प्रतिबिम्बित होता है। भले ही सीआइटीयू के सबसे मजबूत केन्द्रों पश्चिम बंगाल तथा केरल से सांगठनिक गतिविधियों की कोई रिपोर्ट नहीं मिली फिर भी इन राज्यों में सीआइटीयू की सदस्यता का प्रसार हुआ है जिससे सांगठनिक कार्य प्रणाली के विकसित होने की पुष्टि होती है। फिर भी यदि उनकी रिपोर्टें मिलतीं तो उससे यह रिपोर्ट और समृद्ध होती जिसका लाभ पूरे संगठन को मिलता।

10.6.6 किन्तु यदि आगामी चुनौतियों को देखा जाए तो ये सभी सुधार अब भी काफी नहीं हैं। यद्यपि बारहवें सम्मेलन के बाद की अवधि में हमारी सदस्य संख्या में दस लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई है तथापि विशाल श्रम शक्ति जिसका अभी तक संगठित क्षेत्र में भी यूनियनकरण नहीं हुआ, असंगठित क्षेत्र की बात ही जाने दीजिए, को देखते हुए हमारी कुल सदस्य संख्या उसका बहुत छोटा भाग बनती है। दूसरे विभिन्न आंदोलनात्मक कार्यक्रमों, संयुक्त तथा स्वतंत्र रूप से दोनों तरह के, में हमारी लामबंदी हमारी सदस्य संख्या की ताकत से कम होती है और मजबूत राज्यो में भी यह एक साधारण घटना है। बड़ी लामबंदी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को तोड़ना उस समय तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक मजदूर वर्ग की जागरूकता के स्तर को उच्च से उच्चतर नहीं किया जाता और यह समझ पैदा नहीं की जाती कि सत्ताधारी वर्ग जिस पर साम्राज्यवादी एजेंसियों की मदद से काम करने वाली दक्षिण पंथी प्रतिगामी ताकतों बर्चस्व वाली ताकतों के मौजूदा हमलों के पीछे की राजनीतिक साजिश क्या है।

10.6.7 और हमें यह स्वीकार करना होगा कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर जनवादी कार्य प्रणाली की कमियां अभी बनी हुई हैं जो श्रमिकों की विशाल संख्या तथा हमारी सदस्य संख्या की व्यापक श्रेणी की जागरूकता का स्तर ऊंचा उठाने और लामबंदी के लिए पहलकदमी करने की नितांत आवश्यकता पर हमारे बीच तथा हमारे नेतृत्वकारी साथियों के बीच समझ एव जागरूकता बढ़ाने के मामले में हमारी संगठनात्मक विफलता को प्रतिबिम्बित करता है। जब तक हम अपनी नेतृत्वकारी समितियों से लेकर सबसे निचली इकाईयों के सभी स्तरों पर सभी सम्बन्धित साथियों के बीच इराके लिए पहलकदमियां नहीं करेंगे तब

तक हमारे सभी साथियों तक पहुंच पाने का यह भारी भरकम काम किया नहीं जा सकता। और इस चक्कर में हम अपने प्रभा मण्डल के बाहर श्रमिकों की विशाल बहुसंख्या के बीच भी पहुंच नहीं पाएंगे। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर जनवादी कार्य प्रणाली को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है।

10.6.8 संगठन के विभिन्न स्तरों विशेष तौर पर इकाई स्तर पर आंदोलनात्मक एवं राजनीतिक–संगठनात्मक काम में कमियां पाई जा रही हैं। जनवादी कार्य प्रणाली की कमजोरी हमारी पहलकदमियों का मार्ग बुरी तरह अवरुद्ध करती है जिसके चलते नेतृत्व तथा संगठन के सभी स्तरों पर राजनीतिक–संगठनात्मक काम को आगे बढ़ाने के मामले में कमी बनी रहती है।

10.6.9 यह कमी सीआइटीयू के प्रसार को प्रभावित करती है और एक ओर यह उसके समर्थन के आधार को नुकसान पहुंचाती है, संगठन के विभिन्न स्तरों पर सामूहिक कार्य की बजाए काम के व्यक्तिवादी रुझान पनपने लग जाते हैं जो संगठन के मामले में बेहद घातक होते हैं। इसके फलस्वरूप आगे चल कर हमारे काम में गिरावट आ जाती है और हम भटकावों का शिकार हो जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है; इसके कारण सामान्य मजदूरों में हमारे प्रति उदासीनता पैदा हो जाती है।

10.6.10 संगठन/यूनियनों की जनवादी कार्य प्रणाली में कमियां बने रहने का मूल कारण इन कमियों को दूर करने के मामले मे हम निरंतर प्रयास नहीं करते और सीआइटीयू के निर्माण के उपकरण के रूप में हम जनवादी कार्य प्रणाली के राजनीतिक–विचारधारक महत्व को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते जबकि सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग के नेता के रूप में यह हमारी संविधानक प्रतिबद्धता है। यह कमजोरी हमारे सदस्यता अभियान की प्रकृति में भी प्रतिबिम्बित होती है जो हम सभी सेक्टरों तथा राज्यों में चलाते हैं और इसके साथ लामबंदियों तथा संघर्षों के समय सीआइटीयू सदस्यों की एक बड़ी संख्या को एकजुट करने में भी हमारे अयोग्यता के रूप में यह कमजोरी सामने आती है। उद्योगों तथा सेवाओं के नए क्षेत्रों में श्रमिकों को संगठित करने की हमारी अयोग्यता के रूप में भी यह कमजोरी प्रतिबिम्बित होती है। पिछले एक दशक के दौरान यह

कमजोरी हमारे सामने आती रही है। यह कमजोरी उन क्षेत्रों में भी हमारी अनुपस्थिति को दर्शाती है जो हाल ही की भूमण्डलीय मंदी का भयानक दुष्प्रभाव पड़ा है और जिन में व्यापक स्तर पर रोजगारों की क्षति हुई है।

10.7 ट्रेड यूनियन शिक्षा तथा कार्यकर्ताओं का विकास

10.7.1 केन्द्र की ओर से इस मध्यावधि में किसी ट्रेड यूनियन कक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका। अनेक राज्य समितियों की ओर से राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं के आयोजन के लिए पहलकदमियों की गई हैं और कंम से कम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में आयोजित कक्षाओं में केन्द्र के साथियों ने भाग लिया है।

10.7.2 तथापि अनेक राज्य समितियों ने राज्य तथा जिला स्तरों पर ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया है। कुछ उद्योगवार महासंघों तथा उनकी राज्य स्तरीय इकाईयों की ओर से भी अपने नेतृत्वकारी साथियों के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया गया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अखिल भारतीय फैडरेशन नियमित रूप से हिन्दी भाषी राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन करती रही है।

10.7.3 सीआइटीयू केन्द्र की ओर से इस मध्यावधि में तीन पुस्तिकाएं निकाली गई थीं जिन्हें स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने तथा कार्यकर्ताओं में उनका वितरण करने के लिए राज्य समितियों के पास भेजा गया था। ये पुस्तिकाएं हैं: 1) भारत–अमरीका परमाणु समझौता, 2) पंद्रहवीं लोक सभा के चुनावों पर सीआइटीयू की अपील और 3) भूमण्डलीय संकट पर।

10.8 पी रामामूर्ति मैमोरियल

10.8.1 हमने साकेत (नयी दिल्ली) में पहले ही जमीन खरीद ली है। अब हमने वहां स्मारक भवन के निर्माण का काम शुरू करना है। उस नए भवन में एक स्थायी ट्रेड यूनियन स्कूल चलाया जाएगा। आल इंडिया

रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन तथा इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाईज़ फैडरेशन ऑफ इंडिया को भी उस भवन में सीआइटीयू के साथ स्थान दिया जा सकता है, किन्तु इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। किन्तु इस समय हमारे पास जो फण्ड है वह इस परियोजना को पूरा करने के लिए बहुत कम है और इतने कम पैसे में हम भवन का रख रखाव भी नहीं कर सकेंगे। अनेक राज्य समितियों ने पी रामामूर्ति स्मारक कोष में अंशदान देने का आश्वासन दिया था किन्तु उसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसके निर्माण कार्य को पूरा करने और इस परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए कोष जुटाने के मामले में सीआइटीयू महाधिवेशन को कोई निर्णय लेना होगा।

10.9 सीआइटीयू की पत्रिकाएं

10.9.1 सीआइटीयू केन्द्र से प्रकाशित 'वर्किंग क्लास' तथा 'सीटू मजदूर' की प्रसार संख्या में उल्लेखनीय सुधार नही हुआ है। अंग्रेजी में प्रकाशित 'द वर्किंग क्लास' की प्रसार संख्या फरवरी 2010 में 4980 थी जिसमें से 3926 प्रतियां सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाती हैं। हिन्दी में प्रकाशित होने वाले 'सीटू मजदूर' की प्रसार संख्या थोड़ी बेहतर है अर्थात् 6407 जिसमें से 885 सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाती हैं। तथापि 'सीटू मजदूर' की सबसे अधिक प्रतियां (1902) पश्चिम बंगाल और उसके बाद हिमाचल प्रदेश (1288) में जाती हैं। उड़ीसा में 564 प्रतियां जाती हैं।

10.9.2 अनेक गैर हिन्दी भाषी राज्यों की राज्य समितियों की ओर से स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है जैसे श्रमिक आंदोलन (पश्चिम बंगाल), सीटू संदेशम (केरल), सीटू सीथी (तमिल नाडु), सीटू संदेशा (कर्नाटक), सीटू संदेश (महाराष्ट्र), श्रमिक एकता (उड़ीसा), झारखण्ड मजदूर (झारखण्ड), कार्मिक लोकम (आंध्र प्रदेश), सीटू बुलेटिन (असम), मजदूर (त्रिपुरा), इत्यादि किन्तु अधिकांश हिन्दी भाषी राज्यों के लिए केवल सीटू मजदूर ही एकमात्र ट्रेड यूनियन पत्रिका है। उन राज्यों मे सीटू मजदूर की मामूली प्रसार संख्या से यही पता चलता है कि उन राज्यों में यूनियन स्तर के नेताओं में भी सीटू मजदूर पढ़ी नहीं जाती। यह दु:खदायी प्रकटीकरण हमारी बहुत बड़ी

राजनीतिक–संगठनात्मक कमजोरियों को दर्शाता है और यह बताता है कि हमारे बीच संगठन तथा आंदोलनों में पत्रिका की भूमिका को लेकर समझदारी में कितनी कमी है।

10.9.3 सीआइटीयू केन्द्र से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जाने वाले 'द वायस ऑफ वर्किंग वुमन'' की प्रसार संख्या 7740 है। यह प्रसार संख्या भी असमान है। केरल, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 7259 प्रतियां जाती हैं और उसमें से भी अकेले केरल में 5886 प्रतियां जा रही हैं। हिन्दी की त्रैमासिक– 'पत्रिका' की प्रसार संख्या 2000 से कम है और यह भी अधिकतर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच जाती है। आशा तथा मिड–डे मील कार्यकर्ताओं में आंदोलन का विकास होने के फलस्वरूप पत्रिका की प्रसार संख्या में और बढ़ोतरी किए जाने की भारी सम्भावनाएं हैं। सीआइटीयू राज्य समितियों को इस ओर ध्यान देना होगा। राज्यवार विवरण तथा पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की जानकारी आगे संलग्निका में दी जा रही है।

11. हमारे आगामी कार्य

11.1 श्रमिक आंदोलन के सामने इस समय जो चुनौतियां विद्यमान हैं उन्हें देखते हुए और प्रभावशाली तरीके से उनका सामना करने के लिए सीआइटीयू को तैयार करने के उद्देश्य से महाधिवेशन को अधोलिखित काम तत्काल करने होंगे :

◆ नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों को पलटने के लिए संघर्षों को तेज करना और श्रमिक वर्ग तथा आम जनता पर होने वाले हमलों का प्रतिकार करना।

◆ देश के विभिन्न भागों में मजदूर वर्ग तथा समाज की विभिन्न श्रेणियों द्वारा चलाए जा रहे संघर्षों के समर्थन में एकजुटता कार्रवाईयों में तेजी लाना और उन्हें व्यापक स्तर पर करना।

◆ पश्चिम बंगाल में तथाकथित माओवादियों–तृणमूल कांग्रेस गठबंधन द्वारा की जा रही हिंसा और प्राण घातक हमलों के खिलाफ जनवादी जनता तथा मजदूरों के संघर्ष के साथ एकजुटता की कार्रवाईयां करना।

◆ सभी प्रकार के साम्राज्यवादी हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूकता बढ़ाना।

◆ लोगों की एकता की रक्षा करने के लिए सभी प्रकार की विभाजक ताकतों तथा साम्प्रदायिकता के खिलाफ नियमित अभियान चलाना।

◆ सेवा योजकों की श्रेणी के हक में श्रम कानूनों को बदलने और खत्म करने की सरकार की कार्रवाईयों का मुंह तोड़ जवाब देना और श्रम कानूनों पर अमल करने की मांग को लेकर शक्तिशाली संघर्ष चलाना तथा लामबंदियां करना।

◆ 'मौलिक अधिकार के रूप में काम के अधिकार' के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना; शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कानून लागू कराने के अभियान में तेजी लाना; नरेगा को समुचित ढंग से लागू किया जाए, इसके लिए हस्तक्षेप करना।

◆ खेतिहर श्रमिकों तथा किसानों सहित समाज की सभी शोषित श्रेणियों के संयुक्त संघर्षों तथा अभियानों को विकसित करने के लिए कोशिशें करना; दूसरे भ्रातृ जन संगठनों के साथ मिल कर संयुक्त कार्रवाईयों को विकसित करते हुए जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच को नए सिरे से ऊर्जावान बनाना।

◆ सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं एवं साथियों में सरकार की नीतियों में बदलाव लाने में श्रमिक वर्ग की भूमिका के बारे में जागरूकता का विकास करना और इस समझ का विकास भी करना कि पूंजीवाद मानवता की मूल समस्याओं का समाधान करने की क्षमता नहीं रखता।

◆ संगठित क्षेत्र में ठेका तथा नैमित्तिक (casual) श्रमिकों को संगठित करने की कोशिशों में तेजी लाना।

◆ संगठित क्षेत्र विशेष तौर पर बुनियादी क्षेत्रों में मजदूरों को संगठित करने के काम को प्राथमिकता देना।

◆ असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को संगठित करने के लिए राज्यवार प्राथमिकताएं तय करना, कारोबारी/क्षेत्रवार यूनियनों में से उसके लिए उपयुक्त कार्यकर्ताओं को काम पर लगाना।

◆ नियमित रूप से ट्रेड यूनियन कक्षाएं लगा कर और वर्कशाप इत्यादि का आयोजन करके कार्यकर्ताओं की कामकाजी क्षमताओं और दक्षता का विकास करने के लिए लगातार कोशिशे करना और इस तरह उनका विकास करने पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना; पी रामामूर्ति ट्रेड

यूनियन संस्थान जल्द से जल्द प्रभावशाली ढंग से काम करने लगे, इसे यकीनी बनाना।

◆ कामकाजी महिलाओं को संगठित करने और उन्हें तरक्की देकर नेतृत्वकारी पदों पर लाने के काम पर विशेश ध्यान देना।

◆ संगठन पर 'भुबनेश्वर दस्तावेज' के दिशा निदेशों के अनुसार अपने काम को नया रूप देना; इस (भुबनेश्वर दस्तावेज) पर कितना अमल किया गया है और उसे आद्यतन (update) किया गया है, इसकी समीक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना।

◆ सीआइटीयू केन्द्रों को राष्ट्रीय और उसके साथ–साथ राज्य स्तरों जहां कहीं भी जरूरी हो, पर मजबूत बनाना ताकि वे अपनी जिम्मदारियों को प्रभावशाली तरीके से पूरा कर सकें, इसे यकीनी बनाया जा सके।

◆ अगले महाधिवेशन तक सीआइटीयू की सदस्य संख्या 75 लाख करने का लक्ष्य हासिल करना।

निष्कर्ष

12.1 बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में सत्ताधारी वर्ग बुर्जुआ गैर वाम पक्षी राजनीतिक दलों के बीच अपनी नव–उदारवादी और साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों पर सर्वानुमति विकसित करने की अपनी परियोजना को आक्रमक तरीके से आगे बढ़ाएगा क्योंकि इस समय संसद में वाम पक्षी ताकतें कमजोर है। श्रमिक वर्ग का आंदोलन क्योंकि वह वाम दलों का बायां बाजू है, को मेहनतकश अवाम की व्यापक से व्यापक लामबंदी को यकीनी बना कर तथा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष की वर्गीय कार्रवाई को तेज करके इस चुनौती का मुकाबला करना होगा। केवल ऐसा करके ही सत्ताधारी वर्ग की खेल को मात दी जा सकती है।

12.2 यह चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें संदेह नहीं किन्तु हमारी विचारधारा और लामबंदी तथा कार्रवाई के समय पूरी गम्भीरता के साथ इसका पालन करना, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। हमें अपने संगठन का प्रसार करना होगा और इसे मजबूत बनाना होगा और इस चुनौती का सामना करने की दिशा में काम करना होगा।

12.3 कांग्रेस को इन चुनावों में जो सफलता मिली है और इसके चलते वह जिस आरामदेह स्थिति में है वह अधिक समय तक बनी नहीं

रह सकती क्योंकि मौजूदा संकट ग्रस्त स्थिति में नव–उदारवादी सरकार की नीतिगत बाध्यताएं और गहरे व गम्भीर संकट की दलदल में देश को फंसा देंगी जो निश्चित ही है। और उस संकट का देश की जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना लाजमी है जिसके परिणामस्वरूप लोगों का उससे तेजी से मोह भंग हो जाएगा पर इसके लिए हमारे अभियान का प्रभावशाली होना जरूरी है।

12.4 हमें मेहनतकश अवाम को तीव्रतर संघर्षों के लिए लामबंद करके देश भर में इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार–बर–तैयार रहना होगा। उसके लिए एक ओर हमें संघर्षों के मंच को व्यापक बनाना होगा तथा निचले स्तर पर श्रमिक वर्ग की एकता और बढ़ानी होगी दूसरी ओर सीआइटीयू को सभी स्तरों पर आंदोलन के भीतर विचारधारात्मक एवं संगठनात्मक तौर पर वर्ग विरोधी रुझानों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा और चुनावी संघर्ष तथा उसके बाद होने वाली घटनाओं के अपने अनुभवों से समुचित सबक सीखने होंगे।

12.5 हमें पूरी गम्भीरता से संयुक्त कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए किन्तु प्रत्येक संयुक्त कार्यक्रम में भाग लेने से पहले हमें संयुक्त आंदोलन के मुद्दों पर श्रमिकों के बीच अपना स्वतंत्र अभियान चलाने पर जोर देना होगा। यदि हम नव–उदारवादी तथा साम्राज्यवाद के आगामी हमलों के खिलाफ संघर्ष में तृणमूल स्तर पर श्रमिकों की सच्ची एकता तथा जागरूकता का विकास कर रहे हैं तो हमारे लिए यह अभियान निर्णायक हो जाता है।

12.6 वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का अमानवीय चेहरा – साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण – पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। वह इसे मानवीय स्वरूप देने की बातें करके किसी भी तरह लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता। इतिहास उसी दिशा में आगे बढ़ेगा जिसमें उसे जाना ही है – और उसे आगे बढ़ाने की ताकत का नाम है – वर्ग संघर्ष – यही वर्ग संघर्ष बढ़ता चले जाएगा और दिन–ब–दिन मजबूत होता जाएगा – वह सत्ताधारी वर्गों की ओर से अपनी राह में खड़ी की जानी वाली सभी रुकावटों को हटा कर आगे निकल जाएगा। श्रमिक वर्ग को सामाजिक–आर्थिक विकास की गतिशीलता अपने भीतर लानी होगी और उसे इस अमानवीय सामाजिक व्यवस्था को बदलना होगा, सत्ताधारी वर्गों

के आगे नतमस्तक होने वाले समझौता परस्तों तथा सभी विरोधियों को परास्त करना होगा।

12.7 हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी रुकावटों को पार करके मजदूर वर्ग के संघर्षों को नयी बुलंदियां प्रदान करेंगे। जो लेनिन ने 1905 में कहा था, उसे हमें याद रखना होगा, "साथियो, रोओ–चिल्लाओ मत, हम जरूर जीतेंगें क्योंकि हम सही हैं!"

अभिवादन,

- **भूमण्डलीयकरण की नीतियों को परास्त करने के संघर्ष में श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की एकता अमर रहे!**
- **दुनिया को गुलाम बनाने के साम्राज्यवादी हथकण्डे मुर्दाबाद!!**
- **समाजवाद की प्राप्ति का संघर्ष अमर रहे!!!**
- **सीआइटीयू जिंदाबाद!!!!**

मोहम्मद अमीन
महासचिव

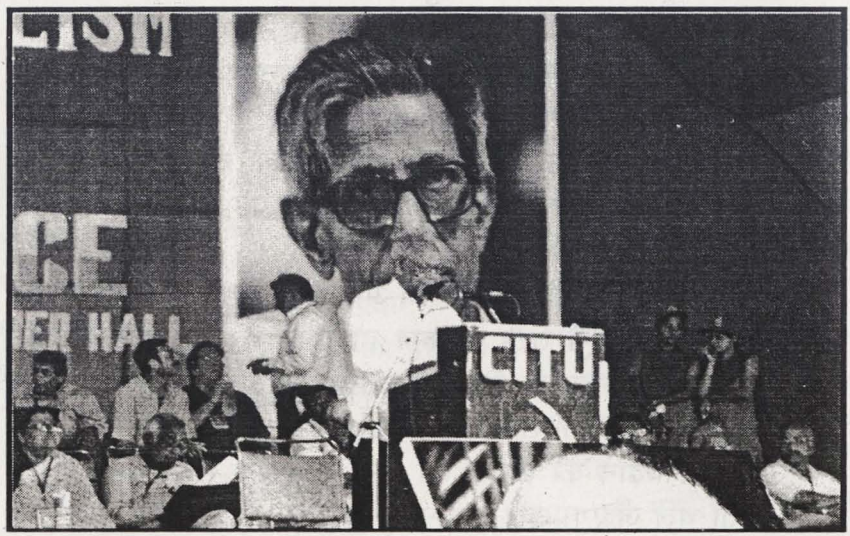

कामगार महिलाओं के बीच सीटू के कार्यों का घोषणापत्र

13 वीं सीटू कांफ्रेस, 9 वीं अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (8 9 जनवरी 2010, तिरूअन्तपुरम) द्वारा अपनाए गए कार्यों एवं सुझावों पुष्टि फरती है । यह कांफ्रेस सीटू के इस विचार में पूरा विश्वास रखती हैं कि जब तक कामगार महिलाओं के वर्ग को संगठन व संघर्ष के दायरे में नहीं लाता तब तक मजदूर संगठन अपनी पूरी ताकत में नहीं उभर सकता । सीटू यह मानता है कि कामगार महिलाओं को मुश्किलें सिर्फ महिलाओं की ही नहीं, बल्कि पूरे मजदुर व कामगारों से जुड़े प्रश्न हैं व इन्हें पहचानना मजदूर वर्ग के आन्दोलन का हिस्सा है। कामगार महिलाओं को जोड़ना व उन्हें मुख्यधारा के मजदूर आन्दोलन में लाना व निर्णय लेने के स्तर तक शामिल करना होगा । इसी लक्ष्य को पाने के लिए ए.आई. सी.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू का गठन किया गया व पिछले 30 वर्षों में कुछ कामयाबी भी हासिल की है ।

आज सीटू की कुल सदस्यता में से 25 प्रतिषत कामगार महिलाओं की है । यह सदस्यता कई राज्यों में 30 प्रतिशत तथा कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत हासिल कर चुकी है। कामगार महिलाऐं लगभग सभी राज्यों में बड़ी संख्या में सीटू के आन्दोलनों व संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है । कुछ राज्यों में तो उनकी लामबंदी में संख्या आधे से भी ज्यादा है ।

हालांकि, यह भूमिका सीटू के कांफ्रेसों व अन्य अखिल भारतीय कांफ्रेसों में महिला प्रतिनिधियों के भीतर शामिल होने में नजर आती, जबकि पिछले कुछ समय से स्थिति थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई है । और यही कमी सीटू व उससे जुड़े अन्य यूनियनों के भीतर निर्णय लेने के स्तर पर भी दिखाई देती है, हालांकि कामगार महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है । इन कमियों को पहचाने व उस पर काबू पाना जरूरी है, ताकि कामगार महिलाओं अपनी भूमिका और बेहतरी से निभा सकें ।

कई कामगार महिलाऐ ना केवल अपने बल्कि अन्य कामगार तबकों को जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं । हमें उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है ताकि वे सीटू के भीतर और जिम्मेदारियों को निभा सकें। हमें कामगार महिलाओं को विभिन्न कमेटियों में कार्यवाहक पदों पर लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ।

यह काफ्रेंस अपने इस जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है और निम्नलिखित कार्यों को लागू करने की जरूरत है:

◆ सीटू के कार्यवाहकों को राज्यों की विशेष जिम्मेदारी दी जाए, जो कामगार महिलाओं के भीतर कामों को देखे।

◆ सभी राज्यों में राज्य स्तर पर सब कमेटी का गठन आने वाली 6 महीनों में किया जाए जो कामगार महिलाओं के भीतर होने वाले

कामों का निरीक्षण करे, जिसमें राज्य सी सी डब्लयू कन्वीनर भी शामिल हो।

◆ आने वाले 1 साल के भीतर राज्य–समन्वय समिति का गठन किया जाए और जहॉ कही भी सम्भव हो जिला स्तर पर भी उनका गठन किया जाए।

◆ सीटू से जुड़े तमाम संघ व यूनियनों जहॉ कामगार महिलाओं की अच्छी ख़ासी सदस्यता है वहॉ महिलाओं की सब कमेटी का गठन किया जाए। और केन्द्र और राज्य स्तरीय सीटू की कमेटियां इनके गठन व कार्य का जायजा लें।

◆ राष्ट्रीय स्तर पर सीटू की वर्कशाप कराई जाए ताकि साल 2010 के भीतर कामगार महिलाओं के भीतर किये जाने वाले काम की चर्चा की जाए।

◆ सीटू की राज्य कमेटी के भीतर कामगार महिलाओं के भीतर कार्य की चर्चा विशेष एजेंडे के तौर पर की जाए,साल में कम से कम एक बार। राष्ट्रीय स्तर पर सीटू कांफ्रेस के बीच में कामगार–महिलाओं के भीतर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की जाए।

◆ राज्य स्तर पर कम से कम एक बार कामगार महिला के लिए ट्रेड कक्षाओं की अलग से।

राज्य स्तर पर कामगार महिला कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम एक साल में अलग से ट्रेड यूनियन कक्षाओं को करवाया जाए।

◆ हिन्दी भाषी राज्यों के लिए केन्द्रीय स्तर पर अलग से कामगार महिला कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन क्लास करवाई जाए।

◆ राज्य स्तर पर कामगार महिलाओं के लिए काडर नियुक्त किए जाए और कोशिश की जाए कि महिला काडर हो।

◆ सीटू तथा इससे जुड़ विभिन्न यूनियनों के अन्दर निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की संख्या जो बढ़ाया जाए।

◆ आम तौर पर होने वाली ट्रेड यूनियन क्लासों में महिलाओं के मुद्दे को विशेष रूप से शामिल किया जाए।

सभी राज्यों के आशा तथा मिड डे मिल कामगारों को संगठित किया जाए।

◆ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सौवीं वर्षगांठ के तौर पर सीटू सेक्रेटेरिएट द्वारा तय किये गए प्रचार कार्यक्रमों को लागू किया जाए।

◆ सी सी डब्लयू डब्लयू तथा कामगार महिलाओं की सब कमेटी के साथ मीटिंग की जाए ताकि इनमें समन्वय स्थापित हो सके।

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू)
का
9वॉ कन्वेंषन

8–9 जनवरी 2010
अहिल्या रागंणेकर नगर तिरूवनन्तपुरम
संयोजक की रिपोर्ट

प्रिय साथियों,

17–21 मार्च 2010 को ए.आई.सी.सी.डबलू.डबलू का यह कन्वेंशन चण्डीगढ़ में होने वाले सीटू के 13 वें सम्मेलन से पहले हो रहा है। इस कन्वेंशन द्वारा तय किये गये कार्यभार व कामकाजी औरतों के बीच काम बढ़ाने के लिये सीटू को दिये गये सुझावों को सीटू सम्मेलन के सामने समर्थन के लिये रखा जायेगा।

इससे पहले कि हम कामकाली औरतों के बीच अपने काम के बारे में बात करें, हमें विशाखापन्तनम में हुए ए.आई.सी.सी.डबलू. डबलू के आठवें कन्वेंशन के बाद अंर्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर हुए महत्वपूर्ण घटनाकम को संक्षेप में नोट करना होगा।

अर्न्तराष्ट्रीय परिस्थिति–:

इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटना वैश्विक आर्थिक मदीं है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। यह कहा जा रहा है कि यह महान मदीं के बाद का सबसे भयानक आर्थिक सकंट है। इस सकंट की वजह से सैकड़ों हजार मज़दूर अपने रोजगार से हाथ घो रहे हैं। आई.एल.ओं के अनुसार साल 2009 के अखिर तक पॉच करोड़ लोग अपनी नौकरी खो बैठेंगें। अमरीका व यूरोप में सैकड़ों बैंक व वित्तीय सस्ंथान जिनमें कई बहुत बड़े वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं डूब गये हैं। अमरीका सहित विकसित देशों में सरकारों को वित्तीय क्षेत्र को अपने हाथ में लेकर अधिक नियंत्रण स्थापित करना पड़ा है। ाखों बूढ़े लोगों की जमापूंजी शेयर बाजार के धराशायी हो जाने से डूब गयी।

लेकिन पूंजीवादी देशों की सरकारें आम लोगों व रोजगार खो चुके मज़दूरों को कोई राहत दे पाने में नाकामयाब रहीं हैं। बड़े व्यावारिक संस्थानों को जिनकी बजह से संकट की शुरूआत हुई , 14 लाख करोड़ अमरीकी डालर की सहायता सरकारी ख़जाने से की गयी बजकि बिना किसी गुनाह के नौकरी खो चुके मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया गया। अगर इस पैसे को सार्वजनिक निवेश के जरिए विभिन्न देशों में खर्च किया जाता तो जरूरी आर्थिक व सामाजिक आधारभूत ढ़ाचा बन जाता और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता। इससे विश्व अर्थव्यवस्था को मदीं से उबारने में मदद मिलती जबकि व्यापारिक घरानों को मदीं के पहले के स्तर तक पहुँचने में लम्बा समय लगेगा। इसलिए अमीर परस्त शासन वर्ग वैश्विक मदीं से बाहर निकलने के लिये यह रास्ता अपनाने को इच्छूक नहीं थे। मदीं से उबारने के लिये दी गयी विशाल सहायता राशि को इस्तेमाल करते हुए भमिकाय वित्तीय सस्थानों ने अभी से लाखों डालर मुनाफा बटोरना शुरूकर दिया है। यह जाहिर ही है कि पूंजीवादी व्यवस्था का शोषणकारी चरित्र, जो कि इंसान से ज्यादा महत्व मुनाफे को देता है, आम आदमी को राहत देने वाले किसी भी कदम की इजाज़त नहीं देता।

विश्व आर्थिक संकट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे कि यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों के लालच की बजह से हुआ जबकि असलियत में यह पूरी व्यवस्था की नाकामी का परिणाम है। इसने न कि सिर्फ नवउदारवादी नीतियों वरन पूरी पूंजीवादी व्यवस्था की सीमाओं को उजागर कर दिया है जो कि इस तरह के संकटो के खिलाफ कमी भी प्रतिरोधी नहीं हो सकती।

इसके विपरीत, समाजवादी चीन, जो कि अमरीका, यूरोप आदि को किये जाने वाले निर्यात में भारी कमी के कारण, बुरी तरह प्रभावित हुआ था, ने लोगों की कमशक्ति बढ़ाकर घरेलू खपत बढ़ाने पर बहुत पैसा खर्च किया। इसने सकंट के चलते रोजगार खो चुके 2 करोड़ लोगों के पुर्नवास के लिये गंभीर कदम उठाये। परिणामस्वरूप चीन मदीं से निकल पाने में सफल रहा है और इसकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर प्रभावशाली वशद्धि दर्ज करा रही है।

बराक ओबामा के अमरीकी राष्ट्पति चुने जाने से तमाम लोगों को यह उम्मीद बंधी थी कि वह पूरी दुनिया के लोगों की नफरत का पात्र बने जार्ज बुश की नीतियों से अलग नीतियों का पालने करेगा। हॉलाकि पिछले एक साल के कार्यकाल से यह जाहिर है कि अमरीका की साम्राज्वादी नीतियां वैसी ही बनी हुई हैं जबकि वर्तमान राष्ट्पति उन्हें अधिक स्वीकार्य बनाने के लिये प्रयासरत है। इसकी एक वजह विश्व आर्थिक मंदी के चलते बदले हुए हालात भी हैं।

लातिन अमरीका में जन संघर्ष–:

ज्यादातर लातिन अमरीकी देशों मे आमजन अमरीकी हस्तक्षेप के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। होण्डुरास में जनतांत्रिक तरीके से चुने गये राष्ट्पति जोस मैंनुएल जेलाया का अमरीकी समर्थन प्रस्त सेना ने जून 2009 में तख्ता पलट कर दिया था क्योकि वह क्यूबा और वेनुजुएला के नेतश्त्व वाले 'अमरीका के लिये बोलिवियार्या विकल्प' में शामिल हो गया था। इस तख्तापलट के खिलाफ उठे जन आन्दोलन को तमाम अमरीकी देशों का समर्थन मिला और सयुक्त राष्ट् संघ की आम सभा ने जेलाया को राष्ट्पति के रूप में पुर्नस्थापित करने के पक्ष में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। लेकिन यू.एस. लगातार उन फौजी नेताओं को समर्थन दे रहा है जिन्होने लेलाया की वापसी को रोके रखा है। बोलीविया में राष्ट्पति इवो मॉरेल्स ने अपने राष्टश्रीयकरण कार्यकम के लिए अमरीका समर्थिक विपक्ष के खिलाफ जन समर्थन जुटाया है। प्रतिकियावादी ताकतों की तमाम कोशिशों के बावजूद वह हाल ही में हुए चुनाओं में वह लगातार दूसरी बार विजयी हुए हैं। वेनेजुएला में राष्ट्पति चावेज में तेल सहित व्यापक राष्टश्रीकरण मुहिम चलायी है और शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए बहुत संसाधन मुहैया कराये हैं।

टमरीकी साम्राज्यवाद अमेरिकी राज्यों के संगठन में अलग थलग पड़ता दिख रहा है जिसने व पूर्ण के साथ सम्बन्ध बहाल करने की मांग की है। अमरीका के लिए बोलावियाई विकल्प के देश वेनेजुएला, क्यूबा, बोलिविया, निकारागुआ, होण्डुरास और डोमीनिका बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के आर्थिक सहयोग विकसित कर रहे हैं।

मज़दूर वर्ग के बढ़ते सघर्ष–:

इस दौरान मज़दूरों ने अपनी अजीविका और कार्यदशा पर हमले के खिलाफ बड़े सघर्ष किये हैं। मज़दूरों ने उन नीतियों का विरोध किया जो कि मजदूरो को बिना कोई रियायत दिये पूंजीपतियों को भारी फायदा पहुँचा जा रही थी। लाखों मज़दूरों ने देशव्यापी आन्दोलन व हड़ताल करके पूरे फॅ्रस को जाम कर दिया। इन संघर्षो का आम जनता का व्यापक समर्थन मिला।

वैश्विक आर्थिक संकट के नाम पर मज़दूरों के हमों पर हमले के खिलाफ भी दिवस के मौके पर जर्मनी, फांस, तुर्की, ग्रीस, स्विडजलैण्ड, आसिलैण्ड आदि देशेां में आकामक प्रदर्शन हुए। कई देशों में मज़दूरों ने निषेधाज्ञा तोड़कर पुलिस के साथ भिड़ते हुए पंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। यू.एस.ए, इटली, स्पेन, थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया फिलोपीन्स अर्जेन्टीना, ब्रिटेप व दायरलेण्ड में भी तनख्वाह में कटौती व देसी भुगतानों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन व हड़तालें हुई। यह संघर्ष इस बात का सकेत करते हैं कि बड़ी संख्या में मज़दूरों का पूजींदादी व्यवस्था से मोहभंग हो रहा है।

राष्ट्रीय स्थिति–:

वैश्विक आर्थिक संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। हॉलाकि यूपीए सरकार ने शुरूवात में इससे इनकार किया लेकिन जैसे जैसे निर्यात के घटने से नौकरियां जाना शुरू हुआ, सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी ही पडी। हालाकि भारत की अर्थव्यवस्था पर विकसित पूंजीवादी देशों जितना असर नहीं हुआ क्योकि वामपंथ, जिसके समर्थन पर यूपीए सरकार टिकी हुई थी, के विरोध के चलते वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण यूपीए सरकार चाहकर भी नहीं कर पायी थी।

एक अनुमान के अनुसार विशेषकर निमीतोन्मुखी क्षेत्रों हीरे व जवरहरात, वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग, सूचना प्रांद्योगिकी, निर्माण, यातायात आदि में 50 लाख मज़दूरों का रोजगार छिना है। तनख्वाह में कटौती, मज़दूरों की संख्या में कटौती तालाबंदी तनख्वाह के बिना अनिवार्य छुटिटी व अन्य भत्तों का बंद किया जाना आदि कदम मज़दूरों पर थोपे गये हैं। दूसरे देशों की तरह ही भारत में भी उद्योग

को सरकार ने भारी धनराशि सहायता के रूप में दी लेकिन मज़दूरों के हितों का ख्याल नहीं रखा। इसने मजदूर संगठनों की इस मांग को नजरअंदाज कर दिया कि उद्योगों को सहायता को रोजगार सुरक्षा के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

पन्द्रहवीं लोक सभा के चुनाव में काग्रेस सत्ता में लौटकर आयी है। सीटू ने कांग्रेस व भाजपा दोनों को हराने, वामंपथ का मजबूत करने व वैकल्पिक नीतियों पर आधारित तीसरे विकल्प को चुनावें में जिताने की अपील की थी। हालाकि, यह हो नहीं सका। हॉलाकि भाजपा बुरी तरह से हार गयी लेकिनल कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी, वामपंथ को त्रिपुरा को छोड़ इसके गढ़ों सहित गम्भीर नुकसान उठाना पड़ा।

कांग्रेस जो कि अब वामपंथ पर निर्भर नहीं है, इस जीत को झूठे ही उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण के पक्ष में जानदेश बता रही है। आर्थिक सवेक्षण ने सरकार की नीतियों का मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है जिनमें मुनाफा देह सार्वजनिक क्षेत्र उपकमों के विनिवेश से प्रतिवर्ष 25000 हजार करोड़ रूप्ये जुटाना, घाटा में चल रहे सार्वजनिक उपकमों को बेचना, श्रम कानूनों में संशोधन करके 'हायर व फायर' की नीति को शामिल करना, अनुबन्ध श्रम कानून (आर एन्ड ए.) में संशोंधन करके सभी नौकरियों में अनुबन्ध पर आधारित रोजगार को अनुमति देना, चुने हुए क्षेत्रों में 60 धन्टों के हफते व 12 धन्टे के दिन को शुरू करना, रेलवे सहित सभी आधारभूत सरंचना परियोजनाओं में पब्लिक–प्राईवेट साझेदारी को आगे बढ़ाना, पब्लिक प्राईवेट साझेदारी के माध्यम से बदंरगाहों व एयरपोर्टो का निजीकरण, फुटकर व्यापार में विदेशी निवेश, रक्षा उत्पादन व बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी करने, ग्रामीण बीमा कम्पनियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति देना, बैकिंग क्षेत्र का विनियमितीकरण करना, पेशन क्षेत्र निजीकरण करने के लिए पीएफाआरजेए विल, मिटटी का तेल व घरेलू गैस सहित पेट्रोलियम पदार्थो को सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण व्यवस्था से मुक्त करना, फर्टिलाईजर मूल्यों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना, कमांडिटी बाजार में फयूचर्स सौदों' पर से पाबदिया हटाना, जरूरी दवाओं के मूल्यों पर से नियत्रण हाटाना शामिल है।

यूपीए सरकार इन सुझावों को अमलीजामा पहलाने की ओर तेजी से बढ़ रही है।

जैसे भी जबकि सरकार पिछले साल उद्योगों को दी गयी 4. 18 लाख करोड़ रूपये की रियायतें इस साल भी जारी रखने के लिये तैयार है, यह आम आदमीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिये संसाधन मुहैया करने को तैयार नहीं है। असंगठित क्षेत्र के लगभग 40 करोड़ मज़दूरासें को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय कोष गठित नहीं किया गया। आई. सी. डी. सी. के लिए बजट में मात्र 360 करोड़ रूपये की बढोत्तरी को गयी जो न कि इसके सम्पूर्ण प्रसार के लिए काफी है और न ही 20 लाख ऑगनबाड़ी कर्मचारियों को सम्माजनक तनख्वाह व सामाजिक सुरक्षा देने के लिए। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यकमों राष्ट्रीय रोजगार गांरटी कानून, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान आदि को दिया गया बजट भी बहुत कम है।इन कार्यकमों के अंतरर्गत बड़ी संख्या में महिलाओं को बिना कुछ भुगतान किये उनकी सेवाएं लेने की रीति पर सरकार लगातार चल रही है।

एसे समय में जबकि विकसित पूजीवांदी देशों में भी निजी वित्तीय संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है, यूपीए सरकार का वित्तीय क्षेत्र वा और अधिक विनियत्रित करने का फैसला, अमरीका को भारतीय रक्षा केन्द्रों की निगरानी करने की इजाजत देने सम्बन्धी भारत–अमरीका समझौता, विश्व व्यापार संगठन व कोपेन हेगेन में भारत का अमरीकी दबाव के सामने झुकना आदि इस सरकार के साम्राज्ववाद परस्त चरित्र को उजागर करते हैं।

भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए पिछले लोकसभा चुनावों में लोगों ने इसे नकार दिया। सत्ता में रहते हुए भाजपा देश का अमरीका का पिछलग्गू बनाने व उदारीकरण–भूमण्डलीकरण–निजीकरण की नीतियों को लागू करनले के लिए और भी ज्यादा उसक थी और कोई भी जनपक्ष धर विकल्प पेश करने में असफल रही। इसने साम्प्रदायिक भावनाएं भड़का कर वोट हासिल करने की कोशिश की चुनावों के तुरन्त बाद भाजपा नेतश्त्व के सवाल पर आपसी अगड़े में पड़ गयी और अंत में इसने इस सवाल को हल करने का जिम्मा अपने अभिभावक संगठन फासिष्ट

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ पर छोड़ दिया जिसने नितिन गड़करी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। आने वाले समय में भाजपा की सता में वापसी की सभावनाओं को बढ़ाने के लिए साम्प्रदायिक एजेंण्डे को बढ़ाया जायेगा। मज़दूर वर्ग को ऐसे पणयन्त्रों के प्रति सावधान रहना होगा। मज़दूर महिलाओं सहित मज़दूरों को जागरूक करके उनकी एकता बनाये रखने के गम्भीर प्रयास करने होगें।

पश्चिम बंगाल में वामपंथ को लगे घक्के का फायदा उठाकर तश्णमूल व माओवादियों ने विशेषकर मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी सहित वामपंथ के कार्यर्कताओं की हत्याएं करके आतंक कायम किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक वामपंथों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है जिनमें अधिकांश सी. पी. आई (एम) के हैं। इसके अलावा अनेक महिलाओं व बच्चों को भी घायल किया गया है। कुछ जिलों में प्रशासन को भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। सीपीएम व सीटू के सैकड़ों कार्यालयों को जलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। हजारों वामपंथी कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़कर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत शिवरों में शरण लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। माओवादी जोकि लोगों को समर्थन करने अथवा परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, को केन्द्रीय मंत्रियों सहित तश्णमूल कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। यह देश में लोकतंत्र के लिए गम्भीर खतरा है।

यह हमले पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं हैं। वामपंथ पर इसलिए हमला हो रहा है क्योकि वह देश की आजादी की रक्षा के लिए अमरीका के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे है, और क्योकि वह मजदूर वर्ग की जीविका पर हमले का सबसे पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विशेषतौर पर वामपंथ पर हमला पूरे देश में मजदूर वर्ग के आन्दोलन को कमजोर करने व दिभ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। मज़दूर वर्ग का हिस्सा होने के नाते वामंपथ विरोधी ताकतों से मुकाबले में पूरी ताकत लगानी होगी। वामपंथ पर हमलों के खिलाफ मज़दूरों विशेषकर महिला मजदूरों में जागरूकता फेलाने के लिए हमें काम करना होगा।

से कम हुए है और लाखों मज़दूर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लाखें औरते या तो अपने परिवार के साथ अथवा अकेले ही शहरों की ओर रोजगार के लिये पलायन कर रही हैं। हॉलाकि नरेगा से कुछ राहत मिली है लेकिन डंग से लागू न हो पाने के कारण पलायप को अधिक सीमा तक रोकने में यह कामयाब नहीं रही है।

एक तरफा जबकि लोगों में महंगाई, बेरोजगारी, छटनी जैसी समस्याओं की वजह से असंतोष बढ़ा है व इन मुद्धों पर संघर्ष में शामिल हो रहे है, दूसरी तरह–तरह के हथकण्डे अपना रहा है। यीपीए सरकार द्वारा तेलगांगा मुद्धे को ढंग से हल न करने के चलते आध्राप्रदेश में जसमाल के नुकसान के साथ एक गम्भीर स्थिति बन गयी है। उत्तर प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्रा, तमिलनाडु, पं. बंगाल आदि तमाम राज्यों में पृथक राज्य की मांग तेज हो गयी हैं। उत्तराखण्ड, झारखण्ड व छतीसगढ़ के अनुभव से साफ है कि छोटे राज्यों के गठन से लोगों की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं होता है। लोगों की जिन्दगी के हालात सुधारने के लिए जन विरोधी नीतियों को बदलने की जरूरत है जिन्हें शासक वर्ग लागू करने पर आमादा है। हमें क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, आदि के नाम पर मज़दूर वर्ग को बाटने की सजिशों के दौर में भूमण्डलीयकरण, निजीकरण, बाजारीकरण के खिलाफ संघर्ष चलाते हुए अपनी एकता को मजबूत करना है। सीसीडब्लूडब्लू को मज़दूर महिलाओं के सभी तबकों तक यह संदेश पहुँचाने व संघर्षो में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिये प्रयास तेज करने होगें।

मज़दूरों के हालात–:

मजदूर महिलाओं सहित सभी मज़दूरों की आजीविका पर हमले लगातार हो रहे हैं। श्रम उत्पादत्तकता में बढोत्तरी के बावजूद मज़दूरी का अनुपात लगातार घट रहा है। भारत में मज़दूरी, मूल्य सम्बन्धि का मात्र 10 फीसीदी तक आ गयी है जो कि दुनिया में सबसे कम है। इस तरह आर्थिक वशद्धि का फल कारपोरेट और उद्योगपति मज़दूरों का शोषण करके पा रहे हैं।

देश में सभी मज़दूरों का 94 फीसदी व मज़दूर महिलाओं का 96 फीसदी असंगठित क्षेत्र में है। सरकारी विभागों व सार्वजनिक उद्यमों सहित संगठित क्षेत्र में भी मज़दूर असंगठित क्षेत्र की सेवा शर्तों, अनुबन्ध, अस्थायी आदि हालात में काम कर रहे है। सरकार भी अपने कर्मचारियों को समाज सेवक कार्यकर्ता स्वयसेवक आदि नाम देकर उन्हें न्यूनतम मज़दूरी व अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने से बच रही है। इन मजदूरों का अपार बहुमत महिलायें हैं। पारम्परिक रूप से महिलायें खाना बनाने, बीमारी, बच्चों आदि की देखभाल करने का काम करती रही है, आज उन्हें यही सारे काम बिना मज़दूरी के पूरे समुदाय के लिये करने पड़ रहे हैं।

असंगठित मज़दूर सामाजिक सुरक्षा कानून असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की सवैधानिक गारंटी नहीं देता है। यह सिर्फ राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाने का प्रावधान करता है। इस कानून के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये किसी फण्ड की व्यवस्था नहीं की गयी है। सिर्फ कुछ चालू योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी दे दिया गया है लेकिन यह ज्यादातर योजनायें सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे वालों पर ही लागू हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण इतने गलत तरीके से किया गया है कि असंगठित मजदूरों का 90 फीसीदी इससे बाहर हो जायेगा। इस कानून की तमाम खामियों का खुलासा करते हुए भी हमें प्रयास करने होगें कि जो थोड़े बहुत लाभ इस कानून ने प्रदान किये है उन्हें मज़दूरों तक पहुँचाने के लिए इसका सुचारू कियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये। इन गम्भीर प्रयासों से ही हम असंगठित मजदूरों को इस कानून की खामियों से अवगत करा पायेगे व उन्हें अपने संघर्ष से जोड़ जायेगें।

इस दौर गें बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। वर्ष 200–05 में सबसे अधिक बेरोजगारी रिकार्ड की गयी। वर्तमान दैनिक स्थिति जोकि पिछले हप्ते एक विशेष दिन की स्थिति बताता है के आधार पर 8 फीसीदी पुरूष मज़दूर रोजगार सुदा थे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलायें 12 व 9 फीसीदी रोजगार शुदा थी। शहरी पुरूष मजदूर के लिए कुल रोजगार वर्ष 2004–2005 में पिछले दो दशकों में सबसे कम था। महंगाई बढ़ने व उसके अनुपात में

मज़दूरी के न बढ़ने से वास्तविक रूप से मज़दूरी घटी है। हॉलाकि मीडिया व सरकार लगातार आर्थिक तरक्की का प्रचार कर रहे है लेकिन वास्तविकता यही है कि संगठित क्षेत्र के बाहर 1999–2000 व 2004–2005 के बीच वास्तविक मजदूरी घटी है। मज़दूरी पर आधारित रोजगार न मिलने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग खुद ही अपना कुछ काम शुरू करने को मजबूर हुए हैं। देश में स्वरोजगार में बढौत्तरी हुई है। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा था जिनका 2/3 हिस्सा स्वरोजगार में लगा हुआ था। शहरी महिलाओं का 48 फीसीदी हिस्सा ऐसे काम में लगा था। पटरी दुकानदारों सहित छोटेरोजगार में लगे यह लोग विशालकाय कारपोरेट कम्पनियों का मुकाबला नहीं कर पा रहे है। जिन्हे खुदरा व्यापार में आने की छूट मिल गयी है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आकड़ों के अनुसार आधे स्वरोजगारी अपनी कमी से सन्तुष्ट नहीं थे। रिपोर्ट के अनुसार 40 फीसदी ग्रामीण मज़दूर महीने में 1500 रू. कमाई से संन्तुष्ट हो जाते और यह रकम भी वह कमा नहीं पा रहे थे। महिलाओं की अंकाक्षाए पुरूषों से बहुत कम थी फिर भी आधी स्वरोजगारी औरतें अपनी कमाई से सन्तुष्ट नहीं थी इससे साफ हो जाता है कि स्वरोजगार में बढौत्तरी का बड़ा हिस्सा सकंट के चलते है जोकि एक सम्मान जनक नौकरी न मिल पाने के कारण पैदा हेता है। एक तरफ सगठित क्षेत्र में रोजगार कम हो रहा है वहीं असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। संगठित क्षेत्र में अस्थायी कर्मचारी संविदा कर्मचारी, अनुबन्ध कर्मचारी आदि की सख्या बढ़ रही है। नीजि क्षेत्र में तो ज्यादातर कर्मचारी अनुबन्ध पर ही रखे जाते है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में भी आधे से ज्यादा कर्मवारी अनुबन्ध पर हैं जो दशकों तक वहीं काम करने के बावजूद समान वेतन अथवा सामाजिक सुरक्षा से वचिंत रखे जाते हैं। सरकारी विभागों में भी लाखों कर्मचारी अनुबन्ध पर रखे जाते हैं।

श्रम कानूनों का पालन–:

असंगठित क्षेत्र के 99 प्रतिशत मज़दूरों के लिए श्रम कानून या तो लागू नहीं होते था श्रम विभाग की मिली भगत से उनका

खुलेआम उल्लघन होता है। न्यूनतम वेतन, आठ घन्टे कार्य दिवस , सुरक्षित कार्यदशा, संगठित होने का अधिकार आदि पर लगातार हमले जारी हैं। मज़दूरों को संधर्ष और हड़तालों करनी पड़ रही है, किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि संविधान प्रदन्त कानूनों का पालन कराने के लिए।

समान वेतन कानून के बावजूद अपार बहुमत महिलाओं को समान वेतन व मातश्त्व लाभ नहीं मिलता। अलग शौचालय, बच्चों के लिए केश आदि जैसी बुनियादि जरूरतें भी नहीं पूरी होती। सर्वोच्च न्यायालय के फेसले के 12 साल बाद भी सरकार यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कानून नहीं बनाया।

मज़दूर वर्ग के संयुक्त सघर्ष–:

यह एक स्वागत योग्य कदम है कि मज़दूर वर्ग की सबसे प्रमुख पांच समस्याओं मंहगाई, छंटनी, श्रम कानूनों, असंगठित मज़दूरों के लिए राष्ट्रीय कोष, सामाजिक सुरक्षा व विनिविंश पर अभियान चलाने के लिए 9 केन्द्रीय श्रम संगठन सीटू, एटक, इंटक, बीएमएस, एचएमएस, आदि साथ आये हैं। 14 सितम्बर को दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके बाद देशव्यापी विरोध दिवस 28 अक्टूबर को व 16 दिसम्बर को संसद राज्य राजधानियों तथा औद्योगिक केन्द्रों पर प्रदर्शन किये गये।

मज़दूर संगठनों ने मार्च के पहले हप्ते में सत्यागश्ह व जेल भरो आन्दोलन चलाने का आवाहन किया है। इन कार्यकमों में मज़दूर महिलाओं को बड़ी संख्या में शामिल हैं।

जनता के हालातः–

मजदूर व आमजन बढ़ती मंहगाई के तले पिस रहे है। चावल, गेहूँ, दाल, सब्जियां तेल, शक्कर आदि के दाम इतने बेतहाशा बढ़े हैं कि आमजन के लिये अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सरकार ने कीमतें कम करने के लिये कुछ नहीं किया है। वामपंथी पार्टियों व मज़दूर सगंठनों के लगातार मॉग करने के बावजूद सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वभौमिक करने के लिये अथवा आवश्यक वस्तुओं गइ सूची को

बढ़ाने का फैसला नहीं लिया है। इसने वस्तु बाजार मे प्यूचर्स व फारवर्ड सौदों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिनसे मूल्य वृद्धि होती है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून सिर्फ गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के लिये है व इसमें अनाज की मात्रा35 किलों से घटाकर 25 किलों करने के साथ ही दाम 2 रू. से बढ़ाकर 3 रू. कर दिये गये हैं।

एक तरफ तो उपभोक्ताओं से ज्यादा दाम वसूले जा रहे है वही दूसरी तरफ अनाज व अन्य कशषि उत्पादों को पैदा करने वाले किसानों को न्यायोचित कीमतें नहीं मिल रही हैं। देश में कृषि संकट लगातार जारी है। खेती के लिए आवश्यक वस्तुओं पानी, बिजली, बीज, खाद्य कीटनाशक आदि के लगातार महंगा होने व सस्ता सस्थागत ऋण न मिलने की वजह से पूरे देश में लगातार किसान आत्म–हत्या कर रहे हैं। बाढ़ व सूखे से तबह किसानों को राहत पहॅचाने में सरकार नाकाम रही है। इस कशषि संकट के चलते ग्रामीण इलाकों को रोजगार के अवसर तेजी

कामकाजी महिलाओं की स्थिति

आज भी कामकाजी महिलाओं के रोजगार का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। आज भी बहुसंख्य महिलाएं खेतीहर मजदूरों के रूप में ही काम कर रही है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में खेतिहर मजदूरों का 60 प्रतिशत हिस्सा महिलाएं है। परन्तु मैकेनिज्म और कमार्शियल कॉप की शिफ्टिंग से कृषि में उपलब्ध काम के दिन बहुत ही कम हो गए हैं।

काजू कोर प्लांटेशन बीड़ी फिशरिज आदि पारंपरिक क्षेत्रों को यह सब झेलना पड़ रहा है क्योंकि डब्लयू टी ओ आदि एसियान फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आदि विश्व मंदी आदि जैसी सरकारी नीतियों से इस क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है और लाखों महिला मजदूरों के जीवन यापन पर इसका असर पड़ा है।

इस कहावत के बावजूद कि उदारीकरण की नीतियों और नियति आधारित उद्योगों से महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और श्रम का फेनिनाइजेशन होगा। जहॉ बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं,अर्थात क्षेत्रों में रोजगार में महिलाओं की अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा,परन्तु इन तीन दशकों के दौरान महिलाओं की काम में भागीदारी की दर में कोई उल्लेखनीय बृद्धि नहीं हुई है। 2004–5 में महिला श्रमिकों की

संख्या 1983 की श्रमिकों से कम थी हालांकि उस उक्त भारत में नवउदारवादी नीतियां को अमल में नहीं लाया जाता था। अन्य विकासशील देशों की तुलना में निर्यात उद्योगों में भी यह संख्या में बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा महिलाओ को काम देने से इन्कार किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्रों में युवा महिलाएं पहले से भी कम वेतन पर काम कर रही है। खुली बेरोगारी की दर मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में युवा महिलाओं के लिए और भी बढ़ गई है।

व्यापक होटल व रेस्टोरेंट सहित बहुत से क्षेत्र जो कि महिला मजदूरों को आकर्षित करने वाले क्षेत्र समझे जाते थे, यहॉ भी महिलाओं के रोजगार 1999–2000 के मुकाबले काफी कमी आई है।

अन्य सेवाओं मुख्य रूप से कम उत्पादकता , कम पारिश्रमिक वाली सेवाओं में महिलाओं की रोजगार दर में थोड़ी वृद्धि हुई है। गारमेंट के बाद प्राइवेट हाउस होल्ड में ही अकेले काफी महिला रोजगार में बृद्धि हुई है। जोकि भारतीय महिलाओं के लिए स्वंय ही सबसे बड़ा रोजगार बन चुका है। देश में घरेलु श्रमिकों की संख्या अब तीस लाख से भी ऊपर हो चुकी है और भारतीय शहरी क्षेत्रों में सभी महिला मजदूरों का 12 फीसद हिस्से से भी अधिक है।

घर और बाहर काम करने की महिलाओ की योग्यता और उनका आर्थिक क्षेत्र में योगदान यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी से समाज में कोई बदलाव न होना देश में महिलाओ की स्थिति का खराब होना ही दर्शाता है।

लाखों महिलाएं घरेलू कामगारों के रूप में कार्यरत है। घरेलू –कामगारों के रूप में महिलाओ द्वारा सैकड़ों तरह के काम किए जा रहे हैं जैसे बीड़ी बनाना, कपड़ों के लिए प्लेट बनाना, खेल की वस्तुएं बनाना, बिजली उत्पाद आदि। आइ एल ओ की सहायता से सीटू द्वारा किए गए हाल ही में सर्वे में यह पाया गया है कि 32 5 फीसद महिलाएं घरेलू कामगार के रूप में काम कर रही हैं। 93 फीसद घरेलू कामगार मैनुफैक्चरिंग प्रकिया में कार्यारत हैं। ये मजदूरों के सबसे शोषित वर्ग में से है जिनकी मासिक औसत आय 583 रूपये तक है। लगभग 60 फीसद घरेलू कामगार 1000 रूपये महीने से भी कम कमाते हैं। इसके बावजूद कामकाजी महिलाएं 8घंटे काम करती है और घरेलू कामगार पूरा दिन अपने परिवार के साथ काम करने के बाद भी इतनी कम राशि कमा पाती हैं। उन्हें माह भर नियमित काम नहीं मिल पाता और जब काम मिल पाता है तब सर्वे के अनुसार पूरे दिन के काम के बाद भी उन्हें 25

रूपये प्रतिदिन से अधिक नहीं मिल पाता। सामाजिक सुरक्षा तथा और अन्य सुविधाओं की तो बात करना ही बेकार है।

एक सामान्य धारणा के अनुसार आइटी तथा आइटीईएस सेक्टर और वित्तीय क्षेत्र कामकाजी महिलाओं के लिए रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध कराता है। किन्तु वास्तविकता तो यह है कि आइटी से सम्बन्धित सभी गतिविधियों में शहरी कामकाजी महिलाओं की संख्या कुल संख्या का मात्र 0.3 प्रतिशत है। सभी वित्ती गतिविधियों जिनमें बैंकिंग, बीमा तथा दूसरी सहायक वित्तीय क्षेत्र भी शामिल हैं, में शहरी कामकाजी महिलाओं की संख्या श्रम शक्ति की कुल संख्या का मात्र 1.04 प्रतिशत है। यहां तक कि दिल्ली में भी जहां बड़ी संख्या में महिलाओं को कुछ न कुछ रोजगार हासिल है, हाल ही में कराए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नियमित वेतन पाने वाली सभी महिलाओं को संवेतन अवकाश नहीं मिलता, उन्हें पेन्शन अथवा भविश्य निधि की सुविधा नहीं मिलती। इससे नियमित कामों में भी उनकी खराब स्थिति का पता चलता है।

देश भर में खुदरा व्यापार आम तौर पर लाखों महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 1999–2000 में सभी शहरी कामकाजी महिलाएं खुदरा बाजार के काम धंधों में लगी हुई थीं। किन्तु उनकी संख्या में काफी कमी आ गई है क्योंकि रोजगार के क्षेत्र में गला काट प्रतियोगिता में भाग ले पाना उनके लिए कठिन हो रहा है और दूसरे शहरों तथा नगरों में लागू नियम उनके रोजगार के आड़े आने लगे हैं।

महिलाओं की बड़ी संख्या विशेष तौर पर युवा महिलाओं जिनकी आयु 20–25 वर्ष के बीच है, सेज में रोजगार पर लगी हैं। उनमें से लगभग 10 प्रतिशत अभी किशोरावस्था में हैं। यद्यपि आधिकारिक तौर पर सेज में श्रम कानून लागू है किन्तु प्रबंधन धड़ल्ले से उनका उल्लंघन करता है और इस मामले में अधिकारी उनके साथ मिले होते हैं। सेज को जन उपयोग की सेवाएं घोषित किया गया है, इसलिए वहां काम करने वाले मजदूरों का हड़ताल पर जाना असम्भव हो गया है। न्यूनतम वेतन, प्रसूति लाभ और दूसरे सामाजिक सुरक्षा लाभ वहां लागू नहीं होते। सेज में काम करने वाले मजदूरों को ओवर टाईम करना पड़ता है पर इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पगार नहीं दी जाती। कामकाजी महिलाओं को प्रायः परेशान किया जाता है जिसमें उनका यौन उत्पीड़न भी शामिल है। उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बुनियादी सावधानियां भी नहीं रखी जातीं। मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित होने की

अनुमति नहीं दी जाती। सेज में काम करने वाली कामकाजी महिलाएं काम से सम्बन्धित रोगों का शिकार रहती हैं। उन्हें सिर दर्द की पुरानी बीमारी, मानसिक तनाव, पीठ के दर्द तथा मासिक धर्म में व्यावधान, भार कम हो जाना और दूसरी गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

रोजगार के अवसरों और तरक्की के मामले में भी उनके साथ पक्षपात किया जाता है। उदाहरण के लिए मछली पालन उद्योग में आग तौर पर पानी के टेंक को पानी में डुबोने का काम कामगार महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों द्वारा मिल कर किया जाता है, किन्तु कामकाजी महिलाओं को पुरुष श्रमिको के आधे वेतन से भी कम पगार दी जाती है। इसी प्रकार परम्परागत गतिविधियों अर्थात् खेतिहर गतिविधियों में लगी महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में नियमित कामों में भी व्यावसायिक एवं तकनीकी कामों में लगी महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है जबकि उनके काम करने से उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा एवं उत्पादन कार्यों में लगी कामकाजी महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों के वेतनों में भारी अंतर पाया जाता है। कामकाजी महिलाओं को अपने सहयोगी पुरुष श्रमिकों की तुलना में आधा वेतन मिलता है। पढ़ी लिखी महिला कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का पक्षपात होता है। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक रोजगार में ग्रेजुएट महिला को को पुरुष कर्मचारी जो केवल हायर सैकण्डरी होता है या उराने कोई डिप्लोमा कोर्स किया होता है, की तुलना मे कहीं कम वेतन दिया जाता है।

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के लक्ष्य

सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन को एकजुट करने की कोशिशों के एक भाग के रूप में सीआइटीयू ने विभिन्न स्तरों पर कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए पहलकदमी की है ताकि वे भी श्रमिक आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसका उद्देश्य मजदूरों की स्थितियों में सुधार लाना और सभी प्रकार के शोषण का खात्मा करना है। समन्वय समिति की स्थापना इसी लक्ष्य को सामने रख कर की गई थी। सीआइटीयू की 27–29 जनवरी 2009 को जेएनपीटी, उरान, महाराष्ट्र में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक में "सीआइटीयू की कामकाजी महिला समन्वय समिति के काम" विषय

पर एक दस्तावेज पारित किया गया था। उसमें समिति के इन लक्ष्यों का उल्लेख किया गया था:

ो कामकाजी महिलाओं को सीआइटीयू के झण्डे तले संगठित करने में सहायता देना।

ो कामकाजी महिलाओं का विकास करने में सहायता देना ताकि वे सीआइटीयू के निर्णायक निकायों में जिम्मेदारियां ले सकें।

ो कामकाजी महिलाओं की सभी श्रेणियों जिनमें सीआइटीयू से सम्बद्ध सभी यूनिपनें भी शामिल हैं, के बीच सीआइटीयू की नीतियों और कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाना।

ो श्रमिक आंदोलन में कामकाजी महिलाओं की व्यापक भागीदारी को उत्साहित करना।

सीआइटीयू सम्मेलन के बाद किए जाने वाले प्रयास

इन्हीं लक्ष्यों को सामने रख कर कामकाजी महिलाओं के बीच सीआइटीयू के काम को आगे बढ़ाने के लिए इस अवधि में प्रयास किए जाते रहे हैं।

सीआइटीयू के बारहवें सम्मेलन में ''कामकाजी महिलाओं के बीच कामों पर घोषणा पत्र'' पारित किया गया था जो एक अलग सत्र में आयोजित आठवीं कन्वेंशन की ओर से पारित किए गए दस्तावेजों पर आधारित था।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल का निर्णय था कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या से सीआइटीयू राज्य समितियों में महिलाओं की संख्या प्रतिबिम्बित होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में यह राज्य के प्रतिनिधिमण्डल में 15 प्रतिशत से कम न हो, इस पर भी सीआइटीयू के बारहवें सम्मेलन के कुल प्रतिनिधियों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात 12.17 प्रतिशत रहा था। यह दुःख की बात है। अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों में महिला प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी सदस्य संख्या के अनुसार होता है किन्तु मजबूत राज्यों में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत कम होता है जिनमें कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियां बहुत सक्रिय हैं।

सीआइटीयू सम्मेलन में आत्म आलोचना परक समीक्षा करते हुए कहा गया था कि सीआइटीयू सम्मेलनों, कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल की बैठकों में बार–बार निर्णय लेने पर भी सीआइटीयू की अनेक राज्य समितियों विशेष तौर पर हिन्दी भाषी राज्यों में कामकाजी महिलाओं की राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन नहीं किया गया। जिन राज्यों में उनका गठन

किया गया है उन में भी उनके काम पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। सम्मेलन ने सीआइटीयू कार्यकर्ताओं के बीच कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के कामों, उसकी संरचना तथा लक्ष्यों को लेकर एक सामान्य सहमति बनाने की जरूरत को रेखांकित किया। यह काम विभिन्न स्तरों पर पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के बीच किया जानां चाहिए। एक गलत धारणा यह भी पाई जाती है कि कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति तो केवल मध्यम श्रेणी की महिला कर्मचारियों का मंच है। कामकाजी महिला समन्वय समितियों के कुछ सदस्यों में यह रुझान भी पाया जाता है कि समन्वय समिति सीआइटीयू से स्वतंत्र होकर काम करती है। सीआइटीयू के बारहवें सम्मेलन ने इसकी कुछेक कमियों का उल्लेख किया था।

सीआइटीयू सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार सीआइटीयू केन्द्र की ओर से इस अवधि में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के लक्ष्यों, संरचना तथा कामों पर सामान्य सहमति विकसित करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं।

सीआइटीयू केन्द्र की ओर से इस मुद्दे पर विचार किए जाने के बाद सीआइटीयू राज्य समितियों के अध्यक्षों, महासचिवों/ कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के प्रभारी राज्य समिति के पदाधिकारियों की एक बैठक 30 अगस्त 2007 को हुई थी। बैठक में केवल 11 राज्यों के अध्यक्षों तथा महासचिवों ने भाग लिया था। उसके बाद सीआइटीयू के पूर्ण सचिव मण्डल ने दो बैठकें करके इस पर विचार किया है जिसके उपरान्त कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के कामों पर एक दस्तावेज तैयार किया गया। इस दस्तावेज को मुम्बई कार्य समिति की बैठक में रखा गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दस्तावेज के आधार पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इस प्रस्ताव तथा दस्तावेज को फरवरी 2009 को कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सीटू) में पेश किया गया था। सीआइटीयू कार्य समिति ने भी समन्वय समिति के गठन के तीस वर्ष पूरे होने पर कामकाजी महिलाओं के बीच काम की समुचित समीक्षा करने का फैसला किया था। इसके लिए सीआइटीयू केन्द्र में एक उप समिति का गठन किया गया।

अब तक जो रिपोर्ट मिली है उससे यही संकेत मिलता है कि यह काम करने के साथ–साथ सीआइटीयू के दसवें सम्मेलन में पारित दस्तावेज ''कामकाजी महिलाएं – वर्गीय परिप्रेक्ष्य'' पर हुई बहसों से भी कामकाजी

महिलाओं की समन्वय समितियों की भूमिका को स्पष्ट करने में कुछ सीमा तक सहायता मिली है। तथापि, इन प्रयासों को जारी रखे जाने की जरूरत है ताकि पूरे देश में कामकाजी महिलाओं के बीच सीआइटीयू के फैसलों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

सीआइटीयू में महिलाएं

अनेक राज्यों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों के गठन में कमजोरियां रह जाने पर भी राष्ट्रीय स्तर पर सीआइटीयू की महिला सदस्यों की संख्या बढ़ी है। अनेक राज्यों में यह संख्या लगातार बढ़ रही है। सीआइटीयू केन्द्र को प्राप्त नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या 49,90,289 में से 12,69,509 सदस्य महिलाएं थीं जो कुल सदस्य संख्या का 25.43 प्रतिशत बनता है जबकि इससे पहले 2005 में यह 22.7 प्रतिशत थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों विशेष तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा एवं मिड–डे मील वर्कर्स के बीच सीआइटीयू की गतिविधियां बढ़ने के फलस्वरूप यह बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2006 में कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां सीआइटीयू की कुल सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक भाग महिलाओं का हुआ करता था। किन्तु वर्ष 2008 में चार राज्यों – हिमाचल प्रदेष, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा बिहार – महिलाओं की सदस्य संख्या का भाग 62 प्रतिशत हो चुका है। तेरह राज्यों में सीआइटीयू के 25 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं। केवल चार राज्यों – दिल्ली, जम्मू एवं कष्मीर, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश – में सीआइटीयू की महिला सदस्याओं की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है।

अधिकांश राज्यों में सीआइटीयू की गतिविधियों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वषद्धि हुई है। हिन्दी भाषी राज्यों सहित अनेक राज्यों में महिलाओं की संख्या लगभग पचास प्रतिशत है अथवा वह सीआइटीयू की लामबंदियों से अधिक है। ये लामबंदियां चाहे सम्मेलनों के लिए हों और या फिर सार्वजनिक सभाओं के आयोजन में सभी जगह उनकी लामबंदी उल्लेखनीय होती है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों में विशाल बहुसंख्या महिलाओं की होती है; इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, केरल इत्यादि राज्यों के अनेक जिलों में असंगठित क्षेत्र के बीच चलाए जाने वाले अभियानों में भाग लेने वालों में लगभग आध ाी या उससे अधिक संख्या कामकाजी महिलाओं की होती रही है।

सीआइटीयू के नेतष्त्व में भी महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। यद्यपि यह सीआइटीयू में उनकी सदस्य संख्या और गतिविधियों में उनकी भागीदारी के अनुरूप नहीं है। अधिकांश राज्यों में कम से कम एक महिला सीआइटीयू राज्य समिति में पदाधिकारी चुनी गई है; आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों में राज्य समिति में एक से अधिक महिला पदाधिकारी है। अनेक राज्यों में महिलाएं जिला समिति सदस्य तथा पदाधिकारी चुनी गई हैं। आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाएं सीआइटीयू की कुल लगभग 1,100 मण्डल समितियों में से लगभग 800 मण्डल समितियों की अध्यक्ष/महासचिव चुनी गई हैं तथा इस रूप में वे काम कर रही हैं। अनेक राज्यों में सीआइटीयू की पूर्ण कालिक अथवा अंश कालिक महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। इसके साथ ही महिलाओं की सदस्य संख्या तथा सीआइटीयू की गतिविधियों में उनकी भागीदारी को देखते हुए सीआइटीयू के निर्णायक निकायों में उनकी भूमिका को और बढ़ाने की जरूरत है। यह जरूरी है कि विभिन्न यूनियनों में सीआइटीयू की महिला कार्यकर्ताओं की पहचान की जाए, उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें यूनियनों और उसके साथ–साथ सीआइटीयू में और अधिक जिम्मेदारियां दी जाएं। कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों को विभिन्न स्तरों पर इसे यकीनी बनाने के लिए प्रयास करने होंगे।

समीक्षा 10 राज्यों से

आठवी कन्वेंशन ए आई सी सी डब्लयू डब्लयू जिसमें 41 सदस्य व 3 इन्वाटींस शामिल है का गठन किया गया। इस पूरे वक्त में वे केवल 3 बार मिले पर मीटिंग की उपस्थिति असंतोषजनक रही जिसमें 6–7 राज्यों में औसतन उपस्थिति 19 रही। सदस्यों में से जिसमें 4 में से 2 आंध्रप्रदेश , 3 में से 1 कर्नाटक 6 में से 1 तमिलनाडु, 2 में से 1 त्रिपुरा 11 में से 6 पश्चिम बंगाल तथा 3 में से 1 इन्वाटी ने कभी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। 6 सदस्यों जिनमें 3 सीटू सेंटर से है ने मीटिंग में शामिल हुए। ज्यादातर सदस्य लोकल यूनियनों अथवा सीटू व जन्य गतिविधियों में व्यस्त होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए। इसे व पिछले अनुभवों की ध्यान में रखते हुए इस बात की जरूरत बन गयी है कि छोटे स्तर ए आई सी सी डब्लयू डब्लयु का गठन किया जाए ताकि सदस्य इसकी मीटिंग में शामिल हो सकें।

इस पूरे ए आई सी सी डब्लयू डब्लयू की मुख्य कार्य राष्ट्रीय स्तर पर आशा व मिड डे मिल कामगारों का आन्दोलन तैयार करने में लगाया गया।
सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मिशन के तौर पर स्थापित आशा में 6 लाख महिलाएं काम करती हैं। जहॉ उनका काम लगभग पूरे दिन का होता है,बल्कि कभी दो –चार दिनों के लिए अपने घरों से जाना पड़ता है ऐसे आशा कामगारों को केवल कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है बहुत थोड़ी मेहनताना दिया जाता हैं। इन कामगारों में ज्यादातर जवान पढ़ी लिखी औरतें शामिल है। लगभग 22 लाख कामगार जिनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं,मीड डे मिल प्रोग्राम के तहत काम करती हैं जो सरकार द्वारा चलाया जाता है। बहुत से राज्यों में यह कार्य एस एच जी द्वारा किया जाता है व बहुत कम मेहनतानें पर खाना पकाने व सहायकों पर रखा जाता है। अपने शोषण पूर्ण स्थिति तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं,सीटू द्वारा चलाए गए आन्दोलनों से प्रेरित हो विभिन्न आशा व मीड डे मील कामगारों ने सीटू से अपनी मुश्किलों के लिए सम्पर्क किया है। विभिन्न राज्यों में उन्होंने यूनियन के तहत लाने व उग्र–आंदोलन सीटू के नेतृत्व में चलाए गए हैं।
सीटू सेक्रेटिएट द्वारा यह तय किया गया है कि विभिन्न राज्य कमेटियों को उन्हें संगठित करने को कहा जाए। सीटू काडरों द्वारा की गयी राष्ट्रीय स्तर पर आशा व मीड डे मील कामगारों की मीटिंग 26 जनवरी2009 को मुम्बई में की गयी। मुम्बई में सीटू वर्किंग कमेटी द्वारा दिल्ली में 19 फरवरी 2009 राष्ट्रीय कन्वेंशन का किया जाना तय किया गया था। 514 सदस्य जिनमें से आशा कामगार, 7 राज्यों से व 174 मीड डे मील कामगार सदस्य जो 10 राज्यों से आए थे,ने अलग से अपनी मांगों का घोषणापत्र अपनाया। सीटू के अध्यक्ष व महामंत्री दोनों इस कन्वेंशन में उपस्थित थे। मीड डे मील कामगारों ने शिक्षा –सेक्रेट्ररी को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। कन्वेंशन में यह भी ाय किया गया कि 18 मार्च 2009 को मीड डे मील कामगारों के माग दिवस के तौर पर बनाया जाए विभिन्न राज्यों में इसे बड़े उत्साह से बनाया।
विभिनन राज्यों जिनमें आंध्रप्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखं डमें आशा यूनियन स्थापित की जा चुकी हैं वहीं पंजाब व कर्नाटक में उन्हें संगठित करने की कोशिश जारी है। मीड डे मील कामगारों की यूनियनें आंध्रप्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, व उत्तराखंड में बनायी जा चुकी हैं। अखिल भारतीय समन्वय आशा व मीड डे मील कामगार यूनियनें बनायी

गयी है जिनकी कन्वीनर के तौर पर रन्जना निरूला व ए आर सिंधु हैं यह समन्वय कमेटी 28 नवम्बर 2009 को मिली व आगे के कार्य की चर्चा की गयी। विभिन्न राज्य सी सी डब्लयू डब्लयू को जरूरत है कि
वह इन महिला कामगारों को सीटू के तहत संगठित किया जाए।
आशा मीड डे मील व आंगनवाड़ी कामगारों को संगठित करने से सीटू ने नीतियों व प्रोग्रामों को ग्रामीण स्तर तक पहुँचन में मद्द मिलेगी।
सीटू से जुड़े संघ व यूनियनों के अंदर महिलाओं की सब कमेटी स्थापित करने में कुछ सफलता हासिल की गयी है।
पिछले समय में सीटू व उससे जुड़े यूनियनों व फेडरेशनों के भीतर महिला सब कमेटी बनाने में कमेटी बनाने में कुछ सफलता हासिल हुई है। निर्माण कार्य से सम्बंधित कामगारों के हुई राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा महिला सब कमेटी को राष्ट्रीय स्तर पर गठित किया गया। निर्माण कार्य से जुड़े कामगार यूनियनों के विभिन्न राज्यों जिसमें तमिलनाडु,केरल, त्रिपुरा, तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं में राज्य स्तरीय महिला सब कमेटी का गठन किया गया हैं तमिलनाडु के 25 जिला स्तरीय व केरल में भी जिला स्तरीय कमेटी गठित की गयी। राष्ट्रीय स्तर पर बनी निर्माण कामगार यूनियनों की महिला सब कमेटी ने कुछ सुझाव आगे रखते हुए माना है कि सारे राज्यों में तय वक्त के भीतर महिला कामगार–सब कमेटी का निर्माण किया जाए तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कामगारों के मांगों को लेकर आन्दोलन चलाया जाए। मेडिकल व सेल्स प्रतिनिधि फेडरेशन द्वारा महिला फिल्ड कामगारों की राष्ट्रीय कन्वेंशन करवायी तथा अखिल भारतीय महिला सब कमेटी का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय कन्वेंशन में तय किया गया कि अखिल भारतीय स्तर पर, प्रसूति छुट्टियों समान का का समान वेतन, 8 घंटे काम, यौन–शोषण के लिए कड़ी सजा तथ( ) आदि पर आन्दोलन व प्रचार चलाया जाए।
विभिन्न सर्किल स्तर पर वी एस एन एल कर्मचारी यूनियनों ने महिला कन्वेंशन की तथा महिला सब कमेटी का गठन किया गया।
इसके साथ ही विभिन्न ट्रेड यूनियनों जैसे ए आई आई ई ए /बी ई एफ आई / ए आई आर आर ई ए /ए आई जी ई एफ आदि ने अपनी क्राफ्रेस के साथ–साथ नियमित तौर महिला कन्वेंशन भी की। ए आई आई ई ए जिला जोनल स्तर पर महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। आल इंडिया स्टेट गर्वमेंट एम्पलाइज फेडरेशन की वर्किंग कमेटी के अंदर 25 प्रतिशत पद जिला व जोनल स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया हैं। महिला सब

कमेटी का राज्य व लोकल स्तर पर यूनियनों जिनमें मछली पालन,बीड़ी निर्माण, मुन्सिपल,सड़क परिवहन, रेल, प्लानटेशन चिकित्सा एवं स्वास्थय कर्मचारी , मेडिकल् एवं सेल्स प्रतिनिधियों ,बिजली कर्मचारी इत्यादि में कुछ राज्यों में गठन किया गया। राज्य सी सी डब्लयू डब्लयू की यह जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित करे कि तमाम यूनियनों में महिला सब कमेटियों का गठन किया जाए तथा सुचारू रूप से कार्य करे।

कामगार महिलाओं ने अच्छी खासी संख्या में बढ़ चढ़ कर वैश्वीकरण , उदारीकरण तथा निजीकरण की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चलाए अभियानों व संघर्षों में भाग लिया। जिनमें अखिल भारतीय हड़तालों जैसे 14 दिसम्बर 2006 तथा 20 अगस्त 2008 को स्पोसरिंग कमेटी के आह्वान पर शामिल है इसके साथ ही अखिल भारतीय हड़ताल जो सीटू के आह्वान पर असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए 8 अगस्त 2007 को की गयी। 8 अगस्त 2007 को अखिल भारतीय असंगठित क्षेत्र कामगार की हड़ताल में कामगार महिलाओं जिनमें आंगनवाड़ी कर्मचारी हेल्पर्स वर्कर इत्यादि ने ज्यादातर राज्यों से शामिल थीं उत्साहपूर्वता से भाग लिया इसके अलावा ट्राम और बस कर्मचारी बिजली क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी मुन्सिपल कर्मचारी खोमचा कामगार / पश्चिम बंगाल तथा केरल के परम्परागत उद्योगों जिनमें काजु, नारियल, जुट इत्यादि तथा तमिलनाडु से सिलाई कामगार तथा अन्य असंगठित क्षेत्रों से जुड़े कामगारों तथा अन्य तौर पर विशेष रूप से भाग लिया। 4–5 दिसम्बर,2007 को देश भर में आयोजित सत्याग्रह प्रोग्राम व जेल भरो आन्दोलनों में महिला कामगारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।

महिला कामगारों ने विश्व स्तरीय आर्थिक संकट के खिलाफ आयोजित कामगार वर्ग के संघर्षों में आगे बढ़कर लिया। अच्छी खासी संख्या में महिला कामगारों ने सीटू द्वारा आयोजित 20 जनवरी ,2009 दिल्ली रैली तथा ट्रेड यूनियनों की स्पोंसरिंग कमेटी के आह्वान पर 18 फरवरी 2009 रैली में आगे बढ़कर हिस्सा लिया। महिला कामगारों ने बड़ी संख्या में संयुक्त ट्रेड यूनियन कन्वेंशन 14 सितम्बर,2009 में भाग लिया साथ ही आल इंडिया विरोध दिवस 28 अक्टूबर 2009 तथा संसद पर धरना दिल्ली तथा उद्योगिक केन्द्रों पर 16 दिसम्बर 2009 में भाग लिया।

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस

हर साल सीटू केन्द्र द्वारा 8 मार्च,अंतराष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर सरकूलर भेजे जाते हैं।

पिछले समय में सीटू से जुड़ी यूनियनों द्वारा अंतराष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित करने में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है। केरल में एडवा के साथ मिलकर इसे बनाया गया।

केरल में खाद्य सुरक्षा, साम्प्रदायिकता, नवउदारवादी नीतियों, अंधविश्वासों तथा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा आदि प्रश्नों पर सेमिनार आयोजित किए गए। फैक्ट्री मीटिंग,एरिया मीटिंग इत्यादि मछली पालन व काजू संम्बंधित यूनियनों में आयाजित की गयी । साम्राज्यवाद का कामगारों पर हमला" विषय सभी जिला स्तर पर लेक्चर करवाये गये। रैली,कन्वेंशन , मीटिंग इत्यादि का आयोजन इस दिवस पर किया गया।

तमिलनाडु में महिला दिवास मांग दिवस के तौर पर जिसमें समान काम के लिए समान वेतन न्यूनतम वेतन ,8 घंटे काम , पेंशन व कान्टरेक्ट –व्यवस्था को खत्म करने आदि को मांगों के तौर पर शामिल किया गया। यहां जिला स्तरों पर कामगार महिलाओं ने कागज व कपड़ों पर अपनी मागें लिख ऐपरेन तथा टोपियां जिन पर अंतराष्ट्री महिला दिवस लिखा था पहन कर रैलियों में शामिल हुई। हजारों पर्चे बाटे गए,खास कन्वेंशन नुक्कड मीटिंग व नाटकों का आयोजन किया गया।

अंतराष्ट्रीय महिला दिवस अन्य राज्यों जिनमें त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक शामिल है में विभिन्न शहरों में मीटिंग व गोल मेज चर्चाएं आयोजित कर मनाया गया। हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी यूनियन तथा कान्टेक्ट कामगार यूनियन दूर्गापुर में कन्वेंशन का आयोजन किया । पंजाब में मीटिंग, रैली प्रदर्शन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम इस अवसर पर किये गए। उड़ीसा में रैली, मीटिंग तथा जनरल मीटिंग आयोजित की जिनमें विभिन्न सेक्टर कामगारों ने हिस्सा लिया। रिजनल प्लांट रिर्सच सेन्टर यूनियन भुवनेश्वर की महिला सब कमेटी तथा सीटू से जुड़ खादान यूनियनों सुन्दरगढ़ में जनरल बाडी मीटिंग बुलायी गयी। दिल्ली में सीटू जिला कमेटी ने सी ई एल मीटिंग बुलाई जिसमें अन्य सेक्टर से जुड़े उद्योगों सहिबाबाद उद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कामगार महिलाओं ने भाग लिया। वहीं चण्डीगढ़ में इस मौके पर सीटू जिला कमेटी ने मीटिंग बुलाई जिनमें भारी संख्या में बीड़ी मजदूर व मण्डी मजदूरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।

विभिन्न मजदूर यूनियनों की महिला कामगार सब कमेटी खास तौर पर ए आई आई ई ए की विभिन्न डिविजनों पर पूरे देश में मीटिंग कर महिला दिवस मनाया गया। इन्शोरेन्स कर्मचारी यूनियनों ने इस अवसर पर चिकित्सा –शिविर रक्तदान, किताबें, अन्य पढ़ाई उपयोगी सामग्री तथा वष्द्धाश्रम में बाटे गए।

विमल रणदिवे वर्षगांठ

का॰ विमल रणदिवे, ए आई सी सी डब्लयू डब्लयू के संस्थापक कान्विनर के जन्म दिवस पर सीटूसेन्टर तथा लेक्चर इत्यादि का आयोजन कर बनाया गया। 2007 में " विशेष–अवधारणा तथा प्रभाव " तथा 2008 में सम्प्रदायिकता तथा नवउदारवादी वैश्वीकरण विषय तय किये गए।

केरल, तमिलनाडु , त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल तथा गोल–मेज मीटिंग आदि का आयोजन कर बनाया गया। केरल में गजटेड आफिसर एसोसिएशन की महिला सब कमेटी ने इस मौके पर राज्य स्तरीय कन्वेंशन 2007 को आयाजित की। कई जिला स्तरीय मीटिंग की गयी जिन में सीटू नेतष्त्व द्वारा हिस्सा लिया गया। 2009 में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह दिवस नहीं मनाया गया। हलाकि, बुकलेट,पर्चे तथा परिवारिक मेल–जोल आदि कर केरल में इसे बनाया गया।

कई राज्यों में महिला –कामगार ने सीटू द्वारा आयोजित मई दिवस की रैली व जलुसों में भाग लियां आंध्र प्रदेश में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मण्डलों में मजदूरों को संगठित कर सीटू झण्डे को मई दिवस पर फहराया गया।

बड़ी संख्या में महिला कामगारों जिनमें आंगनवाड़ी कर्मचारी विशेष तौर पर शामिल हैं, ने राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु , त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल आदि में 15वीं लोकसभा के चुनाव प्रचार में सीटू निदेर्शों को प्रचारित करने में भाग लिया। पश्चिम बंगाल में विभिन्न उद्योगों से जुड़ी कामगार महिलाओं ने कलकत्ता में कन्वेंशन का आयोजन किया।

गतिविधियों की रिपोर्ट

वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, प0 बंगाल कर्नाटक में कामकाजी महिला समन्वय समितियां संचालित है। अन्य सभी

राज्यों में लगभग जहां भी ये समितियां बनाई गई है वहां कामकाजी महिला समन्वय समितियां लगभग मृत हैं। कामकाजी महिला समन्वय समितियों का पुनः गठन करने और उन्हें क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है।

तमिलनाडु और केरल की कामकाजी महिला समन्वय समितियां प्रभावी तौर पर काम कर रही हैं और नियमित बैठकें व गतिविधियों की योजनाएं भी बना रही हैं। इन कामकाजी महिला समन्वय समितियों से महिला मजदूरों की साधारण मांगों को उठाया जा रहा है।

केरल कामकाजी महिला समन्वय समिति ने राज्य श्रम मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में न्यूनतम वेतन, समान पारिश्रमिक, सुरक्षित काम का स्थान, यौन उत्पीड़न से बचाव और उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाने, कार्यस्थल पर शौचालय सुविधा, मातृत्व अवकाश, शिशु पालना गृह, यातायात व्यवस्था आदि, मांगें शामिल थीं। इसी प्रकार के ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपे गए। केंद्र में यूपीए सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, महंगाई, भारत–पाक परमाणु समझौते और बीएप्एल की श्रेणी में कटौती के विरोध में जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए, जिसमें हजारों कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया।

केरल में संयुक्त अखिल भारतीय मजदूर–किसान मांग दिवस के अवसर पर भी कामकाजी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

तमिलनाडु में कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने कामकाजी महिलाओं के विभिन्न वर्गों जैसे कन्याकुमारी की शॉप कर्मचारी, महिला दर्जी, महिला मजदूर, महिला कबाड़ी आदि की समस्याओं की ओर सीआइटीयू जिला कमेटियों का ध्यान आकर्षित किया और उनकी मांगों पर अभियान चलाया। सीटू जिला कमेटियों द्वारा राशन प्रणाली, पीने का पानी, बस सेवा, गृह पट्टा आदि जैसे इन महिलाओं के कुछ मुद्दों को भी उठाया गया।

तमिलनाडु में 27 फरवरी 2007 को सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं ने विशाल रैलिया और प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन और रैलियां श्रम विभाग की निष्क्रियता की निंदा व असंगठित क्षेत्र मजदूरों के राज्य वेलफेयर बोर्ड की नियमित क्रियाप्रणाली की मांग करते हुए निकाली गई थीं। न्यूनतम मजदूरी, 8 घंटे काम का दिन, समान

मजदूरी, वेतन का नियमित भुगतान, मेडिकल बीमा, सुरक्षित काम के स्थान व पीने के पानी की व्यवस्था करने तथा यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने आदि मांगों पर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया।
तमिलनाडु की राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने फैसला लिया कि जिला स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियों को कामकाजी महिलाओं की मांगों पर समर्थन कर संघर्ष करना चाहिए। जैसा कि पहले ही कुछ राज्यों की जिला समितियों द्वारा किया जा रहा था।
लगभग सभी राज्यों की सीआइटीयू से संबंधित आंगनवाड़ी यूनियनों ने उनकी मांगों पर संघर्श किया और अभियान भी चलाया। ये संघर्ष जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की मांगों पर भी किए गए थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश आदि जैसे बहुत से राज्यों में मिड डे मील वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय धरनों में भी बड़ी संख्या में भाग लिया।
बहुत से राज्यों में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष में सीआइटीयू राज्य समितियों तथा राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने अपना समर्थन जताया। इन संघर्षों में शामिल है – केरल में खादी उद्योग के आधुनिकीकरण, बेहतर वेतन व कामकाजी स्थिति की मांग करते हुए खादी श्रमिकों द्वारा निकाला गया राज भवन जुलूस; तमिलनाडु व केरल के प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पलॉएज़ का संघर्ष जो न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा व कल्याण लाभ आदि की मांग कर रहे थे; दिल्ली के महिला गारमेंट वर्कर्स का संघर्ष जिसमें न्यूनतम वेतन व अन्य लाभों की मांग कर रहे थे, उन पर पुलिस द्वारा दमन किया गया और गिरफ्तर कर जेल में भी भेजा गया; तमिलनाडु के प्रीमीयर स्पिनिंग मिल के महिला श्रमिकों का संघर्ष जो बढ़े हुए काम के बोझ में वृद्धि और यौन उत्पीड़न का विरोध कर रहे थे; आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी हैल्थ वर्कर, कॉफी वर्कर, सेज़ वर्कर, बीड़ी वर्कर का संघर्ष; पश्चिम बंगाल के स्ट्रीट हॉकर्स की मांगों का समथर्न आदि। पश्चिम बंगाल में वामपंथ की नीतियों के समर्थन में कामकाजी महिलाओं की एक राज्य स्तरीय रैली निकाली गई।

राज्य स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियां एवं महिलाओं की उप समितियां

इस दौरान आंध्र प्रदेष, पष्चिम बंगाल और केरल में कामकाजी महिलाओं के राज्य सम्मेलन हुए जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कुछ अन्य राज्यों में सीआइटीयू के तेरहवें सम्मेलन के बाद, महिला समन्वय समिति के सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाओं का पांचवा राज्य सम्मेलन अप्रैल 2008 में हुआ। इस सम्मेलन में 23 जिलों में से 21 जिलों के 31 सेक्टरों से 210 कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। एक संयोजिका, 6 सह संयोजक, व 31 सदस्यीय कामकाजी महिला समन्वय समिति गठित की गई।

आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समिति ने कामकाजी महिलाओं के अन्य विभागों को भी संगठित करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की राज्य स्तरीय यूनियनें गठित हुई उद्योगों में पहले से ही विद्यमान कुछ यूनियनों में बड़ी संख्या में महिला मजदूरों ने भाग लिया और यूनियनें मजबूत हुई।

राज्य स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने राज्य में बीड़ी मजदूर यूनियन को फिर से पुर्नजीवित करने की पहलकदमी की। बीड़ी के पैकेट पर खोपड़ी का चिन्ह होने के सरकारी आदेश के खिलाफ अभियान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस मुद्दे पर 70 प्रकार के पर्चे छापे गए। उन्होंने 7 नगरपालिकाओं तथा 600 गावों के 30,000 बीडभ श्रमिकों के सर्वे संचालन में सहायता की; इन्होंने बीड़ी मजदूर यूनियन के 8 जत्थों को समर्थन जताया ए ये 8 जत्थे ऐसे सभी स्थानों पर गए जहां बीड़ी मजदूर काम करते हैं। राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति ने इंटीग्रेटिड ट्राइबल डेवेलपमेंट ऐजेंसी के कम्युनिटी हैल्थ वर्कर्स को संगठित करने में भी पहलकदमी की। इसी प्रकार 2006 में आशा कार्यकर्ताओं को भी संगठित करने के प्रयास आरम्भ किए और बहुत बार उनके मुद्दों पर संघर्ष व

अभियान चलाए। इन प्रयत्नों से राज्य में आशा कार्यकर्ता व कम्युनिटी हैल्थ वर्कर्स की मजबूत यूनियनों का गठन हुआ।

पश्चिम बंगाल कामकाजी महिला समन्वय समिति का सम्मेलन 15 सितम्बर 2008 को हुआ और 40 सदस्यीय कामकाजी महिला समन्वय समिति चुनी गई। तब से अब तक राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की 6 बैठकें हुई हैं जिसमें औसतन उपस्थिति 40 फीसद से अधिक रही। कामकाजी महिलाओं ने सीआइटीयू के जिला स्तरीय कार्यक्रमों और स्वयं अपने कार्यक्रमों में भाग लिया। कामकाजी महिला समन्वय समिति ने अपनी भागदारी बढ़ाने के प्रयत्न करने का निर्णय लिया है।

राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रही है कि बड़ी यूनियनों सहित सभी यूनियनों की महिला सदस्यों की महिलाओं की 'टीम' (उप समिति) गठित की जाए। इसने प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, होज़री, होमबेस्ड वर्कर, म्यूनिसिपल वर्कर एवं हैल्थ वर्कर्स आदि को संगठित करने के लिए महिला श्रमिकों पहचान भी की है। कुछ जिलों में कंसट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट हॉकर, बीड़ी वर्कर, टी पलांटेशन वर्कर आदि की यूनियनें भी बनाई गई हैं। कलकत्ता सीआइटीयू जिला कमेटी द्वारा प्रति वर्ष हैल्थ चैक अप और ब्लड डोनेशन कैम्प लगाए जाते हैं, इनमें कामकाजी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कामकाजी महिला समन्वय समिति को कामकाजी महिलाओं के कुछ वर्गों जो स्वयं को केवल यूनियन की गतिविधियों तक ही सीमित रखते हैं, को जागरूक करने की आवश्यकता महसूस हुई।

केरल कामकाजी महिला समन्वय समिति का आठवां सम्मेलन 8 नवम्बर 2009 को हुआ। सभी 14 जिलों से, 54 सेक्टरों से 352 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, इस सम्मेलन से पूर्व लगभग सभी जिलों में जिला कन्वेंशनें भी की गईं। पदाधिकारियों सहित 95 सदस्यीय कामकाजी महिला समन्वय समिति गठित की गई। कुछ जिलों में सममेलन के बाद ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित की गईं।

केरल के पंचायत एम्पलॉएज़ एसोसिएशन द्वारा महिला कर्मचारियों की एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित की गई जिसमें सभी 14

जिलों से 250 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। केरल फिशरीज़ फैडरेशन भी महिला कन्वेंशन आयोजित करती है और महिला उपसमितियों का भी गठन किया गया।

उड़ीसा राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की कन्वेंशन 29 दिसम्बर 2009 को राज्य सीटू सम्मेलन से पहले आयोजित की गई। जिला कामकाजी महिला समन्वय समितियों द्वारा एक प्रश्नावली से सुचनाएं एकत्रित की गई थीं, उसी के आधार पर तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं के बीच काम की समीक्षा 22 जून 2008 को एक बेठक में की गई। इस बैठक में राज्य सीटू नेतश्त्वमंडल भी उपस्थित था। राज्य के सभी 34 जिलों में कामकाजी महिला समन्वय समितियां गठित की गई हैं। राज्य स्तर पर तथा बिजली एम्पलॉएज़ यूनियन की 7 जिला कमेटियों में महिलाओं की उप समितियां गठित की गई। हैंडलूम वर्कर्स यूनियन, रेलवे एम्पलॉएज़ यूनियन, औलरिंग वर्कर्स यूनियन, होज़री वर्कर्स यूनियन, कन्सट्रक्शन वर्कर्स यूनियन और असंगठित क्षेत्र की बहुत सी यूनियनों में महिला उप समितियां गठित की गई हैं।

34 में से 30 जिला कामकाजी महिला समन्वय समितियां कभी–कभी नियमित रूप से काम करती हैं। 5 जिला कामकाजी महिला समन्वय समितियों की बैठकें औसतन 70 फीसद उपस्थिति के साथ हो रही हैं और 16 जिलों की बैठकें 60 फीसद उपस्थिति तथा अन्य जिलों की बैठकें 30 फीसद उपस्थिति के साथ हो रही है। कामकाजी महिला समन्वय समिति सीटू के लगभग सभी संघर्ष कार्यक्रमों व अभियानों में कामकाजी महिलाओं को शामिल करने के प्रयत्न करती है। 11 जिलों की मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं ने संगठन की आर्थिक सहायता की है तथा 12 जिलों में चंदा एकत्र किया जा रहा है।

तमिलनाडु जिला कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने घर–घर जाकर महिलाओं से मिलकर उनकी सामाजिक व पारिवारिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया। कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने महिलाओं को सीटू की ओर आकर्षित करने के विभिन्न प्रकार से भरपूर प्रयास किए। इससे माचिस फैक्ट्री में बाल मजदूरी के मुद्दे को हल करने और समान वेतन देने और यौन उत्पीड़न की मांगों पर संघर्षों में होम बेस्ड वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स की भागीदारी बढ़ी। इन

मामलों में तुरन्त दखलअंदाजी करके संघर्ष करने, स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने और कार्यशाला और मेडिकल कैप आयोजित करने के लिए बैंक से लोन लेना और कल्याण बोर्ड से चंदा लेने के मुद्दों पर भी इन महिलाओं ने भाग लिया। महिला श्रमिकों को सीटू यूनियनों में सदस्य बनाने के बाद कामकाजी महिला समन्वय समितियां पुरूष श्रमिकों को भी सीटू का सदस्य बना रही हैं।

कन्सट्रक्शन, टेलरिंग, आंगनवाड़ी एम्पलॉएज़, फिश वेंडर्स, रेस कोर्स वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, वे साइड वेंडर्स, बीड़ी वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, लाउंड्री वर्कर्स, साल्ट पैन वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, पावर लूम वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स, मैच वर्कर्स, स्टील/एलुमिनीयम वेसल्स मेकिंग वर्कर्स, टेनरी वर्कर्स, नर्सिस, अगरबत्ती वर्कर्स, अप्पलम (पापड़) वर्कर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन/कोरपोरेशन वर्कर्स आदि बहुत से उद्योगों में महिला श्रमिकों को कामकाजी महिला समन्वय समितियों में विभिन्न जिलों में सदस्य बनाया गया है।

समीक्षा के आधार पर तमिलनाडु कामकाजी महिला समन्वय समिति ने रेखांकित किया कि महिलाओं की उप समितियों बनाने से सीटू की गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने अन्य यूनियनों में महिला उप समितियां बनाने का सुझाव दिया।

ट्रेड यूनियन कक्षाएं

केरल राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति ने इस दौरान कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं व कार्यशालाएं आयोजित करने में सराहनायोग्य प्रयत्न किए हैं। दिसम्बर 2007 में 2 दिवसीय ट्रेड यूनियन कक्षा आयोजित की गई जिसमें राज्यभर के 14 जिलो में 12 जिलों के 30 उद्योगों / व्यापारो से 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमें संगठित व असंठित क्षेत्र शामिल थे। अन्य ट्रेड यूनियन कक्षा जुलाई 2007 में आयोजित की गई जिसमें सभी 14 जिलों के 40 क्षेत्रों से 157 कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया।

जिला कामकाजी महिला समन्वय समितियों के कन्वीनर और जॉयंट कन्वीनर्स तथा सीटू के महिला पार्ट टाइमर्स के लिए तमिलनाडु में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। 29 जिलों के

संगठित व असंगठित क्षेत्रों की यूनियनों के 32 पार्ट टाइमर्स सहित 153 कार्यकर्ताओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए एक दो दिवसीय ट्रेड यूनियन कक्षा आयोजित की गई जिसमें 130 महिलाओं ने भाग लिया। पूर्ण कालिक और अंशकालिक कार्यकर्ताओं के लिए दो कार्यशालाएं 2008 और 2009 में आयोजित की गईं जिनमें लगभग 50 और 35 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

उत्तराखंड में 2009 में कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए एक दो दिवसीय ट्रेड यूनियन कक्षा भी आयोजित की गई । इन षामिल होने वाले कार्यकर्ताओं में मुख्यतः आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारी सम्मिलित थे।

इसे नज़र में रखते हुए मुख्यतः हिन्दी भाषी राज्यों में जहां आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील वर्कर्स आदि सीआईटीयू में संगठित होना शुरू किया है, में कामकाजी महिलाओं के विकास के लिए कार्यकर्ताओं के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करना आवष्यक है।

पत्रिकाएं

'द वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमेन' जिसे लगातार प्रकाशित होते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए हैं, इसकी सर्कुलेशन केरल राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियों के प्रयत्नों के कारण पिछली कन्वेंषन से अब तक बढ़ गई है। इस समय इसकी सर्कुलेशन 7,276 है। सर्कुलेशन का वर्णन अनुलग्निका में दिया गया है। जहां इसे जारी रखने के प्रयत्न जरूरी हैं और केरल की तरह अन्य राज्यों में भी इसकी सर्कुलेशन बढ़ाने के प्रयत्न करने की आवश्यकता है। 'पत्रिका' की सर्कुलेशन बहुत ही नीचे गिरकर 1600–1700 ही है और वह भी अधिकतर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच ही है। जिस प्रकार हमारी गतिविधियां हिन्दी भाषी राज्यों में आषा कार्यकर्ताओं, मिड डे मील कार्यकर्ताओं आदि में बढ़ी हैं, उसी प्रकार इन भागों में 'पत्रिका' की सर्कुलेषन बढ़ाने के भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हिन्दी भाषी क्षेत्र में हमारे संगठन की मजबूती को ध्यान में रखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में लिया जाना बहुत जरूरी है। फिर भी यदि 'पत्रिका' की सर्कुलेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ाई जाएगी तो इसे लगातार प्रकाशित करना बहुत कठिन होगा।

जनता, मजदूरों और महिला मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत जन आंदोलन के विकास की आवष्यकता है जिसमें मजदूर वर्ग को

नेतष्त्व की भूमिका निभानी होगी, हमें निम्नलिखित मांगपत्र पर अभियान चलाना होगा–

मांगें

◆ महंगाई पर रोक; राशन प्रणाली का सर्वव्यापीकरण और राशन प्रणाली के तहत 15 आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराना

◆ नरेगा का सक्रिय क्रियान्वन; नरेगा के अन्तर्गत महिला मजदूरों की भागदरी सुनिश्चित करना

◆ ग्रामीण रोगार गारंटी अधिनियम का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार

◆ बजट में आबंटन कर असंठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय फंड हो; असंगठित मजदूर सामाजिक सुरक्षा कानून को लागू किया जाए और उसमें न्यूनतम कल्याण लाभ जैसे पेंशन, स्वास्थ्य मातष्त्व व दुर्घटना लाभों को जोड़ा जाए जोकि उनके अधिकार हैं; असंगठित मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए बीपीएल हटाया जाए

◆ सुनिश्चित किया जाए कि विश्व आर्थिक संकट से प्रभावित क्षेत्रों के मजदूरों के रोजगार सुरक्षित हों; इन उद्योगों में मजदूरों के रोजगार संरक्षण को स्टीमुलस पैकेज के साथ जोड़ा जाए।

◆ सुनिश्चित किया जाए कि सेज़ से प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में सभी श्रम कानूनों का पालन हो जिसमें समान वेतन कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, मातृत्व लाभ कानून इत्यादि भी शामिल हों

◆ आईडीएस के सर्वव्यापीकरण के लिए प्र्याप्त आबंटन किए जाएं जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों का ठीक प्रकार से इंफ्रासट्रक्चर भी शामिल हो; आंगनवाड़ी केंद्रों को आंगनवाड़ी–कम–क्रेच में बदला जाए।

◆ सुनिश्चित किया जाए कि सभी कामकाजी महिलाओं को उनकी संख्या के अनुसार उनके कार्यस्थलों पर क्रेच सुविधा उपलब्ध कराई जाए; छोटे बच्चों की माता महिला कर्मचारियों को बच्चों को खिलाने के लिए समय दिया जाए।

◆ सभी मजदूरों जिनमें सरकारी सेवाओं जैसे आइसीडीएस, एनआरएचएम, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि में कार्यरत महिला मजदूर भी शामिल हैं की कार्यस्थितियों में सुधार लाया जाए।

◆ सभी महिला मजदूरों को जिनमें असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूर, होम बेस्ड मजदूर और खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं को मातृत्व लाभ उपलब्ध कराया जाए।

◆रोजगार स्थलों पर यौन उत्पीड़न कानून तुरन्त लागू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता का उत्पीड़न ना हो।

◆महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति ना दी जाए; किसी भी क्षेत्र में रात्रि पाली में महिलाओं को काम की अनुमति देने से पूर्व ट्रेड यूनियनों से मशविरा किया जाए; रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं को मालिक द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि कार्यस्थल सुरक्षित हो और घर तक पहुचाने के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाए

◆पीएसयूज़ के विनिवेशीकरण पर रोक लगाई जाए।

कार्यभार

ऽ कामकाजी महिलाओं में सीआइटीयू के काम के बारे में और 2010 में इसे और आगे ले जाने के बारे में विचार हेतु राश्ट्रीय कार्यषाला आयोजित करने करने की पहलकदमी

ऽ उद्योगों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, सीआइटीयू से संबंधित यूनियनों में महिला उप समितियां गठित करने के प्रयत्न

ऽ राज्य स्तरीय तथा जिन जिलों में संभव हो जिला स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियों के गठन व उसे सक्रिय बनाने का प्रयत्न

ऽ महिला मजदूरों के विभिन्न भागों मुख्य रूप से आषा, मिड डे मील, होम बेस्ड इत्यादि मजदूरों को संगठित करने के प्रयास

ऽ कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं की पहचान व उनकी यूनियन में उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने के लिए उनका विकास जिसके लिए ट्रेड यूनियन कक्षाएं आयोजित करने की पहलकदमी

ऽ सीआइटीयू, इसकी संबद्धित यूनियनों में विभिन्न स्तरों पर निर्णायक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास

ऽ अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीआइटीयू) का तीस सालाना मनाने की समाप्ति के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में कामगार महिलाओं की साझा मांगों पर 10 अप्रैल को कामरेड विमल रणदिवे की साल गिरह के अवसर पर देष भर में प्रदर्शनों का आयोजन

ऽ सीआइटीयू के सभी प्रकाषनों को संजोकर कामकाजी महिलाओं पर एक बुकलेट निकाली जाए

सीटू से सिफारिशें

◆किसी सीटू राज्य स्तरीय पदाधिकारी को कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने की जिम्मेदारी सौंपे।

◆एक राज्य स्तरीय उप समिति का गठन करें ताकि कामकाजी महिलाओं के बीच काम का निरीक्षण हो सके; जहां भी समिति का गठन हो वहां संयोजिका को भी इस उप समिति में शामिल करें

◆सभी राज्यों एक वर्ष के भीतर ही कामकाजी महिलाओं की राज्य समन्वय समिति का गठन सुनिश्चित करें।

◆यह सुनिश्चित करें की सभी प्रमुख फैडरेशनें व सीटू की यूनियनें एक वर्ष के भीतर महिला उप समितियों का गठन करके महिलाओं की सदस्यता पर ध्यान दें। सीटू केंद्र व राज्य कमेटियों को समितियों के गठन व उपसमितियों की कार्यप्रणालीक की देखरेख करनी होगी।

◆यह सुनिश्चित करें कि सीटू से संबद्धित यूनियनों के मांगपत्र में महिलाओं की प्रमुख मांगें शामिल हों, मुख्य रूप से उद्योगों में जहां महिलाओं की संख्या अधिक है।

◆उद्योगों में नेगोशिएटिंग टीम में महिलाओं नेताओं को अच्छी संख्या में रखना सुनिश्चित करें।

◆सीटू राज्य कमेटी बैठकों कम से कम वर्ष में एक बार में कामकाजी महिलाओं की बीच काम को प्रमुख मुद्दे के रूप में विचार करें;कामकाजी महिलाओं में हमारे काम को बढ़ाने के लिए दो सम्मेलनों के बीच की अवधि में एक राष्ट्रीय मध्यावधि समीक्षा हो।

◆राज्य केंद्र में एक पूर्ण कालिक कार्यकर्ता रखें, जहां तक हो महिला कार्यकर्ता ताकि कामकाजी महिलाओं के बीच काम को बढ़ाया जा सके।

◆सीटू व इसकी सभी स्तरीय यूनियनों के निर्णायक निकायों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाएं।

◆कामकाजी महिला समन्वय समितियों की कार्यप्रणाली को चलाने के लिए सभी खर्चों को संबंधित सीटू या यूनियनों से भुगतान सुनिश्चित करें, जिसमें कामकाजी महिला समन्वय समितियां के सदस्यों व महिला उप समितियों के यातायात व्यय भी शामिल हैं।

◆आम ट्रेड यूनियन कक्षाओं में महिलाओं के मुद्दे भी नियमितता से शामिल करें।

◆ हिन्दी भाषी राज्यों के कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए केंद्रिय ट्रेड यूनियन कक्षाएं भी आयोजित करें।

◆ सभी राज्यों में आशा व मिड डे मील वर्कर्स को संगठित करें।

◆ सीटू राज्य कमेटियों द्वारा कामकाजी महिलाओं की मांगों पर व्यापक अभियान चलाया जाए जिसका समापन अप्रैल माह में महिलाओं व पुरूषों दोनों की ही विशाल लामबंदी कर किया जाए ताकि अखिल भारतीय काकमकाजी महिला समन्वय समिति के तीस वर्ष पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके।

मैं आप सब प्रतिनिधियों से अनुरोध करती हूं कि इस रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कामकाजी महिलाओं में सीटू के काम बढ़ाने के लिए अपने कीमती सुझाव दें।

हेमलता
कन्वीनर

प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल में माओवादी–तृणमूल हमलों के खिलाफ

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल में वाम पक्षी ताकतों पर घिनावने हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। इस अवधि में माओवादियों – तृणमूल कांग्रेस के गुण्डों द्वारा वाम पक्षी दलों के सैंकड़ों हमदर्दों की हत्याएं की जा चुकी हैं। वे लोग विशेष तौर पर सीपीआइ (एम) तथा सीआइटीयू को अपने हमलों का निशाना बना रहे हैं; इन हमलों में मरने वाले साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।

यूनियनों के सैंकड़ों कार्यालयों को जला दिया गया है या लूट लिया गया है। वाम पक्षी दलों तथा श्रमिक संघों के हजारों कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ कर भाग जाने और राहत शिविरों में पनाह लेने के लिए मजबूर किया गया है। माओवादी गांवों में आतंक का साम्राज्य चला रहे हैं और वे हत्याएं एवं लूट मार करके आदिवासियों को भयभीत कर रहे हैं, वे उनसे जबरदस्ती जुर्माने वसूल करते हैं, उनसे छीना झपटी करते हैं और निर्दोश पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों किसी का लिहाज वे नहीं कर रहे हैं। इस तरह के हमले हमारे देश के जनतंत्र के लिए भी खतरा बन गए हैं।

ये कायराना हमले एक सुनियोजित योजना का हिस्सा हैं जिसे सत्ताधारी वर्गो की ओर से चलाया जा रहा है क्योंकि ये वर्ग देश की आर्थिक नीतियों को दक्षिणपंथी दिशा देना चाहते हैं और देश को अमरीकी साम्राज्यवाद का कनिष्ठ सहयोगी बना देना चाहते हैं। वाम पक्षी ताकतों विशेष तौर पर सीपीआइ (एम) को इस लिए हमलों का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे अमरीकी साम्राज्यवाद के आगे समर्पण करके देष के हितों को कुर्बान किए जाने की कोशिशों के खिलाफ जोरदार आवाज उठाते हैं; मजबूत वाम पक्ष नव–उदारवादी सुधारों को पूरी तरह लागू किए जाने की राह का रोड़ा है।

वाम पक्षी ताकतों पर होने वाले ये हमले दरअसल मजदूर वर्ग पर ही हमले हैं। उन पर केवल शारीरिक हमले ही नहीं किए जा रहे बल्कि सत्ताध

ारी वर्गों और मीडिया की एक श्रेणी की ओर से वाम पक्ष पर विचारधारक मोर्चे पर भी धावा बोल दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वाम पक्ष को विशेष तौर पर निषाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह श्रमिक आंदोलन और वाम पक्षी ताकतों का सबसे मजबूत गढ़ है। उनमें यह भ्रम बना हुआ है कि वाम पक्षी ताकतों पर भूमण्डलीयकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के प्रति मजदूर वर्ग के प्रतिरोध को कमजोर बनाया जा सकेगा; इसी लिए मजदूरों की ओर से कठोर संघर्ष करके हासिल किए गए अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं; वे समझते हैं कि इस तरह हमले करके देश में वाम पक्ष को कमजोर करके हाषिए पर धकेला जा सकेगा।

पश्चिम बंगाल के मजदूर वर्ग ने सीआइटीयू के नेतृत्व में पूरे साहस के साथ इन हमलों का सामना किया है। किन्तु यह जंग केवल और अकेले पश्चिम बंगाल के साथियों द्वारा लड़ी जाने वाली जंग नहीं है। पूरे देश के मजदूर वर्ग को देश के श्रमिक आंदोलन की रक्षा करने के लिए अपनी चट्टानी एकता का सबूत देना होगा।

सीआइटीयू का महाधिवेशन देश के मजदूर वर्ग को आह्वान करता है कि वह माओवादियों–तृणमूल कांग्रेस के हमलों के खिलाफ सीआइटीयू तथा भ्रातृ संगठनों की ओर से की जा रही एकजुटता कार्रवाईयों में भारी से भारी संख्या में भाग लें।

ट्रेड यूनियन एकता पर

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा औद्योगिक महासंघों के संयुक्त आह्वान पर 5 मार्च 2010 को देशव्यापी सत्याग्रह/जेल भरो कार्यक्रम के लिए जोरदार प्रत्युत्तर देने के लिए देश के मजदूर वर्ग को बध ाई देता है। यह संयुक्त आह्वान नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के दुश्परिणामों के खिलाफ पांच सूत्रीय मांगों के लिए किया गया था। इन मांगों पर दस लाख से अधिक मजदूरों ने देश भर में संयुक्त आंदोलन में सक्रिय रूप से शमुलियत की है। इस तरह उसने देश की सत्ताधारी श्रेणी को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मेहनतकश जनता की उचित चिंताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती और मजदूर आंदोलन ने ठान रखा है कि उसकी जन विरोधी तथा

मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों का मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। वर्ष 1991 से अपनाई गई इन नीतियों का लाभ समाज के मुट्ठी भर लोगों जिनमें बड़े कारपोरेट घराने और व्यापारी भी शामिल हैं, को हुआ है। उन्हें यह लाभ मजदूरों, खेतिहर श्रमिकों, किसानों तथा बेरोजगार युवाओं जो देश की जनता की विशाल बहुसंख्या बनते हैं, की कीमत पर पहुंचाया जा रहा है।

वैश्विक आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में मजदूर वर्ग पर हमले और तीखे हो गए हैं। भूमण्डलीयकरण तथा बाजार अर्थव्यवस्था की नीतियों के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने के लिए सभी सांगठनिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ कर मजदूर वर्ग में एकजुट होने की चाह बलवती हो गई है। इसी के चलते अभूतपूर्व महंगाई, श्रम कानूनों के घोर उल्लंघन, श्रम शक्ति के ठेकाकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के लाभ पर चलने वाली इकाईयों के शेयरों के विनिवेश के खिलाफ और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सभी जगह लागू होने वाली सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करने की मांग के लिए पिछले साल सितम्बर में सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से ऐतिहासिक ट्रेड यूनियन एकता कायम हुई थी।

सम्मेलन बड़ी शिद्दत से महसूस करता है कि मजदूर वर्ग पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए मजदूर आंदोलन के लिए पूरी दृढ़ता, मजबूती और पूरी तरह एकजुट होकर जोरदार पहलकदमियां करना जरूरी हो गया है। श्रमिक संघों के संयुक्त संघर्षों के माध्यम से विकसित हुई मजदूर वर्ग की एकता को मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे नव–उदारवादी हमलों की चुनौतियों का सामना करने के लिए और व्यापक एवं तीव्र बनाने की जरूरत है। सम्मेलन आह्वान करता है कि सभी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर केन्द्रीय श्रमिक संगठनों में बनी इस एकता को तृणमूल स्तर पर सभी संयुक्त लामबंदियों में रूपांतरित किया जाना चाहिए और श्रम शक्ति की उस विशाल संख्या को भी लामबंद किया जाना चाहिए जो अभी तक श्रमिक आंदोलन का भाग नहीं बनी है।

सम्मेलन सभी श्रमिक संघों विशेष तौर पर सीआइटीयू यूनियनों का आह्वान करता है कि वे अपनी–अपनी सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर कामकाजी स्थलों में सभी मजदूरों की एकता को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए काम करें और आने वाले दिनों में सरकार की नीतियों को पलटने के लिए संयुक्त संघर्षों को और आगे बढ़ाएं तथा तीखा करें।

सम्मेलन सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों से अनुरोध करता है कि वे वर्तमान में चल रहे आंदोलन को और तेज करने और व्यापक बनाने और लगातार चलने वाले आक्रमक संघर्षों के लिए मजदूर वर्ग को लामबंद करने के लिए कार्रवाई के आगामी कार्यक्रम बनाने का फैसला करें। यह संघर्ष उस समय तक चलता रहेगा जब तक सत्ताधारी वर्ग को उसकी अमीर समर्थक तथा मजदूर विरोधी नीतियों को पलटने के लिए मजबूर नहीं कर दिया जाता।

मूल्यों में बढ़ोतरी

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन दैनिक उपयोग की सभी अनिवार्य उपभोक्त वस्तुओं विशेष तौर पर खाद्य पदार्थों के मूल्यों में तीखी वृद्धि होने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। मूल्य वृद्धि के साथ–साथ बेरोजगारी, अर्ध रोजगारी तथा गरीबी भी बढ़ती चली जा रही है। इसके चलते पहले जो थोड़ी बहुत खाद्य सुरक्षा देश की बहुसंख्य जनता को हासिल थी, वह भी खतरे में पड़ गई है।

बढ़ती महंगाई देश में कुपोषण विशेष तौर पर बच्चों तथा महिलाओं के बीच, की स्थिति को बद से बदतर बना देगी। भूखों मरने वालों और कुपोषित लोगों की विश्व में सबसे अधिक संख्या भारत में हैं और इस मामले में हमारा देश काफी "नाम" कमा चुका है; विश्व के भूख सूचकांक में 88 देशों की सूची में भारत का 66 वां स्थान है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त करने, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के वादा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से इन्कार किए जाने इत्यादि भारत सरकार की नीतियों के चलते जरूरी वस्तुओं के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है।

बढ़ते मूल्यों को लगाम लगाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का दायरा बढ़ाने की मांग के हक में श्रमिक संगठनों की ओर से देशव्यापी संयुक्त संघर्ष चलाए जाने पर भी यूपीए सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर असंवेदनशील बनी हुई है जिसका प्रमाण उसकी बजट घोषणाओं से मिल जाता है जब उसकी ओर से उर्वरकों, पेट्रोल, डीजल तथा कोयले के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई।

सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन यूपीए सरकार से मांग करता है कि बढ़ते दामों पर रोक लगाने और लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अधोलिखित कदम तत्काल उठाए जाएं –

- पेट्रोल, डीजल, उर्वरकों और कोयले के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस लो।
- अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के सभी प्रकार के वादा व्यापार पर पाबंदी लगाओ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी जगह लागू करो; बीपीएल तथा एपीएल में मनमाने तौर पर किए गए गरीबी के विभाजन को समाप्त करो।
- गल्ला खोरी खत्म हो, इसे यकीनी बनाओ और गल्ला खोरों तथा काला बाजारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करो।

कृषि संकट और मजदूर–किसान एकता पर

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन कृषि क्षेत्र के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करता है।

इस क्षेत्र को हाल ही के वर्षों में धक्के लगे हैं। नौंवी योजना अवधि में केवल 2 प्रतिशत तथा दसवीं योजना अवधि में 2.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को देखने से इन धक्कों की अनुभूति हो जाती है जबकि इसका लक्ष्य 4 प्रतिशत वार्षिक निश्चित किया गया था। पिछले चार वर्षों में आनुपातिक आर्थिक वृद्धि दर 7.5 तथा 9 प्रतिशत के बीच रही है किन्तु इस अवधि में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर मात्र 2 प्रतिशत रही। पिछले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार वर्श 2009–10 में कृषि उत्पादन में 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इस संकट के बावजूद यूरिया के दामों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी करने और एनबीसी (न्यूट्रिएंट बेसड सब्सिडी) लागू होने के बाद फासफेटिक एवं पोटासिक खादों के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने की अनुमति दी है जिससे मैन्युफैक्चरर्स तथा आयातकों को इन खादों के अधिकतम खुदरा मूल्यों का निर्धारण करने का विशेष अधिकार मिल जाएगा। सम्मेलन केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के इन फैसलों की तीखी निंदा करता है।

सम्मेलन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि खाद्यान्नों का व्यापक स्तर पर आयात होने से हाल ही में खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है। सिंचाई के अन्तर्गत खेती योग्य भूमि में बढ़ोतरी की सीमित सम्भावनाओं को देखते हुए पानी के बेहतर प्रबंधन, सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने, कृषि कार्यों एवं प्रणालियों में सुधार लाने, कृषि के काम आने वाली चीजों जैसे खाद तथा बीज इत्यादि के वैज्ञानिक उपयोग के क्षेत्र में शोध कार्य तथा विकास होने, तथा खादों के और अधिक एवं संतुलित उपयोग से ही खाद्यान्नों के उत्पादन में और बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

बहुराष्ट्रीय निगम बीजों पर अपना नियंत्रण लगातार बनाए हुए हैं और कोई कानून उन पर लागू नहीं होता। सभी भावी बीज खतरे में पड़ चुके हैं और भारतीय कृषि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इन दैत्यों के नियंत्रण में आ चुकी है जो भारतीय किसानों से अतिशय मूल्यों की वसूली करते हैं। महाधिवेशन इस पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। सीआइटीयू किसानों के हितों की समुचित रक्षा करने के लिए बायोटैक्नालोजी रैगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने सम्बन्धी अखिल भारतीय किसान सभा की मांग का समर्थन करता है।

सम्मेलन गहरी चिंता के साथ रेखांकित करता है कि खेती के सभी पहलुओं जो पहले किसानों के नियंत्रण में होते थे, पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने सीधे तौर पर या सरकार के माध्यम से कब्जा कर लिया है। बीज, उर्वरक, पानी तथा सिंचाई (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पानी का निजीकरण करने के लिए कानून बना रहे हैं), बिजली, ऋण, खुदरा बिक्री इत्यादि इसकी कुछेक उदाहरणें हैं जिनके चलते मुजारा किसानों के लिए भारी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।

यह सम्मेलन फिर दोहराता है कि ग्रामीण भारत में अत्यंत अमानुषिक, असमान भूमि सम्बन्ध उन सभी आर्थिक बीमारियों जिनका सामना देश को करना पड़ रहा है, का एक प्रमुख कारण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जबरदस्त पिछड़ेंपन के लिए सामंत्री भूमि सम्बन्धों का बर्चस्व जिम्मेदार है और यह स्थिति साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा संकीर्ण प्रांतीयता जैसे पिछड़े सामाजिक विचारों को पैदा करती है और समग्र रूप में पूरे समाज पर इसका घातक दुष्प्रभाव पड़ता है।

यह सम्मेलन अपना यह दृढ़ विचार व्यक्त करता है कि मौजूदा स्थितियों में मजदूर आंदोलन उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक शोषण तथा सामंतवाद के खिलाफ किसानों के संघर्ष के साथ इसे जोड़ा नहीं जाता।

महाधिवेशन मजदूर वर्ग को किसानों तथा खेतिहर श्रमिकों के संघर्ष के साथ सक्रिम एकजुटता कार्रवाईयों के लिए गम्भीर कदम उठाने का आह्वान करता है। उल्लेखनीय है कि देश के किसान तथा खेतिहर श्रमिक बेहतर जल प्रबंधन, सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने, खेती कार्यों में सुधार लाने, खेती के काम आने वाली चीजों तथा बीजों के वैज्ञानिक उपयोग में विकास एवं शोध, जैव–उर्वरकों सहित उर्वरकों के और गहन तथा संतुलित उपयोग, उर्वरकों की सभी किस्मों के मूल्यों पर नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र की बंद पड़ी उर्वरक इकाईयों का पुनरुद्धार करने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता जैसी मांगों के लिए संघर्ष चलाने के साथ–साथ किसानों तथा देश की खाद्य सुरक्षा के लिए घातक सरकार की कार्रवाईयों अथवा लगातार जारी उसकी अकर्मणयता के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं।

क्यूबाई क्रांति की पचासवीं वर्षगांठ पर

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन देश के मजदूरों को क्यूबाई क्रांति की पचासवीं वर्षगांठ मनाने और समाजवाद की प्रगति के लिए संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान करता है।

क्यूबाई क्रांति ने निर्बाध रूप से पचास वर्ष पूरे किए हैं। इस तरह उसने द्वीप राष्ट्र में समाजवाद की प्रगति और पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिरोध के इतिहास का सृजन किया है। यह महाधिवेशन क्रांति का नेतृत्व करने और क्यूबा में समाजवाद का निर्माण करने के लिए भी कामरेड फीदेल कास्त्रों का गर्म जोशी से अभिनन्दन करता है। इस तरह वह साम्राज्यवादी आक्रमकता के खिलाफ सबसे अधिक जोरदार एवं उल्लेखनीय आवाज बन गए हैं। आर्थिक नाकाबंदी तथा क्यूबाई क्रांति की उपलब्धियों को बर्बाद करने के लिए लगातार चल रहे षडयंत्रों से घिरे क्यूबा ने कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुद अपना माडल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। लातिनी अमरीका के दूसरे देशों जो अमरीकी साम्राज्यवाद के क्रूर पंजों से बाहर निकल रहे हैं, के लिए क्यूबा की ये उपलब्धियां प्रकाश स्तम्भ बन गई हैं।

पूर्वी युरोप के देशों से सहायता बंद हो जाने और ऊपर से अमरीका द्वारा थोपे गए आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद क्यूबा ने एक नए तरीके से (अभिनव) अपनी कृषि का विकास किया है। वहां अब परम्परागत कृषि का अर्ध यांत्रिक

एवं सुव्यवस्थित कृषि के रूप में रूपांतरण किया जा रहा है और इसके साथ ही छोटे किसानों की छोटी सहकारिताओं को तोड़ा जा रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा कृषि रूपांतरण है। इस तरह वह 1993 में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में आई जबरदस्त गिरावट से उभर रहा है और अब स्थायी (अथवा धारणीय) खाद्यान्न उत्पादन की व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया है।

क्यूबा में स्वास्थ्य के देखभाल की व्यवस्था लोक ख्यात हो चुकी है। इस तरह वह शोचनीय स्वास्थ्य व्यवस्था से बाहर निकल आया है। यही है उसकी सफलता की कहानी। उसने मातृ एवं बच्चों की देखभाल की व्यवस्था और दीर्घकालिक संक्रामक रोगों की रोकथाम के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। डाक्टरी निरीक्षण एवं इलाज के अलावा महिलाओं को बच्चे के जन्म तथा उसके बाद की अवधि में उदारता से अवकाश प्रदान किया जाता है। सरकार की ओर से डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में एक हजार से अधिक चिकित्सकीय स्नातक आ रहे हैं। इसके अलावा अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी मानव शक्ति की जरूरत को पूरा करने के अलावा क्यूबा 18 देशों की सहायता के लिए उनके यहां डाक्टर भेजता है।

कारोबारी सुरक्षा एवं संरक्षा तथा स्वास्थ्य को भी उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है। कारोबारी स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुविधाओं को स्वास्थ्य की सामान्य देखभाल की व्यवस्था के साथ समेकित किया जा रहा है, उसके लिए फिजीशियनों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जो स्वास्थ्य केन्द्रों में निरीक्षण का काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत काबोबारी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मानक बनाए गए हैं और एक राष्ट्रीय संस्थान कारोबारी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्यावरणीय खतरों पर शोध कार्य चलाता है।

लातिनी अमरीका के दूसरे देश जो कई दशकों तक साम्राज्यवाद के क्रूर पंजों में जकड़े रहे थे और अब उससे बाहर निकल चुके हैं, क्यूबा के माडल से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वे भूमि सुधारों, खेती के विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल की कार्य सूची पर काम कर रहे हैं और उसका विकास कर रहे हैं। इस लिए स्पष्ट है कि क्यूबा अब भी साम्राज्यवादी हमले का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। अमरीका सरकार ने विद्रोह का मुकाबला करने के नाम पर क्यूबा के पांच नागरिकों को आजीवन कैद की सजा दी है। उसने यह कदम संयुक्त राष्ट्र कामकाजी दल की ओर से मनमानी नजरबंदी के खिलाफ

जारी किए गए स्पष्ट घोषणा पत्र के बावजूद उठाया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अमरीकी सरकार ने पांच क्यूबाई नागरिकों को बंदी बना कर और उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड देकर नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अमरीका के इस कदम के विरुद्ध आवाज उठाने वाले देशों की संख्या बढ़ने के बावजूद क्यूबा के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों को जारी रखा है और दूसरे देशों से सामान लाने व ले जाने पर रोक लगा रहा है। पिछला रिकार्ड दर्शाता है कि क्यूबा के खिलाफ 1991 से लेकर 2004 तक की अवधि में 38 विध्वंसक एवं विद्रोह की साजिशें रची गईं जिनमें अमरीका के सरकारी अधिकारियों की सीधी भागीदारी थी। उसने अनेक दुर्दांत अपराधियों को अपने यहां रखा है ताकि किसी भी समय क्यूबा के खिलाफ उनका उपयोग किया जा सके।

हाल ही में व्हाईट हाउस ने क्यूबा की यात्रा करने के चाहवान अमरीकी परिवारों पर वहां जाने और पर्यटन पर खर्च करने पर लगी पुरानी रोक समाप्त की है। अभी यह देखा जाना बाकी है कि क्या अमरीकी सरकार क्यूबा के साथ सम्बन्ध तनाव मुक्त बनाने की दिशा में काम करेगी? इस मामले में विश्व जन मत पर और जोर दिए जाने की जरूरत है।

महाधिवेशन भारत के श्रमिक वर्ग को समाजवाद की अतुलनीय प्रगति के लिए संघर्ष कर रहे क्यूबा के लोगों का पूरी दृढ़ता से समर्थन करने का आह्वान करता है। वह मांग करता है कि अमरीकी सरकार की ओर से बंदी बनाए गए क्यूबा के पांच नागरिकों को तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाए।

बेरोजगारी पर

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर गहरी चिंता एवं क्षोभ व्यक्त करता है। देश के लाखों–करोड़ों युवाओं से जुड़ी इस ज्वलंत समस्या को सुलझाने में एक के बाद एक केन्द्र में सत्तारूढ़ होने वाली सरकारों की विफलता जग जाहिर है जिसके चलते यह शोचनीय स्थिति पैदा हुई है।

जिस तरह सरकार ने हाल ही के बजट में नए रोजगार के सृजन और रोजगारों की रक्षा करने के प्रश्न अनदेखी की है उसकी महाधिवेशन निंदा करता है। इससे साफ हो जाता है कि मौजूदा सरकार सकल वृद्धि की उच्च

दर बनाए रखने की धुन में मग्न है, को रोजगार वृद्धि की कोई चिंता नहीं। वर्श 1991 से शुरू हुई नव–उदारवादी विकास की सत्ता की क्षमता केवल संगठित क्षेत्र में बहुत ही सीमिति रोजगार अवसर पैदा करने की है जबकि लोगों की विशाल बहुसंख्या को अनौपचारिक क्षेत्र में धकेला जा रहा है; उनमें से अनेक स्वः रोजगार जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं और इस तरह उनके सिरों पर असुरक्षा तथा और गरीब होने के खतरे की तलवार सदा लटकती रहती है।

वर्ष 2004–2005 तक उपलब्ध हुए आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र का रोजगार जो 1983 में कुल श्रम शक्ति का 5.4 प्रतिशत था वर्ष 2004 में कम होकर 3.9 प्रतिशत रह गया। संगठित निजी क्षेत्र में भी रोजगार सिकुड़ा है। वहां 1983 में कुल श्रम शक्ति का 2.5 प्रतिशत भाग काम करता था जो 2004–2005 में कम होकर 1.8 प्रतिशत रह गया। रोजगार की शुद्ध वृद्धि अनौपचारिक क्षेत्र में हुई है; जहां मजदूरों को रोजगार की सुरक्षा, आय की सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा हासिल नहीं है। श्रम शक्ति के बहुत बड़े भाग को केवल इसलिए ये रोजगार लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि गरिमापूर्ण काम पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं; नैगम घराने बेरोजगार श्रम शक्ति जो इस समय लगभग 16 करोड़ हैं, की इस शोचनीय स्थिति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इस तरह औपचारिक क्षेत्र का भी अनौपचारिकीकरण हो रहा है।

सम्मेलन बड़ी अप्रसन्नता के साथ उल्लेख करता है कि जहां प्रत्येक तीन मास बाद सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का आंकड़ा जारी किया जाता है वहीं रोजगार/बेरोजगारी का विश्वसनीय आंकड़ा केवल पांच वर्ष के बाद उपलब्ध होता है।

सम्मेलन मांग करता है कि रोजगार सृजन के काम को योजना प्रक्रिया के केन्द्र में लाया जाए और सरकार को सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के आंकड़े के साथ संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार/बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करने चाहिएं ताकि रोजगार सृजन के मामले में सरकार की कारगुजारी की समीक्षा की जा सके।

सम्मेलन यह मांग भी करता है कि सरकार को बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहिए और उच्चतर सार्वजनिक निवेश तथा श्रम सघनता वाले उद्योगों व संगठनों के जरिए युवाओं के लिए गरिमापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिएं। महाधिवेशन सरकार से मांग करता हैः

क) शहरी क्षेत्रों को रोजगार सृजन की योजनाओं के दायरे में लाया जाए।

ख) सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में रिक्त पदों पर नयी नियुक्तियां की जाएं।

ग) सभी नयी भर्तियों पर लगी रोक समाप्त की जाए।

सम्मेलन मजदूर वर्ग को "काम के अधिकार" की मांग के लिए पूरी सक्रियता से अभियान चलाने का आह्वान करता है जैसा कि भारत के संविधान के निदेशक सिद्धान्तों में इसका उल्लेख किया गया है।

फलिस्तीन की जनता के साथ एकजुटता पर

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन फलिस्तीन की जनता पर इस्त्राइल जिसे अमरीका की सहायता प्राप्त है, के हमलों में तेजी आने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है।

फलिस्तीन की धरती और लोगों पर इस्त्राइल का हमला उस समय शिखर पर पहुंच गया था जब 27 दिसम्बर 2008 को गाजा पट्टी में हमास पर धावा बोला गया ओर यह धावा 17 जनवरी 2009 तक चलता रहा था। यह हमला तीन सप्ताह तक चला जिसमें 1,300 फलिस्तीनी मारे गए और 5,000 घायल हुए। मारे जाने वालों में अधिकतर साधारण नागरिक थे जबकि घायलों में लगभग 1800 बच्चे तथा 800 महिलाएं भी शामिल थीं। इस हमले के दुष्परिणामस्वरूप गाजा पट्टी तबाह और बर्बाद हो गई। असंख्य स्कूल, अस्पताल तथा संयुक्त राष्ट्र के परिसर मलबे के ढेर में बदल गए थे। इस हमले के बाद मानवीय संकट को अपने भयानक रूप में देखा गया जहां दसियों हजारों लोग बेघरबार हो गए और सैंकड़ों लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल पा रहा था।

गाजा पट्टी की पूर्ण नाकाबंदी वर्ष 2007 के मध्य से ही शुरू हो गई थी जब हमास ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुछ मास बाद फलिस्तीनी जनता ने लोकतात्रिक चुनाव के माध्यम से हमास का चुनाव किया। किन्तु इस्त्राइल तथा पष्चिम के अधिकांश देशों ने हमास को एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि उग्रवादी/आतंकवादी संगठन माना।

इस्त्राइली नाकाबंदी के लिए जो प्रयास किए गए वे बेहद कठोर थे। मानवीय आधार को भी गाजा में माना नहीं गया क्योंकि वहां 2007 से हमास

ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इस आर्थिक नाकाबंदी में गाजा शहर को सीमित मात्रा में ईंधन की आपूर्ति की गई और कई बार तो उसे अपने ऊर्जा संयंत्र तक बंद करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा जिनसे गाजा शहर को बिजली की आपूर्ति होती है।

यह सम्मेलन उपरोक्त संदर्भ मे। यूपीए सरकार से मांग करता है कि वह इस्त्राइल सरकार के साथ अपने बढ़ते रक्षा सम्बन्धों को रोके। उसने इस्त्राइल के साथ अब तक के सबसे बड़ा 2 अरब का रक्षा समझौता किया है। इसी प्रकार इसरो की ओर से एक उपग्रह विकसित किया गया है जिसका उपयोग ईरान की निगरानी के लिए किया जा रहा है।

यह सम्मेलन फलिस्तीन की बहादुर जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करता है और भारत सरकार से इस्त्राइल सरकार के साथ अपने रक्षा समझौते को खत्म करने की मांग करता है जिसमें अमरीकी साम्राज्यवाद के निदेशों पर रक्षा सामग्री की खरीद भी शामिल है। महाधिवेशन मांग करता है कि फलिस्तीन की जनता के साथ परम्परागत सम्बन्धों के आलोक मे फलिस्तीनी जनता का पूरी सक्रियता से समर्थन किया जाए।

प्रवासी श्रमिकों पर

चण्डीगढ़, पंजाब में 17–21 मार्च, 2010 को आयोजित सीआइटीयू का तेरहवां सम्मेलन प्रवासी मजदूरों की शोचनीय स्थिति और उनकी समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। उनकी बहुत सी समस्याएं प्रवासी श्रम के दुरुपयोग के साथ जुड़ी हुई हैं।

प्रवास अथवा श्रमिकों का रोजगार की खातिर घर बार छोड़ कर दूसरे राज्यों में चले जाना एक सामाजिक घटना क्रम है और इसकी जड़ें पूंजीवाद व्यवस्था के भीतर हैं। भारत और विश्व भर में लाखों कामगार नए–नए रोजगारों की तलाश मे अपने घर तथा अपने परिवार छोड़ कर चले जाने के लिए मजबूर होते हैं ताकि वे अच्छे वेतन और बेहतर जीवन हासिल कर सकें। लाखों मजदूरों की पृष्ठभूमि ग्रामीण एवं खेतिहर परिवारों की होती है और वे दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं। उनके रोजगार की प्रकृति नैमित्तिक अथवा मौसमी होती है। वे निर्माण मजदूरों के रूप में काम करते हैं; फसलों की कटाई करते हैं; सिरों पर बोझा ढोते हैं; हीरों की कटाई एवं तराशने के कारोबार में काम करते हैं; स्थानीय परिवहन में काम करते हैं; दर्जी का काम

करते हैं; कालीन, पटाखा उद्योग में काम करते हैं तथा दूसरे कई तरह के काम करते हैं।

एक अधिनियम *"अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का नियमन तथा सेवा की स्थितियां) अधिनियम 1979"* अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कई प्रावधान हैं अर्थात् प्रवासी मजदूरों को काम पर रखने वाले सभी प्रधान सेवा योजकों/ठेकेदारों का पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने, पास बुक देने, न्यूनतम वेतनों का भुगतान करने, समान वेतनों का भुगतान करने, यात्रा भत्ते का भुगतान करने, विस्थापन भत्ते का भुगतान करने, निशुल्क डाक्टरी सुविधाएं और संरक्षणकारी कपड़ों की उपलब्धता इत्यादि के प्रावधान किए गए हैं। दुर्भाग्यवश प्रवासी मजदूरों को इनमें से कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। यह अधिनियम केवल कागजों में बना हुआ है क्योंकि केन्द्र तथा अनेक राज्य सरकारों को इस लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देतीं।

आधिकारिक अनुमानों से पता चलता है कि एक करोड़ से अधिक भारतीय 133 देशों में काम करते हैं; वे वहां विभिन्न उद्योगों तथा सेवा क्षेत्रों में लगे हुए हैं। उन प्रवासी मजदूरों को वे वेतन, सामाजिक सुरक्षा के लाभ, समुचित कामकाजी स्थितियां, रहने के लिए स्थान, डाक्टरी सुविधाएं इत्यादि प्रदान नहीं की जातीं जिनके लिए उन्हें आश्वासन दिया गया होता हैं। अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए *उत्प्रवासन अधिनियम, 1983* में तत्काल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

सम्मेलन मांग करता है कि सरकार मूक दर्शक बन कर प्रवासी मजदूरों द्वारा झेले जा रहे कष्टों को देखने की बजाए उनकी पूरी जिम्मेदारी ले और प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। महाधिवेशन यह मांग भी करता है कि प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाए गए अधिनियमों के समुचित कार्यान्वयन पर नजर रखी जाए। सम्मेलन देश भर के मजदूर वर्ग को आह्वान करता है कि वे देश के भीतर तथा देश के बाहर प्रवासी मजदूरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं।

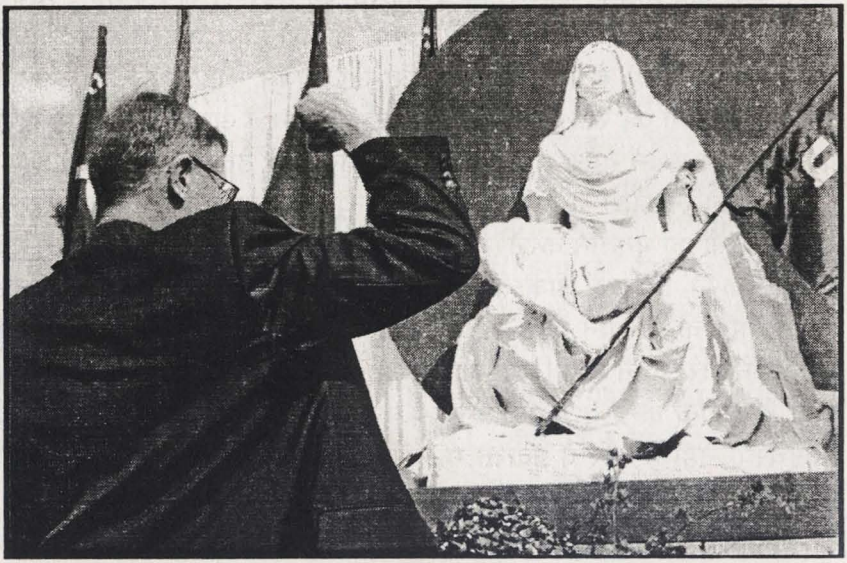

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमण्डल

सीआइटीयू महाधिवेशन में 16 देशों के साथ–साथ श्रमिक संघों के विश्व महासंघ (डब्ल्यूएफटीयू) तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इन देशों में ब्राजील, पुर्तगाल, जापान, इटली, सीरिया, मिश्र, नेपाल, फ्रांस, चीन, बंगला देश, अमरीका, वियतनाम, ईरान, साइप्रस इत्यादि देश शामिल थे। सभी विदेशी प्रतिनिधियों का परिचय प्रारम्भिक सत्र में कराया गया। डब्ल्यूएफटीयू के महासचिव जार्ज मावरिकोस तथा आइएलओ के नयी दिल्ली कार्यालय के निदेशक आंद्रे बोगुई ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। इन विदेशी प्रतिनिधियों ने 19 मार्च को "मजदूरों पर भूमण्डलीयकरण के प्रभाव" विषय पर आयोजित संगोष्ठि में भाग लिया। इसका आयोजन पंजाब विश्वविद्यालय में किया गया था। संगोष्ठि को सम्बोधित करते समय इन प्रतिनिधियों ने बताया कि किस तरह उनके देशों की सरकारें संकट का बोझ मजदूरों पर डाल रही हैं। इस अवसर पर परस्पर विचारों का आदान प्रदान भी हुआ और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होती रही। 21 मार्च को सीआइटीयू केन्द्रीय सचिव मण्डल के नव निर्वाचित सदस्यों के साथ अलग से बैठक की व्यवस्था की गई थी। सीआइटीयू के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रभारी सचिव कामरेड स्वदेश देवराय ने नव–निर्वाचित अध्यक्ष तथा महासचिव का परिचय विदेशी प्रतिनिधियों से कराया। इन प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते समय कामरेड एम के पन्धे ने बताया कि किस तरह सीआइटीयू ने अनेक देशों में सक्रिय श्रमिक संगठनों के साथ अपने सम्बन्धों को बनाए रखा है और वह अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन में अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने महाधिवेशन में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी प्रतिनिधियों को दी। इस अवसर पर नव निर्वाचित अध्यक्ष कामरेड ए के पद्मनाभन तथा नव निर्वाचित महासचिव कामरेड तपन सेन ने भी प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया।

विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने–अपने सम्बोधनों में महाधिवेशन के सफल आयोजन तथा भावी संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लिए गए ठोस निर्णयों के लिए सीआइटीयू की सराहना की। उन्होंने अपने–अपने देशों में चलाए जा रहे ट्रेड यूनियन संघर्षों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में सीआइटीयू के नेतश्त्व में किए जा रहे संघर्षों के लिए उसके साथ एकजुटता व्यक्त की।

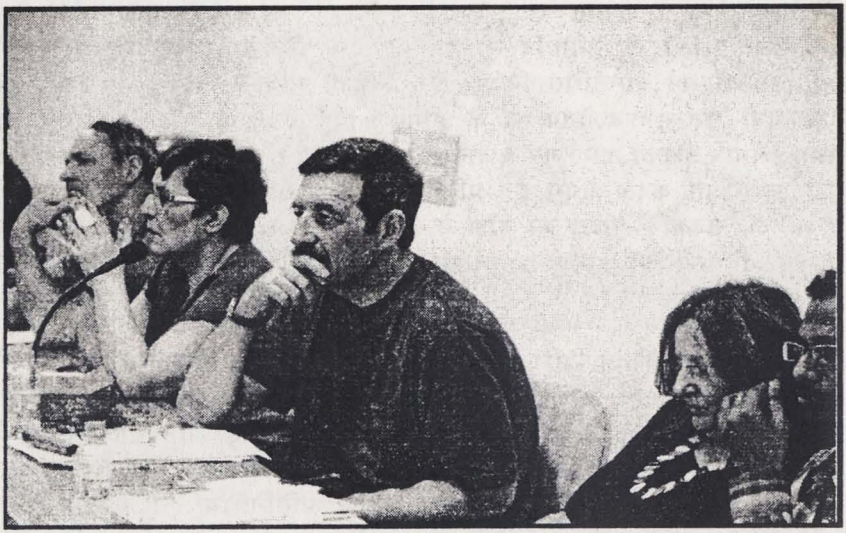

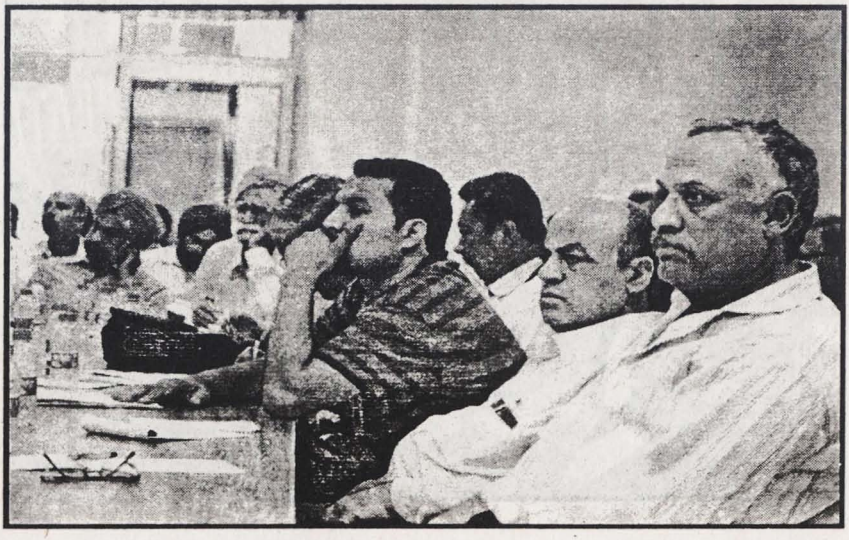

OTI BASU NAGAR

AGAR
COM. CHITTABRATA
2010

क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट

महाधिवेशन में 2410 प्रतिनिधियों जिनमें 2053 पुरुष तथा 357 महिलाएं थीं, और 13 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 16 देशों से आए 32 विदेशी प्रतिनिधियों तथा आइएलओ के 2 प्रतिनिधियों ने भी सीआइटीयू के तेरहवें महाधिवेशन में भाग लिया।

592 प्रतिनिधियों ने पहली बार सीआइटीयू के अखिल भारतीय महाधिवेशन में भाग लिया था जबकि 55 प्रतिनिधियों पिछले सभी 12 महाधिवेशनों में भाग लिया। पश्चिम बंगाल के अस्सी वर्षीय आनंद पाठक तथा राजदेव गवाला सबसे अधिक 7 वर्ष भूमिगत रह कर काम किया है।

अधिकांश प्रतिनिधि शिक्षित थे। सबसे अधिक 688 +2 तक पढ़े थे जबकि 662 ने छटी से दसवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की थी। 611 प्रतिनिधि स्नातक अथवा ग्रेजुएट तथा 184 पोस्ट ग्रेजुएट थे। 117 प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक डिगरी/डिप्लोमा हासिल किया था। केवल 31 प्रतिनिधियों ने कोई औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की थी जबकि 110 प्रतिनिधि केवल पांचवी कक्षा तक पढ़े थे।

प्रतिनिधियों की सबसे अधिक संख्या 987 सीआइटीयू के पुरावक्ती कार्यकर्ताओं की थी। 293 प्रतिनिधि कारखाना मजदूर थे; 275 दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी थे; 186 स्वः रोजगार पर लगे मजदूर थे और 165 प्रतिनिधि सेवा निवश्त्त मजदूर एवं कर्मचारी थे। 36 प्रतिनिधियों नौकरी से निकाला जा चुका था या छंटनी का शिकार हो चुके थे।

पुरावक्ती कार्यकर्ताओं में से 25 सीआइटीयू के अखिल भारतीय केन्द्र में, 24 अखिल भारतीय महासंघों अथवा फैडरेशनों के केन्द्रों में, 217 राज्य केन्द्रों में और 746 जिला केन्द्रों में काम करते थे। इसी प्रकार 270 पुरावक्ती प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर काम करते थे और 333 यूनियन स्तरों पर काम करते थे।

इसी प्रकार 498 प्रतिनिधि वर्तमान में सार्वजनिक एवं सरकारी सेक्टर में काम करते थे जबकि 448 प्रतिनिधि निजी क्षेत्र में काम करते थे।

प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या उन कार्यकर्ताओं की थी जिन्होंने अपने ट्रेड यूनियन जीवन की शुरूआत की थी। 1002 प्रतिनिधि 1977 तथा 1990 के बीच जबकि 805 प्रतिनिधि 1991 के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन में

शामिल हुए थे। वर्ष 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पहले भी केवल 10 प्रतिनिधि ही ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम करते रहे थे। 274 प्रतिनिधि वर्ष 1947 के बाद अथवा सीआइटीयू की स्थापना होने से पहले से ट्रेड यूनियन आंदोलन में काम करते रहे थे जबकि 359 प्रतिनिधि 1970 एवं 1976 के बीच ट्रेड यूनियन आंदोलन में आए थे।

केवल 318 प्रतिनिधि सीआइटीयू के सामान्य सदस्य थे। दूसरे प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर कार्य समिति सदस्यों तथा पदाधिकारियों के रूप में अपने-अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। 30 अखिल भारतीय पदाधिकारी; 97 अखिल भारतीय कार्य समिति सदस्य; 208 अखिल भारतीय जनरल कौंसिल सदस्य थे। 176 राज्यों के पदाधिकारियों के रूप में काम कर रहे थे जबकि 345 राज्य समिति सदस्य थे। 331 प्रतिनिधि जिला समिति के पदाधिकारी थे और 527 जिला समितियों के सदस्य थे।

1363 प्रतिनिधि विभिन्न फैडरेशनों/यूनियनों के पदाधिकारी थे तथा 474 प्रतिनिधि अपनी-अपनी फैडरेशनों/यूनियनों की कार्य समितियों के सदस्य थे।

422 प्रतिनिधि ट्रेड यूनियन में काम करने के कारण प्रतिशोध की कार्रवाईयों का शिकार हो चुके थे; उनमें से 119 को बर्खास्त कर दिया गया था; 136 प्रतिनिधि निलम्बित हो चुके थे और 167 प्रतिनिधि दूसरी दण्डात्मक कार्रवाईयों का शिकार हो चुके थे।

18 राज्यों की 138 यूनियनों को महाधिवेशन के अवसर पर क्रेडेंशियल समिति की ओर से सम्बद्धता प्रदान की गई। उनकी कुल सदस्य संख्या 55050 है।

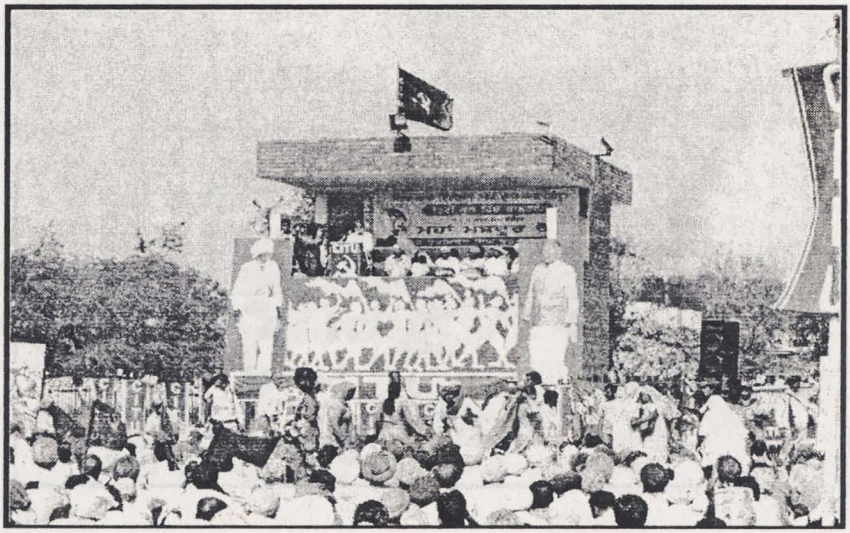

13ਵੀਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ

सीआइटीयू के नव निर्वाचित पदाधिकारी

अध्यक्ष – ए के पद्मनाभन
महासचिव – तपन सेन
कोषाध्यक्ष – रंजना निरूला

उपाध्यक्ष

01. एम के पन्धे
02. मोहम्मद अमीन
03. कनाई बनर्जी
04. टी के रंगराजन
05 के एन रवीन्द्रनाथ
06. पी के गुरूदासन
07. श्यामल चक्रवर्ती
08. आरती दासगुप्त (म)
09. के एल बजाज
10. वी जे के नायर
11. एस के बख्शी
12. मर्सिकुट्टी अम्मा (म)
13. एस वीरैय्या
14. बासुदेव आचार्य
15. सुकोमल सेन
16. एस पुण्यवती (म)

सचिव

01. जीवन राय
02. स्वदेश देवराय
03 काली घोष
04. के हेमलता (म)
05. दीपंकर मुखर्जी
06. एम एम लारेंस
07. आर सुधा भास्कर
08. ए सौंदाराजन
09. के ओ हबीब
10. देबेन भट्टाचार्य
11. रघुनाथ सिंह
12. के के दिवाकरन
13. माणिक डे
14. कश्मीर सिंह ठाकुर
15. एस वरलक्ष्मी (म)
16. मालथी चित्तीबाबू (म)

जनरल कौंसिल और कार्य समिति के नव–निर्वाचित सदस्य

(कार्य समिति सदस्य–*)

आंध्र प्रदेश

01. पी रोजा (म)*
02 एम साईबाबू*
03. एन रामाराव*
04. आर लक्ष्मय्या*
05. ए अजय शमा*
06. डी वी कृष्णा*
07. एस नरसिम्हा रेड्डी*
08. बेबी रानी (म)*
09. कोटाम राजू*
10. बी भिकाश मय्या*
11. उमा माहेश्वर राव
12. पी राजा राव
13. ललिथम्मा (म)
14. ए वी नागेश्वर राव
15. भूपाल
16. पी भास्कर
17. पी अजेय कुमार
18. टी वीरा रेड्डी
19- गड्डाम रमेश
20. जे. वेंकटेश
21. जे. मलिकार्जुन राव
22. रामाजनेयेलु
23- सीएच बाबूराव
24. कल्याणम वेंकटेशवरालू
25. सेशु बाबजी
26. सुबामा (म)
27. सुलोचना (म)
28. पद्मासरी (म)
29. इमतियाज
30. डी धनलक्ष्मी (म)
31. आर वेंकटेश्वरालू
32. पी मणि (म)
33. सुपराजा (म)
34. एस रामा (म)
35. जी ज्योथि (म)
36. बाद में भरा जाएगा

असम

01. अशीत दत्ता*
02. तपन सरमा*
03. प्रकाश राजखोवा
04. मामूनी दत्ता (म)
05. नागेन चुटिया
06. दिनेश नायक

बिहार

01. अरुण कुमार मिश्र*
02. गणेश शंकर सिंह

छत्तीसगढ

01 बी सान्याल

दिल्ली

01. मोहन लाल*
02. सुधीर कुमार
03. के एम तिवारी

गुजरात

01 सुबोध महता

हिमाचल प्रदेश

01. जगत राम*
02. रविन्द्र कुमार
03. सरोज शर्मा

हरियाणा

01. सुरेन्द्र सिंह*
02. विनोद कुमार*
03 बी एस दाहिया
04. जय भगवान
05. सतबीर सिंह

झारखण्ड

01. डी डी रामानन्दन*
02. सुधीर कुमार दास*
03. मिहिर चौधरी
04. मिथिलेश सिंह
05 बी डी प्रसाद
06. बी के एल दास
07. मंजू मुण्डा (म)
08. आर पी सिंह
09. ए के राय

केरल

01. के एम सुधाकरन*
02. ए नाजीमुनीसा (म)*
03. आंनत्तलवत्तोम आनंदन*
04. एस एस पोटी*
05. एन पद्मलोचनन*
06. वी वी शशीन्द्रन*
07. के के चेल्लाप्पन*
08. वी एस मणि*
09. वी एस भास्करन*
10. के के जयचन्द्रन*
11. के चन्द्रन पिल्ले*
12. एस शरमा*
13. एम एम वर्गीज*
14. ए के बालन
15. टी सिवादास मेनन
16. एम चन्द्रन
17. के मूसाकुट्टी*
18. टी पी रामकृष्णन*
19. इलमरम करीम*
20. के पी सहदेवन*
21. पी राघवन*
22. ए पी वासु*
23. पी नंद कुमार*
24. लालाजी बाबू*
25. के सी राजगोपाल*
26. के प्रसाद*
27. सी ओ पौलोस*
28. पी रामचन्द्रन*
29. कट्टाक्कडा शशी*
30. ई कासिम*
31. पट्टम पी वामदेवन नायर
32. तिरूवल्लम शिवराजन
33. पुल्लूविला स्टेनली
34. ए सम्पथ
35. आर सुभाष
36. सायीकुमार एन.
37. कडोकमपल्ली सुरेन्द्रन
38. वी शिवनकुट्टी
39. ई जी मोहनन
40. मन्नारम रामाचन्द्रन
41. टी तुलसीधरन
42. मुरली मडनथानकोड
43. बी तुलसीधरन कुरूप
44. के सुभगन
45. जी विक्रमन
46 एस प्रकाश

47. पी जे अजय कुमार
48. पी के सोमराजन
49. बी राजेन्द्रन
50. पी आर चितरंजन
51. आर रामकृष्णन नायर
52. के डी सुगुनन
53. के जे थामस
54. सी जे जोसेफ
55. ओ जी मदनान
56. आर तिलाकन
57. एस सुन्दरमाणिक्कम
58. के एस मोहनन
59. के जे जैकब
60. पी एस मोहनन
61. के एन गोपीनाथ
62. के ए चक्कोच्चन
63. बी हमजा
64. के ए पुष्पाकरन
65. बेबी जॉन
66. के एफ डेविस
67. के वी जोस
68. वी रामकृष्णन
69. सी के चन्द्रन
70. ए प्रभाकरन
71. एम एस शकरिया
72. टी के अचुतान
73. वी शशीकुमार
74. जार्ज के एंटनी
75. के राम दास
76. वी प्रभाकरन
77- टी दासन
78. वी पी कुन्हीकृष्णन
79. के दासन
80. पी टी राजन
81. सी भास्करन
82. पी वी कृष्णन
83. सी कृष्णन
84. टी रामकृष्णन
85. पुंचयिल नाणु
86. अरक्कन बालन
87. पी पी कल्याणी (म)
88. ए के नारायणन
89. के बालकृष्णन
90. टी के राजन
91. वी लक्ष्मणन
92. वैक्ककम विश्वान
93. बी मोहनन
94. जे शशांकन
95. नडुवत्तुर सुन्दरेशन
96. जी राज्जमा (म)
97. सी वी जोय
98. वी के मणि
99. पी बाबू
100. पी एस मधुसूदन
101. वी जी विजयकुमार
102. के ए अलीअकबर
103. जी मधु
104 सी बी सी वारियर

कर्नाटक

01 बी माधव*
02 एस प्रसन्न कुमार*
03 (बाद में भरा जाएग*)
04 (बाद में भरा जाएगा)*
05 जे बालकृष्ण शेट्टी
06 वसंथाचारी
07 के शंकर

08 यमुना गांवकर (म)
09 शांता एन घण्टे (म)
10 सैयद मुजीब
11. सुकुमार टी
12. एम बी नादगोवडा
13. महंतेश

मध्य प्रदेश

01 प्रमोद प्रधान*
02 रामविलास गोस्वामी
03 पी एस पाण्डेय

महाराष्ट्र

01 डॉक्टर डी एल कराड*
02 सैयद अहमद*
03 अमरुत मेश्राम
04 शुभा शमीम (म)
05 उद्धव भावलकर
06 एम एच शेख

उड़ीसा

01 लम्बोदर नायक*
02 शिवाजी पटनायक*
03 बिष्णु मोहंती*
04 दुशयंत दास
05. जहांगीर अली
06 बिमान मैती
07 राधा रमण सारंगी
08 सुभाष सिंह
09. इंदरामणि बहेरा

पंजाब

01 विजय मिश्र*
02 देवराज वर्मा*
03 राम सिंह
04 जतिन्दर पाल सिंह
05 सुच्चा सिंह
06 उषा रानी (म)

राजस्थान

01 रवीन्द्र शुक्ला*
02. वी एस राणा
03 आर के स्वामी

तमिलनाडु

01 आर शिंगारावेलु*
02 वी कुमार*
03 पी एम कुमार*
04. एम अन्ना दुराई*
05. एल सौंदाराजन*
06 एस आपुनू*
07. आर करुमलयन*
08 ई पी अम्बलगन*
09 एस एस सुब्रामण्यन*
10. ए जानकीरमन*
11. बी विक्रमन*
12. एम चन्द्रन
13. के चेल्लापन
14. पी इंदिरा (म)
15. जी सुकुमारन
16. एस के त्यागराजन
17. एम अशोकन
18. के उन्नीकृष्णन
19. पी एन उन्नी
21 के आर गणेशन
22. सी अरुमुगम
23. टी कुमारावेल
24. एस सुबरामणि
25. के विजयन
26. एम चन्द्रन
27. जी शेखर
28. एस अरुमुगम

29. टी थिरुसेलवन
30. एम भागवती
31. टी वेंकटेशन
32. आर एलांगोवान
33. आर राजा
34. ई मुथुकुमार
35. आर रमेश सुन्दर
36. टी तमिलरसी (म)
37. आर मनोकरन
38. आर जी पिल्ले
39. डी गोविन्दाराज

त्रिपुरा

01 पियूष नाग*
02 तपन चक्रवती*
03. सुदर्शन दास*
04 शंकर दत्ता*
05 मदन दास
06 रविन्द्र सिंह
07. समर चक्रवर्ती
08 इंदुबाला दास (म)
09 बिभु भूषण राय
10. सुधामय मजुमदार
11. जया वर्मन (म)
12. काजल रानी सरकार (म)
13. मानिक मियाह

उत्तर प्रदेश

01 कमलापति त्रिपाठी*
02. वीना गुप्त (म)
03. आर एस वाजपेयी

उत्तराखण्ड

01 वीरेन्द्र भण्डारी
02 एम पी जखमोला

पश्चिम बंगाल

01 राजदेव गोवाला*
02. सांताश्री चैटर्जी*
03 अजीत सरकार*
04 एसके. इस्लाम*
05 दीपक सरकार*
06. अजीत मुखर्जी*
07 सोमेन कुण्डु*
08. दीपक दासगुप्त*
09. निमाई सामंत*
10. दिलिप चैटजी*
11. निखिल मुखर्जी*
12. रणजीत कुण्डु*
13. लक्षमण सेठ*
14. मश्णाल दास*
15. देबांजन चक्रवर्ती*
16. निरंजन चटर्जी*
17. सुभाष मुखर्जी*
18. प्रशांत नंदी चौधरी*
19. नेपाल देव भट्टाचाय *
20. रतन बागची*
21. किंकर पोषाक*
22. तुषार डे*
23. अनादी साह*
24. रतना दत्ता (म)*
25. विकास भट्टाचाय *
26. ज़िया उल आलम*
27. सुखमोइत ओराओं* (म)
28. विनय कृष्ण चौधरी*
29. पी के दास*
30. विवेक होम चौधरी*
31. बादल कार*
32. मोहम्मद निजामुद्दीन*

33. असीम बनर्जी*
34. विश्वनाथ दास*
35. अमिताभ नंदी*
36. दीपक मित्रा*
37. गोबिन्द गुहा*
38. तड़ित बर्मन तोपदार*
39. साधन कांजीलाल*
40. छाया चटर्जी (म)*
41. नीलिमा मैत्र (म)*
42. बाद में भरा जाएगा*
43. दीपक मजुमदार
44. आनंद पाठक
45. माणिक सान्याल
46. प्रदीप चक्रवर्ती
47. जयदेव घोष
48. तपन पाल
49. निशा राय (म)
50. गणेष अधिकारी
51. मंटु बसु
52. आदित्य मिश्र
53. राबिन राय
54. प्रशांत घोष (हुगली)
55. सुखेन्दु विश्वास
56. समीर चक्रवर्ती
57. सुशेन सरकार
58. सौमेन्दु मुखर्जी
59. प्रतीप मुखर्जी
60. गोकुल घोष
61. अरुण मित्रा
62. देवव्रत बनर्जी
63. दिलिप सरकार
64. काली शंकर पाल
65. तरित घोष
66. सुजीत घोष
67. बंस गोपाल चौधरी
68. गौरंगा चटर्जी
69. गंगा यादव
70. बिपरेन्दु चक्रवर्ती
71. जी के श्रीवास्तव
72. तारिणी राय
73. गौतम घोष
74. बबलू रविदास
75. कनक दास
76. देवी पाठक
77. प्रलय दासगुप्त
78. दिलीप सेन
79. विजय तिवारी
80. बरुण घटक
81. देबव्रत बिंदु
82. कल्याणी सिंघा (म)
83. प्रणव दास
84. मोआज्जेम हुसैन
85. निर्मल जाना
86. आमया साहू
87. प्रसांत पात्र
88. सुब्रत पांडा
89. हिमांशु दास
90. कृति देव बख्शी
91. अशोक शांता
92. हेना सतपथी (म)
93. अबुल हसनत खान
94. चित्त रंजन सरकार
95. मश्गंका भट्टाचार्य
96. प्रणव विश्वास
97. टगार डे (म)
98. असीम दत्ता

99. प्रद्युत सेन
100. रामपद दास
101. अरविंद बनर्जी
102. सुजान चक्रवर्ती
103. बटु कृष्ण राय
104. राम दास
105. सुबीर विश्वास
106. गोपाल कर्माकर
107. मोहम्मद इस्राइल
108. राजेन राय
109. दिलिप दास गुप्त
110. नरेश बिरवर्द
111. जहर घोषाल
112. मुरारी बोस
113. गार्गी चटर्जी (म)
114. सिहरन आचार्य
115. दीपक राय चौधरी
116. मोनिषा चक्रवर्ती (म)
117. मोलिना घोष (म)
118. सुलेखा बाग (म)
119. आसिक कुमार मजुमदार
120. राबिन देव
121. अपर्णा दास (म)
122. जीवन एच
123. जगज्योति दत्ता
124. प्रणव दास
125. बिजन मित्रा
126. प्रणव मजुमदार
127. तपन तालुकदार
128. सन्यासी दोलुई
129. प्रदीप ताह
130. मलय नंदी
131. काली नायक
132. राधा मदन हेंस
133. विश्वजीत भट्टाचार्य
134. सुखेन्दु विकास कर्माकर
135. सुजीत मुखर्जी
136. जीवन साहा
137. सुदर्शन मान्ना
138. तारापद राय चौधरी
139. देवाशीष मै.
140 कृष्ण प्रसाद सिंह देव
141. हराधन बनर्जी
142. स्वप्न गुप्त
143. आशिष राय
144. बाद में भरा जाएगा
145. बाद में भरा जाएगा
146. बाद में भरा जाएगा
147 बाद में भरा जाएगा

केन्द्र

01. पी के गांगुली*
02 ए आर सिंधु* (म)
03 अमिताव गुहा*
04. सी सी पिल्ले*
05. बाद में भरा जाएगा*
06 समर मुखर्जी
07 जयंत डे
08. बाद में भरा जाएगा
09. बाद में भरा जाएगा
10. बाद में भरा जाएगा

CUM.JYOTI

जुलाई 2010

कीमतः 25 रु

सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन
13 – ए राउज़ ऐवेन्यू नई दिल्ली–110002
फोनः 23221288, 23221306 फैक्सः 23221284
के लिए तपन सेन
द्वारा प्रकाशित

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया,
जी टी रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095
द्वारा मुद्रित